हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

08 मार्च, 2021

खण्ड 1, अंक 2

अधिकृत विवरण

विषय सूची

सोमवार, 08 मार्च, 2021

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गये
तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

हरियाणा विधान सभा के सदस्य को उनके जन्मदिन पर बधाई

हरियाणा विधान सभा के एक सदस्य की अयोग्यता से सम्बन्धित सूचना

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी महिलाओं/लड़कियों को बधाई

सर्वश्रेष्ठ विधायक अवार्ड से सम्बन्धित सूचना

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं

निजी सदस्य विधेयक के मामले को उठाना

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा

सरकारी संकल्प–

(i) कारखाना (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2016 को वापिस लेने से संबंधित प्रस्ताव

(ii) हरियाणा, लोकोपयोगिताओं में परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2018 को वापिस लेने से संबंधित प्रस्ताव

बैठक का समय बढ़ाना

सरकारी संकल्प (पुनरारम्भ)–

(iii) हरियाणा, खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 को वापिस लेने से संबंधित प्रस्ताव

बैठक का समय बढ़ाना

विधायी कार्य–

पुरःस्थापित किए जाने वाले विधेयक

1. दि हरियाणा रूरल डिवैल्पमैंट (अमैंडमैंट) बिल, 2021
2. दि हरियाणा गुड्स एण्ड सर्विसिज टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 2021

बैठक का समय बढ़ाना

विधायी कार्य (पुनरारम्भ)–

3. दि हरियाणा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन (अमैंडमैंट) बिल, 2021
4. दि हरियाणा डिवैल्पमैंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज (अमैंडमैंट) बिल, 2021

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 08 मार्च, 2021

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में दोपहर बाद 2:00 बजे हुई । अध्यक्ष (श्री ज्ञान चन्द गुप्ता) ने अध्यक्षता की ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल शुरू होता है।

To Remove the Villages from Dark Zone

***884. Shri Dharam Singh Chhoker:** Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that villages at riverside Yamuna falling under Samalkha Assembly Constituency have groundwater level at 50 feets;

(b) whether it is also a fact that the abovesaid villages have been declared as dark zone by the Government; and

(c) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to remove the said villages from dark zone togetherwith the details thereof?

कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : (क) जी हाँ, महोदय, समालखा विधान सभा क्षेत्र में यमुना नदी के किनारे 15 गाँव हैं, जिनका जल स्तर 50.0 फीट (16.0 मीटर) तक है।

(ब) समालखा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में समालखा, बापोली और सनोली खण्डों के गाँव शामिल हैं। भूजल संसाधन आंकलन 31.03.2017 के अनुसार समालखा और बापोली खण्डों को ओवर–एक्सप्लॉइट श्रेणी के तहत वर्गीकृत करते हुए केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (CGWA), नई दिल्ली द्वारा किया गया है भूजल के विनियमन के लिए ''अधिसूचित क्षेत्र'' घोषित किया गया है।

(ग) केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए निर्देश दिनांक 24.09.2020 के अनुसार कृषि प्रयोजनों के लिए ट्यूबवेल की स्थापना के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके अलावा राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 07.12.2020 के माध्यम से राज्य के भीतर जल संसाधनों के संरक्षण, प्रबंधन और विनियमन के लिए "हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन और प्रबंधन) प्राधिकरण अधिनियम, 2020" को अधिसूचित किया है। हरियाणा सरकार ने दिनांक 14.12.2020 की अधिसूचना के माध्यम से उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन और प्रबंधन) प्राधिकरण की स्थापना की है। समालखा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समालखा, बापोली और सनोली ब्लॉक के गाँवों सहित राज्य में भूजल विनियमन और प्रबंधन के लिए आगे की

कार्रवाई हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन और प्रबंधन) प्राधिकरण द्वारा राज्य के लिए अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में की जाएगी।

श्री धर्म सिंह छौक्करः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि समालखा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र राणा माजरा से लेकर सिंबलगढ़ तक यमुना नदी के साथ–साथ बसा हुआ है। समालखा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की लम्बाई तो ज्यादा है लेकिन चौड़ाई कम है। अध्यक्ष महोदय, जो गांव डार्क जोन के रूप में घोषित किये गये हैं उन गांवों का भूमिगत जलस्तर 40–50 फीट पर है, लेकिन यमुना नदी के किनारे के बसे गांवों का भूमिगत जलस्तर ऊपर हो चुका है, इसलिए नियमानुसार वहां पर ट्यूबवैल्ज के कनैक्शन दिये जाये।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की इस संबंध में चिंता वाजिब है। केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार वहां पर ट्यूबवैल्ज कनैक्शन लग सकते हैं। इस इलाके का ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का दोबारा से हमारी ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी मैपिंग करेगी और केन्द्र सरकार की बजाय भविष्य में हम डिक्लेयर करेंगे कि कौन–सा एरिया डार्क जोन में रखना है और कौन–सा एरिया डार्क जोन में नहीं रखना है । यह पूरे प्रदेश की समस्या है कि उनके एरिया में पानी ऊपर है और उसको डार्क जोन डिक्लेयर किया हुआ है । हालांकि आज भी माननीय सदस्य के क्षेत्र में ट्यूबवैल्ज के लिए बिजली के कनैक्शंज लेने से संबंधित कोई समस्या नहीं है । माननीय सदस्य के एरिया के किसान ट्यूबवैल्ज के लिए बिजली के कनैक्शंज ले सकते हैं । भारत सरकार का जो कानून था उसमें भी संशोधन हो चुका है लेकिन हमने इसमें ओवरराइड करके हरियाणा प्रदेश की अथॉरिटी बनाई है । हम इसको रीमैपिंग करने के लिए रिकमैंड करेंगे । फिर यह अथॉरिटी भविष्य में सारे हरियाणा की रीमैपिंग करेगी और दोबारा डिक्लेयर करेगी कि यह इलाका डार्क जोन में है और यह इलाका डार्क जोन में नहीं है ।

श्री धर्म सिंह छौक्कर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि ट्यूबवैल्ज के लिए बिजली के कनैक्शंज खोल दिए गए हैं । मैं समालखा, बापोली और सनौली ब्लॉक के विषय में पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इन गांवों को कनैक्शंज देंगे या नहीं ? माननीय मंत्री जी ने सारे हरियाणा की बात की है जोकि एक अलग मैटर है । मेरा इलाका यमुना नदी के साथ बसा हुआ है । माननीय मंत्री जी मुझे स्पष्ट बताएं कि समालखा, बापोली और सनौली ब्लॉक के गांवों के

लिए कितने ट्यूबवैल्ज के लिए बिजली के कनैक्शंज खोल दिए गए हैं ? अगर वहां के लिए कनैक्शंज खोल दिए जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि हमारे क्षेत्र के ट्यूबवैल्ज के लिए बिजली के कनैक्शंज अभी बंद हैं ।

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सवाल डार्क जोन से संबंधित है । मैंने बता दिया कि डार्क जोन में कनैक्शन देने पर प्रतिबंध नहीं है । अब इसमें भारत सरकार ने अमैंडमैंट कर दी है । उसके तहत अब माननीय सदस्य के तीनों ब्लॉकों के गांवों के लोग कनैक्शंज के लिए अप्लाई कर सकते हैं । अतः अब किसान ट्यूबवैल के लिए बिजली के कनैक्शंज लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं ।

श्री धर्म सिंह छौक्कर : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं ।

श्री हरविन्द्र कल्याण : अध्यक्ष महोदय, यह समस्या पूरे यमुना नदी बैल्ट की है । अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि इस बारे में अधिसूचना जारी हो चुकी है । हाल ही में मेरे संज्ञान में यह विषय आया था । मुझे लगता है कि इस बारे में जिला स्तर पर अभी कोई क्लीयर डायरैक्शन नहीं पहुंची है । पुराने खराब हो चुके ट्यूबवैल्ज की जगह पर जो नये ट्यूबवैल्ज लगने हैं उनको भी बिजली के कनैक्शंज देने के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है कि पुराने खराब हो चुके ट्यूबवैल्ज के कनैक्शंज को नये ट्यूबवैल्ज पर शिफ्ट कर दिया जाएगा या नहीं । मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी इस संबंध में क्लीयर डायरैक्शन दिलवायें ।

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक बिजली के कनैक्शन देने के इशू का सवाल है तो इसकी पॉलिसी बिजली विभाग बनाता है । इस बारे में बिजली विभाग ही बेहतर तरीके से बताएगा । इस विषय में हमारा कहना है कि हमने प्रदेश में अथॉरिटी बना दी है और जहां–जहां भारत सरकार के प्राधिकरण ने डार्क जोन बनाया हुआ है उसको हम प्रदेश सरकार के प्राधिकरण के द्वारा रीमैपिंग करके अमैंड करवायेंगे ।

श्री हरविन्द्र कल्याण : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि डार्क जोन का विषय खेती से संबंधित है । यह बहुत गम्भीर विषय है, इसलिए कृषि विभाग और बिजली विभाग आपस में तालमेल करके इस विषय को गति दें ।

श्री महीपाल ढांडा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सदन में बहुत अच्छा क्वैश्चन लगाया है और मेरा हल्का भी इनके हल्के के बिल्कुल साथ लगता हल्का

है। वहां पर वाकई में यह बहुत बड़ी प्रोब्लम है । इसके विषय में मैं निवेदन करूंगा कि जब तक सरकार 'डार्क जोन कमेटी' बनाकर काम शुरू करे तब तक बिजली विभाग के पास जिन लोगों की सिक्योरिटी जमा है और जिन्होंने कनैक्शन के लिए अप्लाई किया हुआ है उनको कनैक्शन रिलीज कर दें । इससे लोगों को बहुत राहत मिलेगी । सही मायने में वहां पर पानी की कोई किल्लत नहीं है और न ही वह एरिया एक्चुअल में डार्क जोन में है । किसान उनके और हमारे निवास पर हर रोज इस समस्या के समाधान के लिए आते हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि इस कार्य को जल्दी–से–जल्दी करवाया जाये ।

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं दोबारा बता देता हूं कि 'केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण', नई दिल्ली द्वारा निर्देश दे दिया गया है कि कृषि प्रयोजनों के लिए ट्यूबवैल कनैक्शन देने पर कोई प्रतिबंध नहीं है । अतः अब माननीय सदस्य पूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए ट्यूबवैल के लिए बिजली के कनैक्शंज के लिए अप्लाई करवायें । ट्यूबवैल कनैक्शन देने से पहले उसका ऐस्टीमेट बनता है और उसका पैसा जमा करवाना पड़ता है । ट्यूबवैल कनैक्शंज देने पर अब कोई प्रतिबंध नहीं है । अब किसान ट्यूबवैल कनैक्शन ले सकते हैं ।

श्रीमती नैना सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र बाढड़ा भी डार्क जोन में आता है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहूंगी कि जिन लोगों ने ट्यूबवैल कनैक्शंज के लिए विभाग के पास पैसे जमा करवाये हुए हैं वे उनको ट्यूबवैल कनैक्शंज अवश्य दिलवायें। मेरे हल्के में किसान पम्पसैट से सिंचाई करते हैं और वहां पर पानी की बहुत भयंकर समस्या है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगी कि मेरे हल्के में नहरों में पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है। इसलिए माननीय मंत्री जी इस बात पर भी ध्यान दें।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि मेरे पास इरीगेशन विभाग नहीं है। यह विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। जब मेरे हल्के लोहारू की नहरों में पानी जाता है तो वह बाढ़ड़ा हल्के की नहरों से होकर ही जाता है।

श्रीमती नैना सिंह चौटलाः अध्यक्ष महोदय, पानी इन्सानों और पशुओं के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मेरे हल्के में पानी का प्रबन्ध करवाया जाए।

श्री अध्यक्षः नैना जी, इस प्रश्न पर कई सप्लीमैंटरी हो चुकी हैं। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

श्री राम कुमार कश्यपः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री धर्म सिंह छौक्कर जी ने अपने हल्के की जो चिन्ता उठायी है, वह चिन्ता मेरे हल्के में भी है। मेरे हल्के के कुछ गांव यमुना के साथ लगते हैं, परन्तु वह एरिया डार्क जोन में है और वहां पर वॉटर लैवल ऊपर ही है। वहां पर भी इसी प्रकार से ट्यूबवैल के कनैक्शन देने में बहुत बड़ी समस्या आ रही है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इसके लिए सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करके जिला स्तर और हल्का स्तर पर लोगों को जागरूक किया जाए।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं भी अपनी बात कहना चाहती हूं, इसलिए मुझे भी अपनी बात रखने के लिए समय दिया जाए।

श्री अध्यक्षः किरण जी, आपने इसी विषय पर कॉलिंग अटैंशन मोशन दिया हुआ है, इसलिए आप बाद में अपनी बात रख लेना।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, इसमें दो विषय हैं। एक तो यह है जिसमें डार्क जोन के कारण टयूबवैल के कनैक्शंज लेने के लिए एप्लाई नहीं कर सकते थे क्योंकि उस पर प्रतिबंध था। दूसरा यह है कि बिजली विभाग पॉलिसी बनाकर ट्यूबवैल कनैक्शंज जारी करे। अब संबंधित एरिया को डार्क जोन से बाहर कर दिया गया है, इसलिए टयूबवैल कनैक्शंज के लिए एप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद लिस्ट के हिसाब से सीनियोरिटी वाईज टयूबवैल कनैक्शंज दे दिए जाएंगे।

———————

To Construct Bye-pass

***790. Shri Lakshman Napa:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a bye pass in Ratia, if so, the time by which it is likely to be constructed?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala) : No, Sir.

श्री लक्ष्मण नापाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहूंगा हूं कि रतिया शहर सब डिविजन है और यह बहुत बड़ा शहर है। रतिया शहर में फतेहाबाद से बुढ़लाडा – टोहाना रोड पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, इसलिए हमारे शहर को एक बाईपास की जरूरत है। हमारे रतिया शहर में ट्रैफिक बढ़ने से हर रोज झगड़े होते रहते हैं। भगत सिंह चौक और संजय गांधी चौक पर काफी ट्रैफिक रहता है। हमारा रतिया शहर पंजाब बॉर्डर के साथ लगता है। बहुत

से पंजाब के जो लोग विदेशों में रहते हैं वे वाया फतेहाबाद से रोहतक होकर दिल्ली जाते हैं। मैं माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे रतिया शहर में बाईपास बनवाया जाए।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है उसके बारे में मैं इनको बताना चाहूंगा कि रतिया में आलरेडी एक मिनी बाईपास बनाया गया है, जोकि बुढलाडा रोड से लेकर टोहाना रोड तक है। इसके साथ–साथ पूरे शहर के लिए ऑलरेडी फोरलेनिंग कर चुके हैं तथा उसको कुलां रोड तक एक्सटैंड कर दिया गया है। अगर माननीय सदस्य कोई स्पेसिफिक साईट बता रहे हैं, जहां पर एडिशनल ट्रैफिक का लोड है तो उस पर सरकार विचार करेगी। लेकिन आज के दिन रतिया शहर के लिए बाईपास बनाने का कोई भी एडीशनल प्रपोजल नहीं है।

श्री लक्ष्मण नापा: अध्यक्ष महोदय, माननीय उप–मुख्यमंत्री जी ने जिस बाईपास का जिक्र किया है, वह छोटा बाईपास है और घग्गर नदी के किनारे बना हुआ है, परन्तु वह रोड नहीं है। फतेहाबाद रोड से लेकर जो बुढलाडा रोड पंजाब तक जाता है उसके लिए बाईपास बनाने की मैं मांग कर रहा हूं। हमारे माननीय केन्द्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी 4 साल पहले सिरसा में आये थे और उन्होंने भीखी (पंजाब) से लेकर भटटू (फतेहाबाद) तक फोरलेन बनाने की घोषणा की थी और उसकी डी.पी.आर. भी बन चुकी थी। मैं माननीय उप–मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि उसका स्टेट्स क्या है ? वहां पर भी बाईपास बनना मंजूर हुआ था।

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदय, जिस विषय के बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं, वह एन.एच.ए.आई. (सैंट्रल गवर्नमैंट) का विषय है, वह स्टेट सब्जैक्ट नहीं है। अगर कोई ऐसी डी.पी.आर. बनी है जिससे शहर का ट्रैफिक ईज होता है तो विभाग उस पर विचार करेगा और जांच भी करेगा। हम आने वाले समय में ई–भूमि पोर्टल पर लैंड की मांग भी करेगें। अगर लैंड मिलेगी तो सरकार उस प्रपोजल को स्टेट हैड से पूरा करवाने का प्रयास करेगी। माननीय सदस्य भी प्रयास करें कि इसके लिए लोग अपनी मर्जी से लैंड दे दें।

श्री सत्य प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र पटौदी के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बाइपास के लिए अनाउसंमैंट की थी इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पटौदी में बाइपास का

निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा क्योंकि वहां पर लोगों को आये दिन चार–चार घंटे तक जाम की स्थिति से दो–चार होना पड़ता है।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पटौदी विधान सभा क्षेत्र के लिए बाईपास की घोषणा की थी। डिपार्टमैंट में इसकी डी.पी.आर. बनने के लिए दे दी गई है। जैसे ही इसकी डी.पी.आर. आ जायेगी हम उसको ई–भूमि पोर्टल पर अपलोड करके लैंड एक्विजिशन के लिए डाल देंगे और इस काम को शीघ्र ही पूरा करने का काम किया जायेगा। हमारा पूरा प्रयास है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने शहर हैं, उनमें ट्रैफिक बहुत ज्यादा होने के कारण कोई अल्टरनेट रूट्स निकाले जायें। टोहाना का जो बाईपास है वह 70 परसैंट कम्पलीट हो गया है। इसी तरह से कोसली के अंदर जो बाइपास बनना है, उसकी डी.एल.आर. अवेटिड है। जैसे ही यह डी.एल.आर. आ जायेगी, उसको कम्पलीट कर दिया जायेगा। जहां हथीन बाइपास की बात है, वहां पर लैंड एक्विजिशन के लिए डी.सी. जो आर.आर. सी. (रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट) दिया जाता है । उसमें 72 परसैंट लोगों की हमारे पास मांग आ चुकी है जैसे ही 90 परसैंट तक मांग क्रोस हो जायेगी हम उसको भी जल्दी ही कम्पलीट करवाने का काम करेंगे। पुन्हाना के माननीय सदस्य हाथ उठा रहे हैं तो मैं पुन्हाना के बाइपास के बारे में बताना चाहूंगा कि हमें इसमें 75 परसैंट तक लोगों ने अपनी सहमति दे दी है। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि आप भी स्थानीय लोगों को इस मामले में जागरूक करने का काम करें और 90 परसैंट तक लोगों की सहमति दिलवाई जाये तो हम उसे भी जल्दी ही पूरा करवाने का काम करेंगे। जो कन्कवा का बाइपास है उसमें 85 परसैंट तक लोगों ने अपनी सहमति दे दी है। हमारा पूरा प्रयास है कि उसको जल्द से जल्द पूरा करवाया जाये। छूछकवास के बारे में माननीय सदस्या ने हाथ उठाया है, मैं उस बारे में बताना चाहूंगा कि उसमें हमारे पास 80 परसैंट तक लोगों की ई–भूमि पोर्टल पर सहमति आ चुकी है इसलिए हम उसको भी शीघ्र ही पूरा करवाने का काम करेंगे। इसके अलावा जो बहादुरगढ़ का बाइपास है उसका फेज–वन का वर्क ऑलरेडी अलॉट हो चुका है और फेज–टू के अंदर फोरेस्ट क्लीयरैंस की awaiting ness है। जो गोहाना का बाई पास है उसके लिए अभी तक हमारे पास 60 परसैंट तक लोगों की ई–भूमि पोर्टल पर सहमति आई है। इसमें हमारा प्रयास है कि उसके लिए जैसे ही फॉरेस्ट की एन.ओ.सी. आयेगी हम उस पर काम करना शुरू

कर देंगे। इसी तरह से उचाना में साउथ और नॉर्थ दो बाई पासिज हैं, उसमें 1040 लैंड ऑनर्स में से 974 लैंड ऑनर्स की सहमति आ चुकी है। हमने इसका ऑलरेडी लैंड एक्विजिशन का प्रोसैस शुरू कर दिया है। हमारे पास अभी तक नारनौंद बाइपास के लिए 15 परसैंट तक लोगों की सहमति आई है इसके लिए हमने डिप्टी कमिश्नर को पत्र लिखा है कि आप अपने लैवल पर और मैं संबंधित विधायक जी से भी आग्रह करूंगा कि इस मामले में लोगों को मोटिवेट करके ई–भूमि पोर्टल पर सहयोग करने की अपील करें। माननीय सदस्य श्री ईश्वर सिंह जी भी अपना हाथ उठा रहे हैं तो मैं चीका के बाइपास के बारे में बताना चाहूंगा कि 75 परसैंट लोगों की ई–भूमि पोर्टल पर सहमति आ चुकी है और हमने इसके लिए डिप्टी कमिश्नर को आदेश दे दिये हैं कि बाकी बचे हुए 25 परसैंट लोगों को जोड़ने का प्रयास करें ताकि इस कार्य को पूरा करवाने का काम किया जा सके।

श्री सत्य प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सत्य प्रकाश जी, इस समय सदन में क्वैश्चन ऑवर चल रहा है और इस समय डिबेट करने का विषय नहीं है। प्लीज आप बैठ जायें।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, गांव छूछकवास बाइपास के बारे में माननीय उप–मुख्यमंत्री जी ने अभी सदन में बताया है। पिछले बजट सत्र के दौरान भी इस बाइपास का एश्योरैंस दिया गया था और उससे पहले भी एश्योरैंस दिया गया था। माननीय मंत्री जी ने अपनी रिटन स्टेटमैंट में यह कहा था कि 15 महीने के अंदर–अंदर इस बाइपास को बना दिया जायेगा। ये 80 परसैंट वाली बात तो पिछले 6 वर्षों से ई–भूमि पोर्टल पर चल रही है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि वहां आये दिन घंटों तक ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है जिसके कारण एक्सीडेंट्स भी होते रहते हैं। वहां से हैवी ट्रक/ट्राले निकलते हैं क्योंकि वहां बड़े–बड़े थर्मल पावर प्लांट्स तथा सी.एल.पी. प्लांट्स और भी बहुत से कारखाने स्थापित हो चुके हैं। इसके अलावा वहां पर एजुकेशन इन्स्टीट्यूटस भी हैं। अगर आप संख्या के हिसाब से देखेंगे तो मैं एफ.आई.आर. और एक्सीडेंट्स की लिस्ट सदन की टेबल पर रख दूंगी। अध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ से भी इस बाइपास को बनाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है और मैं समझती हूं कि सरकार भी अपनी ओर से इस मामले में पूरा प्रयास करे। गांव

छूछकवास में बाइपास न होने के कारण बड़ी संख्या में लाखों लोगों ने और बहुत से जानवरों ने अपनी जानें गवाई हैं इसलिए मेरा आग्रह है कि इस बाइपास को अतिशीघ्र बनवाने का काम किया जाये क्योंकि एश्योरैंस तो ऑन दि फलोर ऑफ दि हाउस हमें लगातार मिलते जा रहे हैं लेकिन वहां काम नहीं हो रहा है।

श्री दुष्यंत चौटाला : स्पीकर सर, माननीय सदस्या गीता जी ने पूरी डिटेल के साथ अपनी बात को रखा है। आज से 6 साल पहले तो मैं इस हाउस में नहीं था।

श्रीमती गीता भुक्कल : स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना है कि इस प्रकार के एश्योरैंसिज हमें काफी समय से मिलते रहे हैं। पिछले पांच साल के दौरान जो पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर थे उनके द्वारा assurance has been given on the floor of the House that within fifteen months it would be completed. मुझे पिछले सत्र में भी एश्योरैंस मिला था। हमारी सरकार के समय में जो इनीशिएटिव लिया गया केवल उसी के ऊपर यह काम अटका हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी पिछली टर्म के दौरान मातनहेल गये थे वहां पर भी इसकी अनाउंसमैंट करके आये थे। मौजूदा मुख्यमंत्री जी की अनाउंसमैंट में भी इसका जिक्र है। अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से यही निवेदन है कि जो हमारे समय की कार्यवाही है वे उसको काइंडली आगे बढ़ाने का काम करें।

श्री दुष्यंत चौटालाः स्पीकर सर, जैसाकि मैंने पहले भी कहा है कि हम इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करवायेंगे। इनकी सरकार के समय में क्या कार्यवाही हुई मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं आज महिला दिवस के अवसर पर माननीय सदस्या को यह एश्योरैंस देता हूं कि एक महीने के अंदर इस प्रोजैक्ट के लिए जो 80 परसैंट जमीन लोगों ने अपनी सहमति से दी है उसको हम परचेज भी कर लेंगे और बैलेंस 20 परसैंट लैंड के लिए जो अगले लैंड एक्वीजिशन एक्ट के तहत प्रोसैस है उसके माध्यम से कार्यवाही शुरू करके एक्सपीडिशियली माननीय सदस्या की निगरानी में एक कमेटी का गठन करके इस काम को जल्दी से जल्दी पूरा करवायेंगे।

श्री सुभाष सुधाः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि कुरूक्षेत्र एक विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहां पर 15 से 20 हजार यात्री प्रतिदिन आते हैं। जो कुरूक्षेत्र की मुख्य सड़क है उस पर प्रतिदिन लगभग चार–चार घंटे जाम लगा रहता है। कुरूक्षेत्र में बाई–पास बनाने

की हमारी बहुत पुरानी मांग है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस सम्बन्ध में सैंट्रल मिनिस्टर श्री गढ़वी जी को भी पत्र लिखा है। इस बाई पास के लिए जो जमीन एक्वॉयर की जायेगी उसमें 70 परसैंट लैंड पंचायत की है और 30 परसैंट प्राईवेट लैंड है। जो प्राईवेट लैंड ओनर्ज हैं वे भी इस बाई–पास के लिए अपनी जमीन देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अध्यक्ष जी, मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से यही रिक्वैस्ट है कि कुरूक्षेत्र के बाई–पास का जल्दी से जल्दी निर्माण करवाया जाये।

श्री दुष्यंत चौटालाः स्पीकर सर, माननीय सदस्य श्री सुभाष सुधा जी ने जो बात रखी है। यह बात मैं भी मानता हूं कि यह कुरूक्षेत्र शहर की एक बहुत ही पुरानी मांग है। मैं पर्सनली तौर पर इसको फोलो–अप करवाकर एक्सपीडिशियसली इस कार्य को पूरा करवाउंगा।

श्री लक्ष्मण यादवः आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से यह निवेदन करना चाहूंगा कि कोसली बाई–पास के लिए पिछले बजट में धनराशि भी स्वीकृत हो गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में भी कोसली बाई–पास का जिक्र है। इसके साथ ही साथ ई–पोर्टल पर 80 से 90 परसैंट उस भूमि का ब्यौरा भी आ गया है। अब तो महज उसकी सैटलमैंट ही बाकी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो फ्लाई–ओवर बना था उसकी हालत आज बहुत ही जर्जर हो चुकी है और उसके ऊपर से हैवी व्हीकल्ज की आवाजाही नहीं हो सकती है। वहां पर सारे का सारा ट्रैफिक अनकंट्रोल्ड है। अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से डिप्टी सी.एम. साहब से यह निवेदन है कि कोसली बाई पास का निर्माण तुरंत प्रभाव से करवाया जाये।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो कोसली बाई–पास के निर्माण की बात रखी है उसकी डी.एल.आर. अवेटिड हैं। जिन 70 परसैंट प्राईवेट लैंड ओनर्ज ने इस बाई पास के लिए अपनी जमीन देने के लिए अपनी सहमति जताई है Committees of Secretaries ने उसके रेट्स को फाइनेलाईज करना है। प्रत्येक सोमवार को उसकी बैठक होती है। मैं इस मामले को खुद मॉनीटर करके इस महीने के अंदर इस 70 परसैंट जमीन के रेट्स को फाइनलाईज करवा दूंगा जिससे लैंड की एक्वीजिशन का कार्य एक्सपीडिशियसली कम्पलीट हो सके।

.....

Number of Skill Development Courses for Girls

***998. Smt. Naina Singh Chautala**: Will the Skill Development and Industrial Training Minister be pleased to state-

(a) the number of courses started by the Government for girls for the skill development in the State;

(b) the number of girls trained from the above said courses; and

(c) the number of trained girls who have adopted self-employment together with the number of girls who have been provided jobs by the Government?

कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री (पंडित मूलचंद शर्मा): (अ) हरियाणा कौशल विकास मिशन (HSDM) द्वारा 121 कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं जो लड़कियों सहित सभी के लिए खुले हैं।

(ब) एच.एस.डी.एम. के तहत कुल 30,011 लड़कियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया है।

(स) 735 लड़कियों ने स्वरोजगार अपनाया है और 4540 लड़कियों को वेतन रोजगार प्रदान किया गया है।

श्रीमती नैना सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगी कि इस सरकार ने प्रदेश में 121 के करीब कोर्सिज शुरू कर रखे हैं। इन कोर्सिज में 35000 के करीब लड़कियां प्रशिक्षण ले रही हैं। अगर इन 35000 लड़कियों की एवरेज निकाली जाये तो 735 लड़कियां को पूरे हरियाणा प्रदेश में रोजगार मिला है। अगर हम पूरे हरियाणा प्रदेश की एक कोर्स की औसत निकाले तो वह प्रति कोर्स केवल मात्र 6 लड़कियों की आती है अर्थात् एक कोर्स में सिर्फ 6 लड़कियों को ही रोजगार मिल पाया है। अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध है कि प्रत्येक जिले में ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षण केन्द्र खुलवाकर लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षित किया जाये ताकि भविष्य में उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके।

पण्डित मूल चन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष हम कोविड–19 महामारी के कारण लड़कियों को ज्यादा रोजगार नहीं दे पाए लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पोर्टल तैयार किया है जिससे पता चल जायेगा कि किस क्षेत्र में ज्यादा रोजगार उपलब्ध हैं। उसी हिसाब से लड़कियों को प्रशिक्षित करेंगे ताकि लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उपलब्ध करवाये जा सकें।

श्रीमती नैना सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि प्रशिक्षण के साथ ही साथ लड़कियों को कुछ वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाए क्योंकि इन प्रशिक्षण केन्द्रों में गरीब घरों की लड़कियां प्रशिक्षण लेती हैं। अगर वित्तीय सहायता दी जायेगी तो इस तरफ लड़कियों का रुझान अधिक बढ़ेगा।

पण्डित मूल चन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि गरीब लड़कियों के लिए 33 राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले गये हैं। प्रत्येक महिला को टूल किट हेतु 1000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है तथा इंजीनियरिंग व्यवसाय जैसे कि फीटर, वैल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर आदि में दाखिला लेने पर महिला को 500 रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है तथा आने वाले समय में इस सहायता राशि को और बढ़ाया जा सकता है।

श्री ईश्वर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ये जो स्किल डिवैल्पमैंट सैन्टर खोले हुए हैं इनको खोलने का क्या क्राइटेरिया है, खास तौर से देहात में खोलने का क्या क्राइटेरिया है?

पण्डित मूल चन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदय, हमारे पास सरकारी में सहशिक्षा में 139 तथा महिलाओं के लिए 33 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं तथा इनमें 55100 सीट हैं। इसी प्रकार से प्राइवेट में सहशिक्षा में 242 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं जिनमें 30936 सीट हैं। इन संस्थानों में वर्ष 2020–21 में प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या सरकारी में 45,202 है तथा प्राइवेट में 17422 है।

श्री ईश्वर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से क्राइटेरिया के बारे में पूछ रहा हूं। मैंने प्रशिक्षुओं की संख्या नहीं पूछी है।

पण्डित मूल चन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैंने सभी सैन्टर्स और उनमें प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या के बारे में बता दिया है।

श्री अध्यक्ष: ईश्वर सिंह जी, इस समय दस्ती जानकारी माननीय मंत्री जी के पास नहीं है इसलिए आप मंत्री जी से लिखित में पूछ लेना मंत्री जी आपको जवाब दे देंगे। (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कोई ऐसी जानकारी नहीं मांगी है जो इस प्रश्न से संबंधित न हो। इस प्रकार की जानकारी तो माननीय मंत्री जी के पास दस्ती तौर पर होनी चाहिए। (विघ्न)

श्री रामकरण : अध्यक्ष महोदय, शाहबाद में जो कालोनियां हैं उनमें बिजली के कनैक्शन्ज नहीं दिये जा रहे हैं।(विघ्न)

श्री अध्यक्ष : रामकरण जी, यह विषय इस प्रश्न से संबंधित नहीं है इसलिए आप इस विषय को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलते हुए ही उठाएं।

श्री नयन पाल रावत : अध्यक्ष महोदय, मेरे पृथला विधान सभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की कृपा से पिछले कार्यकाल में दुधौला गांव में स्किल डिवैल्पमैंट यूनिवर्सिटी बनाने का प्रावधान हुआ था। उस समय दुधौला गांव की पंचायत में यह तय हुआ था कि उसमें जो भी कच्चे कर्मचारी लगाए जाएंगे उसमें दुधौला गांव के बच्चों को प्रायरटी दी जाएगी लेकिन उस यूनिवर्सिटी में अभी तक इंस्ट्रक्टर्ज भी पूरे नहीं हैं जो बच्चों को कुछ सिखा सकें। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार उस यूनिवर्सिटी में दुधौला गांव के बच्चों को नौकरी दिलवाने का प्रावधान करेगी जैसा कि पहले तय हुआ था?

पण्डित मूल चंद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी यह बात आई थी उस संबंध में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि कौशल विकास यूनिवर्सिटी दुधौला में उस समय जो भी क्राईटेरिया रखा होगा उसको हम देख लेंगे कि उस समय क्या एग्रीमैंट साईन हुआ था।

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो आई.टी.आईज. खोली जा रही हैं उनमें जगह तो काफी है लेकिन वहां बच्चे बहुत कम हैं इसलिए अगर उनके कैम्पस में ही अलग से एक स्किल डिवैल्पमैंट सैंटर का प्रावधान भी कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष : असीम जी, यह आपका सुझाव है या प्रश्न है।

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष महोदय, यह मेरा सुझाव भी है और मैं यह पूछ भी रहा हूं कि क्या ऐसी कोई योजना है कि जहां ग्रामीण क्षेत्रों में नई आई.टी.आईज. बनी हैं वहां पर जगह भी है और वहां अभी बच्चे भी कम आ रहे हैं। अगर वहां हम साथ में स्किल डिवैल्पमैंट सैंटर भी शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है कि आई.टी.

आई. के नाते वह जगह भी यूटिलाईज हो जाएगी और बच्चों को एक अच्छा नया मौका भी मिल जाएगा। मैं आपके माध्यम से सुझाव भी देना चाहता हूं और मैं पूछना भी चाहता हूं कि क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है?

पण्डित मूल चन्द शर्मा : अध्यक्ष महोदय, असीम गोयल जी ने जो सुझाव दिया है उसको ध्यान में रखते हुए जहां आई.टी.आईज. में बच्चे कम हैं वहां हम इस तरह का प्रपोजल रख लेंगे।

.....

To Shift the Godowns

***1037. Shri Vinod Bhayana:** Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to State-

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to shift the Godown of Warehousing Corporation out of the Hansi City; if so, the time by which it is likely to be shifted; and

(b) Whether it is a fact that all the food grain godowns are situated in the main populated area of the city?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : (1) हांसी शहर के बाहर हरियाणा राज्य भण्डारण निगम के गोदाम को स्थानांतरित करने के लिए निगम के विचार के तहत कोई प्रस्ताव नहीं है।

(2) हरियाणा राज्य भण्डारण निगम के खाद्यान्न गोदाम हांसी शहर के मुख्य आबादी वाले क्षेत्र में नहीं हैं।

श्री विनोद भ्याना : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो ये गोदाम बने हुए हैं वे हुडा के सैक्टर–6 में बने हुए हैं। जोकि हुडा का सबसे डिवैल्प सैक्टर है और वहां उन गोदामों के चारों ओर आबादी है। वह भीड़–भाड़ का क्षेत्र है। विशेष बात यह है कि बरसात के दिनों में उन गोदामों से बहुत बड़ी दुर्गंध उठती है। उन गोदोमों में एक सुरसरी नाम का जीव पैदा हो जाता है जो उड़कर सैक्टर के घरों में घुस जाता है जिससे वहां के लोगों का रहना मुश्किल हो जाता है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि जन हित में उन गोदामों को वहां से शिफ्ट करके कहीं पास में दूसरी जगह पर ले जाया जाए। वहां हमारे हांसी शहर के नजदीक हरियाणा कृषि विभाग की जमीन भी है। अगर इन गोदामों

को वहां शिफ्ट कर दिया जाए तो यह जन कल्याण के लिए बहुत उत्तम कार्य होगा।

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, ये गोदाम बहुत पहले के बने हुए हैं और उनका फ्रंट बाईपास के ऊपर लगता है। अब उनके आस–पास हुडा का सैक्टर बना दिया है तो उसमें भण्डारण निगम की कोई गलती नहीं है। ये गोदाम अनाज का संग्रह करने के लिए बहुत जरूरी हैं जोकि अब भी भरे हुए हैं और मुख्य सड़क के ऊपर हैं। वे सैक्टर के अन्दर नहीं हैं। उन गोदामों का फ्रंट बाईपास के ऊपर लगता है। फिर भी अगर विधायक महोदय कहते हैं तो हम इसको एग्जामिन करवा लेंगे। अगर इनको वहां से शिफ्ट करने में हमारे विभाग को कोई घाटा नहीं होगा अर्थात यह जमीन महंगे भाव में बिक कर किसी और काम में आ जाए और इसके पैसे से बाहर दूसरी जगह जमीन भी आ जाए और गोदाम भी बन जाएं तो उसके बारे में विचार किया जा सकता है लेकिन फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई प्रपोजल नहीं है। गोदामों की हमारे प्रदेश में जरूरत है क्योंकि अनाज भंडारण के लिए जब तक अतिरिक्त गोदाम नहीं बन जाते तब तक हमारा उन गोदामों को शिफ्ट करने का कोई इरादा नहीं है।

श्री विनोद भ्याना : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हुडा ने सैक्टर बाद में आबाद कर दिया होगा लेकिन आज के दिन वह सैक्टर–6 पूरा डिवैल्प है और उन गोदामों के चारों और आबादी है और यहां पर मैं यह भी बड़ी जिम्मेवारी के साथ इंश्योर करना चाहता हूं कि यह जगह बहुत महंगी है। इस जगह को कहीं भी यूटिलाईज कर सकते हैं और जहां से हमारा हांसी का बाईपास निकला है वहां पर बहुत सस्ती जमीन है वहां पर ये गोदाम बनाए जा सकते हैं। इससे सरकार को भी बहुत फायदा होगा और जनहित में भी एक बहुत बड़ा काम होगा।

श्री जय प्रकाश दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी ने कहा है कि वहां हुडा सैक्टर बाद में बना है और गोदाम पहले के बने हुए हैं। फिर भी माननीय विधायक जी हमें कोई अच्छी सी प्रपोजल दें और कहीं कलैक्टर रेट पर जमीन उपलब्ध करवाएं। जहां अच्छी कनैक्टिविटी हो और जो शहर से ज्यादा दूर भी न हो तो हम इनकी प्रपोजल पर विचार कर लेंगे। हमारे वेयरहाउसिंग कारपोरेशन को घाटा भी न हो और जिस जगह पर आलरेडी गोदाम बने हुए हैं, उस जगह से गोदाम को अगर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है तो पहले वाली जगह को बेचने

से इतनी पूंजी मिल जाये कि नई जगह पर इस पूंजी का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा नए गोदाम बनाये जा सकें, अगर ऐसा संभव हो सकेगा तो निश्चित रूप से हम इस प्रकार के प्रपोजल को एग्जामिन करवा लेंगे।

श्री सुभाष सुधाः अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां शहर के अंदर वेयरहाउसिंग और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के गोदाम बने हुए हैं। एफ.सी.आई. की निर्धारित तय समयावधि के अंदर जब इन गोदामों को रेलवे के माध्यम से लाई गई सामग्री के साथ भरा जाता है तो उस समय ट्रक बहुत तेज स्पीड के साथ भरकर शहर के अंदर आते हैं जिसकी वजह से बच्चे इनकी चपेट में आ जाते हैं और मौत का शिकार हो जाते है। शहर के अंदर स्थित इन गोदामों की जगहों को बेचने से 10 गुणा तक रेट प्राप्त हो सकते हैं जिसका प्रयोग करके शहर के बाहर ज्यादा से ज्यादा गोदाम बनाये जा सकते हैं। अतः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि सरकार को तुरंत प्रभाव से इस दिशा में ध्यान देने की जरूरत है।

श्री लक्ष्मण नापाः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि रतिया शहर के रिहायशी इलाके के बीच 3 एकड़ जमीन में वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के गोदाम बने हुए हैं। मेरा निवेदन है कि इन गोदामों को जल्द से जल्द शहर से बाहर निकालने का काम किया जाये।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, रतिया के संदर्भ में इसी प्रकार का सवाल पिछले सत्र के दौरान भी आया था। कुछ शहरों में यह समस्या देखी जा रही है कि रैजीडैंशियल एरियॉज के अंदर वेयहाउसिंग कारपोरेशन के गोदाम आ गए हैं और चूंकि रैजीडैंशियल एरियॉज में प्रोपर्टी की कीमतें बढ़ गई हैं, अतः ऐसी अवस्था में मेरा सभी विधायक साथियों से निवेदन है कि उनके एरियॉज में जहां कहीं भी ऐसी समस्या है और शहर के बाहर जहां–कहीं पर भी गोदाम बनाये जा सकते हैं, सभी विधायक साथी ऐसी जगहों का चयन कर लें। हम इस कार्य के लिए एक कमेटी का निर्माण करके सभी प्रकार की संभावनाओं को एग्जामिन करवा लेंगे, लॉस–प्रोफिट चैक करवा लेंगे और इस प्रकार एक निश्चित योजना बनाकर समस्या को हल करने का पूरा प्रयास करेंगे।

श्री घनश्याम दासः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जहां पर गोदाम बनाये जाते हैं वहां पर सुरसरी पैदा होने की समस्या के कारण लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। सब जानते

हैं कि बरसात के दिनों में कीड़े ज्यादा पैदा होते हैं। सभी गोदामों को एक साथ बनाना और शिफ्ट करना बहुत मुश्किल कार्य है तो ऐसी स्थिति में जब तक नए गोदाम नहीं बनते और उनको शहर के बाहर शिफ्ट नहीं किया जाता तब तक कोई ऐसा पॉयलट प्रोजैक्ट चलाया जाना चाहिए जिसके तहत कीड़े मार दवाई का स्प्रे करके इस समस्या को मैनेज करते हुए स्थानीय निवासियों को राहत प्रदान की जा सके और नए कीड़े पैदा न होने दिए जायें। मेरा निवेदन है कि यदि ऐसा किया जायेगा तो निश्चित रूप से यह गोदामों के नजदीक रहने वाले स्थानीय निवासियों को बहुत राहत प्रदान करने वाला कदम होगा।

श्री जय प्रकाश दलालः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अच्छा सुझाव दिया है। हम निश्चित रूप से कोई ऐसा विकल्प ढूंढने का काम करेंगे ताकि गोदामों के नजदीक रहने वाले स्थानीय लोगों को कीड़े पैदा होने की समस्या या ट्रैफिक की समस्या से कोई दिक्कत न हो सके। मैं इस संदर्भ में अपने विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दूंगा कि वे ऐसी दवाई का प्रयोग करें ताकि गोदामों में कीड़े पैदा न हों। निःसंदेह इस दिशा में कोई न कोई रास्ता निकालने का काम जरूर किया जायेगा।

श्री नयन पाल रावतः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वेयरहाउसिंग की जिम्मेवारी मुझ पर सौंपी हुई है, अतः मुझे भी इस क्षेत्र में अच्छी जानकारी है। उस जानकारी के आधार पर मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि पॉयलेट प्रोजैक्ट के तौर पर पलवल और पानीपत के गोदामों को शिफ्ट करने की योजना को हम लोग बोर्ड में ले आये हैं। जिस जमीन में आलरेडी गोदाम बने हुए हैं, हम उसी जमीन का प्रयोग करके डबल कैपेसिटी के गोदाम बना सकते हैं जिससे निश्चित रूप से इससे वेयरहाउसिंग कारपोरेशन का पैसा बचेगा। जहां तक पैस्टिसाइड्स की बात है, के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि पहले पैस्टिसाइड्स को एफ.सी.आई. के माध्यम से प्राप्त किया जाता था और उसके निर्धारित मापदंडों के हिसाब से ही इनका प्रयोग होता था लेकिन अब हम अम्बाला व कुरूक्षेत्र में वेयरहाउसिंग कारपोरेशन की तरफ से पैस्टिसाईड्स को उपलब्ध करवाकर कीड़े की समस्या को रोकने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इससे वेयरहाउसिंग कारपोरेशन का पैसा भी बचेगा और गोदाम भी डबल कैपेसिटी के बनाये जा सकेंगे।

श्री असीम गोयलः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहूंगा कि आजकल साइलो की एक नई टैक्नीक आई है, क्या इस नई टैक्नीक को कार्यान्वित करने की दिशा में विभाग की तरफ से कोई योजना बनाई गई है। अध्यक्ष महोदय, इस नई टैक्नीक का फायदा यह है कि इससे जगह भी कम प्रयोग होती है और ज्यादा से ज्यादा अनाज भी सुरक्षित रखा जा सकता है और इससे सुरसुरी की समस्या भी न के बराबर होती है।

.....

To Set up a Cath Lab and Cancer Screening Lab

***805. Shri Surender Panwar:** Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up a Cath Lab and Cancer Screening Lab in Civil Hospital Sonipat; if so, the time by which these are likely to be set up?

Health Minister (Shri Anil Vij): Sir, there is a proposal under consideration to set up only a Cath Lab in Civil Hospital Sonipat. At this stage it is difficult to provide exact time by which it is likely to be set-up.

श्री सुरेन्द्र पंवारः अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने संबंधित प्रश्न का जवाब संतोषजनक नहीं दिया है। नागरिक अस्पताल, सोनीपत में कैथ लैब स्थापित करने का निश्चित समय अभी तक पता नहीं है। अस्पतालों का मामला मानव जीवन से जुड़ा होता है। सरकार नागरिक अस्पतालों के संबंध में बड़ी–बड़ी बातें करती है कि हम हर तरक की मैडिकल सुविधाएं हरियाणा के लोगों को दे रहे हैं। जहां तक नागरिक अस्पताल, सोनीपत में कैथ लैब की बात है तो पिछले सत्र में भी मैंने इस संबंध में सवाल लगाया था लेकिन इस बार प्रस्ताव विचाराधीन का आया है। अध्यक्ष महोदय, नागरिक अस्पताल, सोनीपत में कैथ लैब स्थापित करने का निश्चित समय का जवाब संबंधित मंत्री जी के पास भी नहीं है। नागरिक अस्पताल, सोनीपत में एक दिन में हार्ट से संबंधित मरीज 100 के करीब आते हैं। हार्ट की बीमारी के मरीज नागरिक अस्पताल, सोनीपत में आते ही उनको मैडिकल सुविधा के अभाव में खानपुर कलां के मैडिकल कॉलेज में भेज दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी के समय जितनी सुविधाएं खानपुर कलां, मैडिकल कॉलेज में हुआ करती थी, आज एक भी सुविधा उस कॉलेज में नहीं रही है। हार्ट की बीमारी के मरीज को खानपुर, मैडिकल कॉलेज पहुँचते ही उनको आगे की आगे मैडिकल सुविधाओं के अभाव में

पी.जी.आई.एम.एस., रोहतक में रैफर कर दिया जाता है। हार्ट का मरीज पी.जी.आई. एम.एस., रोहतक में पहुँचते–पहुँचते रास्ते में ही दम तोड़ देता है। अध्यक्ष महोदय, सोनीपत जिले की आबादी लगभग 17–18 लाख के करीब है। लेकिन नागरिक अस्पताल, सोनीपत में कोई भी मैडिकल सुविधा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, नागरिक अस्पताल, सोनीपत में कैंसर से संबंधित बीमारी का भी कोई डॉक्टर नहीं है। राई में लाखों की संख्या में मजदूर काम करते हैं और वहां पर पानी की वजह से अधिकतर लोगों को कैंसर हो चुका है। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का नाम पता चलते ही कैंसर बीमारी का मरीज आधा तो वैसे ही खत्म हो जाता है और पूरा बिना मैडिकल सेवा के खत्म हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, नागरिक अस्पताल, सोनीपत भी हरियाणा का ही पार्ट है, इसलिए नागरिक अस्पताल, सोनीपत में मैडिकल सुविधाएं देने के नाम पर कोई भेद–भाव न किया जाये। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यही निवेदन है कि नागरिक अस्पताल, सोनीपत में कैथ लैब और कैंसर के इलाज से संबंधित सुविधाएं जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवाई जाएं ताकि सोनीपत के लोगों को इसका फायदा मिल सके।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में इस समय नागरिक अस्पताल गुरूग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला और अम्बाला में कैथ लैब शुरू की गई हैं। इन नागरिक अस्पतालों में हार्ट के मरीज को 46112 रुपये में स्टंट डाल रहे हैं जबकि प्राईवेट अस्पतालों में इसकी कीमत 2 से 3 लाख रुपये आती है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूँ कि जो हार्ट के मरीज बी.पी. एल. परिवार से हैं, एस.सी. परिवार से हैं और जो सरकारी कर्मचारी और पैंशनर्ज हैं उनको फ्री में स्टंट की सुविधा दे रहे हैं। यह काम हमने पी.पी.पी. मोड पर शुरू किया था जोकि बहुत ही ज्यादा कामयाब रहा है। इसके अलावा हम 19 जगहों पर डायलिसिस सैंटर चला रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, हमारी कोशिश है कि हम हर जिले में एम.आर.आई. और सी.टी. स्कैन करना भी चालू करें और काफी जगह पर ये चल भी रहे हैं । मैंने आदेश दिये हैं कि जहां पर ये सुविधाएं नहीं हैं उन सब जगहों पर भी इनको शुरू किया जाए । जहां तक सोनीपत की बात है वहां पर पी. पी.पी. मोड पर कैथ लैब चलाने का टैण्डर वर्क चल रहा है । इसके लिए हमें 15 हजार स्कवेयर फीट जगह की जरूरत होती है । जगह सरकार देती है, बिजली सरकार देती है, पानी सरकार देती है और जो उसको पी.पी.पी. मोड पर लेता है बाकी सारा काम वह स्वयं करता है । जहां तक कैंसर की बात है हमारे हर

अस्पताल में मुख्यतः तीन तरह के कैंसर सर्वाइकल कैंसर, ओरल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के मरीज आते हैं । जिला अस्पतालों में इन तीनों तरह के कैंसर की स्क्रीनिंग होती है । अगर कोई मरीज सीरियस पाया जाता है तो उसको टर्शरी केयर सैंटर में भेजा जाता है । फिल्हाल हर जिले में टर्शरी केयर सैंटर नहीं है । हम हर जिले में टर्शरी केयर सैंटर खोलने के लिए कोशिश कर रहे हैं और जल्दी ही अम्बाला में टर्शरी केयर सैंटर खोलने जा रहे हैं । वह 1–2 महीने में चालू हो जाएगा । इसके अलावा हमने एक टर्शरी केयर सैंटर फतेहाबाद जिले के लिए भी मन्जूर किया है । हम केन्द्र की मन्जूरी मिलने के बाद फतेहाबाद जिले के टर्शरी केयर सैंटर को चालू कर देंगे ।

श्री सुरेन्द्र पंवार : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि 19 जगह पर डायलिसिस सैंटर है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी बता सकते हैं कि प्रदेश में किडनी के कितने डॉक्ट्र्स हैं, कितने नैफ्रोलॉजिस्ट हैं ? सिविल अस्पताल, सोनीपत में किडनी का डायलिसिस होता है लेकिन वहां पर कोई डॉक्टर नहीं है। जब अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं है तो उस डायलिसिस सैंटर का क्या फायदा है ?

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, वैसे तो यह सवाल अलग है लेकिन मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि क्या ये कभी सिविल अस्पताल में गये हैं ? मैं सदन में बताना चाहता हूं कि हमारे सारे डायलिसिस सैंटर सक्सैसफुली चल रहे हैं । उनसे लाखों लोग फायदा ले रहे हैं ।

श्री सुरेन्द्र पंवार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने हमें यह नहीं बताया कि क्या सोनीपत के सिविल अस्पताल में किडनी का डॉक्टर है ? अगर वहां पर डॉक्टर ही नहीं है तो फिर डायलिसिस सैंटर का फायदा ही क्या है ? मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे बताएं कि सारे हरियाणा में कुल कितने डॉक्ट्र्स हैं ? इसके अलावा मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे बताएं कि सारे हरियाणा में किडनी से संबंधित कितने डॉक्ट्र्स हैं ? मेरा सवाल सिम्पल है । माननीय मंत्री जी उसका उत्तर दे दें । माननीय मंत्री जी मुझे बतायें कि डायलिसिस सैंटर का बगैर डॉक्टर के क्या फायदा है ?

श्री अध्यक्ष : पंवार जी, आपका यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से बिल्कुल अलग है ।

श्री सुरेन्द्र पंवार : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न मुख्य प्रश्न से अलग नहीं है ।

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मेरे विधायक साथी सदन में बिना जानकारी के ही प्रश्न पूछ रहे हैं । (विघ्न) मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि हरियाणा में कैंसर से हाल में कितनी मृत्यु हुई हैं ? माननीय सदस्य कह रहे हैं कि हरियाणा में कैंसर से बहुत मौतें हो रही हैं । मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि ये सदन को मिसगाइड क्यों कर रहे हैं ? माननीय सदस्य को सदन में झूठ नहीं बोलना चाहिए ।

श्री सुरेन्द्र पंवार : अध्यक्ष महोदय, इस बात की जानकारी तो माननीय मंत्री जी को होनी चाहिए और इसका जवाब भी इन्हीं को देना चाहिए । (विघ्न)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, यह एक सैप्रेट क्वैश्चन है । This is a seperate question. अध्यक्ष महोदय, यह एक अलग प्रश्न है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र पंवार : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हरियाणा में किडनी से संबंधित कितने डॉक्ट्र्स हैं ? माननीय मंत्री जी मुझे इसका जवाब दे दें । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुरेन्द्र जी, आप एक सैप्रेट क्वैश्चन पूछ रहे हैं, इसलिए आप इस प्रश्न को माननीय मंत्री जी को लिखित में दे देना फिर माननीय मंत्री जी आपको इसका उत्तर दे देंगे । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इसके जवाब के लिए सदन में एक अलग क्वैश्चन लगाएं । फिर मैं उसका जवाब दे दूंगा । (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माननीय सदस्य झूठ बोल रहे हैं। इस शब्द को रिकार्ड से निकलवाया जाए। माननीय सदस्य झूठ नहीं बोल रहे हैं। (विघ्न)

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष ही बता दें कि झूठ कौन बोल रहा है ? इनकी पार्टी के माननीय सदस्य कह रहे हैं कि सैंकड़ों आदमी मर रहे हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, ऐसी स्पोंटेनियस चीजें यहां पर नहीं होती कि हम कोई गलत स्टेटमैंट दे दें क्योंकि उससे दिक्कतें आ सकती हैं।

श्री मामन खान: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि मैंने मेरे हल्के के हॉस्पिटल में दिनांक 28.2.2020 को अल्ट्रासाउंड की मशीन लगवाने के लिए कहा था, परन्तु वह आज तक नहीं लग पायी है और

माननीय मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था। वहां पर आज तक अल्ट्रासाउंड की मशीन क्यों नहीं लगायी गयी है?

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, this is not corrected question. मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहूंगा कि आप अपनी पार्टी के माननीय सदस्यों को समझाएं कि वे करैक्टिड क्वैश्चन ही पूछें। अगर माननीय सदस्य कोई क्वैश्चंन लगाएंगे तो मैं उसका जवाब दे दूंगा।

श्री अध्यक्षः मामन जी, आप जो क्वैश्चन पूछ रहे हैं, वह अलग विषय है। माननीय मंत्री जी के पास सभी क्वैश्चंज की जानकारी नहीं होती है। अगर किसी क्वैश्चंन का गलत जवाब दे दिया तो उससे दिक्कत आ जाएगी।

श्री कुलदीप वत्सः अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक है।

श्री कुलदीप वत्सः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इसी सदन में कहा था कि मेरे बादली हल्के की सी.एच.सी. बना दी गई है, परन्तु मैं कहना चाहूंगा कि उसके लिए एक ईंट भी नहीं लगी है। माननीय मंत्री जी आज इस सदन के माध्यम से सच्चाई भी बता दें। माननीय मंत्री जी चाहें तो झज्जर के हॉस्पिटल में जाकर चैक कर लें या अपने पी.ए. से पूछ लें। मैंने आपके पास एक डॉक्टर के बारे में लिखित में शिकायत भेजी थी। विभाग के ए.सी.एस. साहब भी यहीं पर बैठे हैं और आप उनसे भी पूछ सकते हैं। मैं उन्हें लिखित में शिकायत देकर आया था, परन्तु उस पर कार्रवाई नहीं की गयी है।

श्री अध्यक्षः कुलदीप जी, आपने किस बारे में शिकायत दी है ?

श्री कुलदीप वत्सः अध्यक्ष महोदय, मैंने वहां के हॉस्पिटल के बारे में लिखित में शिकायत दी थी।

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य को स्टंट डलवाना हो तो उसके बारे में बता दें।

श्री कुलदीप वत्सः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी सस्पैंड तो किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को कर सकते हैं।

श्री अध्यक्षः कुलदीप जी, माननीय मंत्री जी तो स्टंट डलवाने के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री कुलदीप वत्सः अध्यक्ष महोदय, स्टंट माननीय मंत्री जी डलवा लें। माननीय मंत्री जी ने यह साबित कर दिया है कि हरियाणा में कितनी बढ़िया स्वास्थ्य सेवाएं हैं। जब माननीय मंत्री जी बीमार हुए तो रोहतक के प्राईवेट हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे।

श्री अध्यक्षः कुलदीप जी, आप व्यक्तिगत बातें न करें और अपने हल्के से संबंधित क्वैश्चन ही पूछें।

श्री कुलदीप वत्सः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि बादली की सी.एच. सी. बनायी जाएगी। माननीय मंत्री जी अब ******** हो चुके हैं। माननीय मंत्री जी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं।

श्री अध्यक्षः कुलदीप जी, आपकी बात पूरी हो चुकी है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

श्री कुलदीप वत्सः अध्यक्ष महोदय, मैं तो अपने बादली हल्के की सी.एच.सी. के बारे में पूछ रहा हूं कि वह कब तक बन जाएगी?

श्री सत्य प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को अपने विधान सभा क्षेत्र का नाम भी पता नहीं है।

श्री कुलदीप वत्सः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान) माननीय सदस्य को मैंने ही चेयरमैन बनवाया था और ये मंत्री नहीं बन सकते।

श्री अध्यक्षः कुलदीप जी, प्लीज, आप बैठ जाएं।

श्री सत्य प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को तहजीब से बोलना चाहिए। इनको ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

श्री अध्यक्षः कुलदीप जी, आप केवल अपना प्रश्न ही पूछें।

श्री कुलदीप वत्सः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि मेरे हल्के बादली में सी.एच.सी. कब तक बना दी जाएगी? इस घोषणा को किये हुए करीब–करीब साढ़े चार साल का समय व्यतीत हो चुका है। इसके बारे में मैंने पिछले सैशन के दौरान भी माननीय मंत्री जी से पूछा था कि इसको कब तक बना दिया जाएगा ?

.....

*** चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।**

श्री बिशम्बर सिहं: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को एक दलित विधायक के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके लिए माननीय सदस्य को उनसे माफी मांगनी चाहिए।

श्री कुलदीप वत्स: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कुलदीप जी ने जो अनपार्लियामैंटरी शब्द यूज किये हैं, उसको सदन की कार्यवाही में रिकार्ड न किया जाए।

श्री कुलदीप वत्स: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से क्वैश्चन पूछ रहा हूं, इसलिए माननीय सदस्यों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। मैंने यह बात उस संदर्भ में कही थी।

श्री अध्यक्ष: कुलदीप जी, प्लीज आप बैठ जाएं।

श्री बलराज कूंडू: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्मय से माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कुडूं जी, आप प्लीज बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं हुड्डा साहब से यह कहना चाहता था कि अपने कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के लिए एक ट्रेनिंग कैम्प लगायें लेकिन जो खुद भ्रष्टाचार के केस में चार्जशीटड हों वे दूसरों को क्या समझायेगा और क्या सिखायेगा? (शोर एवं व्यवधान) हुड्डा साहब, आप इनको बताओ तो सही कि हाउस में आपका कौन सा क्वैश्चन लगा हुआ है। इनको हाउस की मर्यादा का पालन करना नहीं आता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती शकुंतला खटक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को हाउस की मर्यादा बनाकर रखनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विज साहब, प्लीज इस समय यह बात करने का विषय नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप वत्स : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से पूछना चाहूंगा कि क्या हुड्डा साहब भ्रष्टाचार के केस में चार्जशीटड नहीं है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि झूठे मुकदमें बनाने से कोई व्यक्ति भ्रष्टाचारी नहीं होता है। वर्तमान सरकार राजनीति से प्रेरित होकर झूठे मुकदमें बना रही है। पहले माननीय कोर्ट के फैसले का इंतजार करे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मेरा सभी सदस्यों से निवेदन है कि आप अपने विषय तक ही सीमित रहे और विषय से बाहर कोई सदस्य बात न करे। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस हाउस की गरिमा का मतलब यही है कि जब इस सदन पटल पर कोई एश्योरेंस दिया जाता है तो उस बारे में हमारी पार्टी के माननीय सदस्य पूछ रहे है तो उसका जवाब माननीय मंत्री जी को देना चाहिए। जब किसी एश्योरेंस पर संज्ञान नहीं लिया जाता है तब किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। हमें इस बारे में बता दीजिए।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्रीमती किरण चौधरी जी इस सदन की सीनियर विधायक है। इनको भी इस बात का भलीभांति ज्ञान है कि जब कोई एश्योरेंस दिया जाता है तो वह एश्योरेंस कमेटी में चला जाता है और वहां पर उसका जवाब दिया जाता है। इनको भी पता है कि मैं इस महान सदन में इन एश्योरेंस का जबाब इक्ट्ठे करके नहीं ला सकता हूं। (शोर एवं व्यवधान) किरण चौधरी जी इस हाउस की बहुत ही सीनियर सदस्य है इसलिए उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि वे अपनी मनमर्जी से उठकर कुछ भी बोलने लग जायें।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगी कि क्वैश्चन की रिप्लाई तो माननीय मंत्री द्वारा दी जाती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि क्वैश्चन स्टंट/कैथ लैब का चल रहा है। (शोर एवं व्यवधान) प्रदेश में

कितनी सी.एच.सीज. है और कितनी पी.एच.सीज. हैं। मैं इनकी जानकारी अलग–अलग नहीं दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, हाउस में जब कोई एश्योरेंस माननीय मंत्री जी द्वारा दिया जाता है। उस बारे में जुबानी तौर पर माननीय मंत्री जी को पता नहीं होता है कि किस विषय से संबंधित एश्योरेंस दिया गया है और किस विषय से संबंधित एश्योरेंस नहीं दिया गया है। कोई भी एश्योरेंस जब एश्योरेंस कमेटी में चला जाता है तो निश्चित रूप से एश्योरेंस कमेटी उस एश्योरेंस पर संज्ञान लेती है।

————————

Details of Scam regarding Ration Cards

***774. Shri Jagbir Singh Malik:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) the number of ration cards modified from May, 2019 to April, 2020 in Sonipat District;

(b) whether any scam amounting to thousand crore rupees has came into the notice of Government in Food and Supplies Department, District Sonipat by the way of modifying ration cards, forged receipts of transport, non supply of ration to various depots and benami ration depots etc.; and

(c) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to order vigilance enquiry in the above said scam?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala): (a) 256 ration cards of all categories have been modified from May, 2019 to April, 2020 in Sonipat District.

(b) No such scam has been observed/reported.

(c) No such proposal is under consideration in view of (b) above.

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि no such scam has been observed/reported. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि मैंने इसके लिए माननीय मंत्री जी को खुद लैटर लिखा था कि प्रदेश में इतना बड़ा स्कैम हुआ है लेकिन इन्होंने जांच के लिए निचले स्तर के

अधिकारी की ड्यूटी लगा दी। उसके बाद उस अधिकारी का मेरे पास मैसेज आया कि आप अपना सारा रिकॉर्ड संबंधित विभाग में ले आयें। मैंने उस अधिकारी को कहा कि मैं आपसे इन्क्वायरी नहीं करवाना चाहता हूं क्योंकि यह बात आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मैं इस मामले की विजिलेंस से इन्क्वायरी करवाना चाहता हूं यदि माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि विजिलेंस की इन्क्वायरी हो तो मैं वहां पर आने के लिए तैयार हूं लेकिन मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि माननीय मंत्री जी ने उस कम्पलेंट को फाइल कर दिया। अब मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं। (शोर एंव व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मलिक जी, प्लीज आप सदन में अपना क्वैश्चन रखें।

15.00 बजे

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, सोनीपत में पहले जो राशन कार्ड्स थे उनके लिए 25 लाख किलोग्राम अनाज सोनीपत डिस्ट्रिक्ट को अलॉट हुआ था। इस समय यह अलॉटमैंट 30 लाख किलोग्राम है। मंत्री जी कह रहे है कि 256 नये राशन कार्ड्स बने हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो 5 लाख किलोग्राम अनाज की अलॉटमैंट सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में बढ़ी है वह किन राशनकार्ड्स के कारण बढ़ी है? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि ओ.पी.एच. कार्ड्स वर्ष 2016 में छंटनी हुए थे। सरकार के स्तर पर उसके बाद कोई भी आर्डर ओ.पी.एच. कार्ड्स बनाने का नहीं हुआ। यह बताया जाये कि ये ओ.पी.एच. कार्ड्स सरकार के किन आदेशों के तहत बने। इसके अलावा मैं यह बताना चाहूंगा कि एक डिपो होल्डर को 11.04.2019 को सस्पैंड कर दिया गया लेकिन उसी के नाम से मशीनें हैक करके उसी के अंगूठे से 28, 29 और 30 अप्रैल, 2019 को अनाज निकाला गया जबकि वह अनाज डी.एफ.सी. की आई.डी. और इंसपैक्टर की आई.डी. के बगैर नहीं निकाला जा सकता था। यह भी बताया जाये कि यह अनाज कैसे निकाला गया। उसके बाद मैंने स्पैसिफिक नाम दिये थे। नौकरी करने वालों के नाम और out of state वालों के नाम बेनामी डिपो हैं। इसी प्रकार से एक डिपो होल्डर के नाम 6 डिपो हैं। वही डिपो होल्डर ही ओ.पी.एच. के नकली कार्ड्स बना रहा है और एक–एक कार्ड के 3 से 4 हजार रूपये तक कार्ड धारक से लिये जा रहे हैं। अप्रैल, 2019 में जो 30 लाख किलोग्राम राशन सोनीपत डिस्ट्रिक्ट को अलॉट हुआ था उसका आधा अर्थात् 15 लाख किलोग्राम मार्किट में बिका है। डिपार्टमैंट का यह सारे का सारा रिकार्ड ऑन लाईन होता है। यह रिकार्ड की बात है और इसके

सारे के सारे सबूत मेरे पास हैं। मैं मंत्री को ये सारे सबूत दूंगा। इसमें एक कार्ड दो से तीन जगहों पर बना हुआ है।

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, इस मामले से सम्बंधित जो भी सबूत हैं उनको आप मंत्री जी को दे दें। हम उनको ऑन रिकार्ड ले लेंगे।

श्री जगबीर सिंह मलिक : स्पीकर सर, मैं यह रिकार्ड देकर मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वे ईमानदारी से जो गरीब आदमियों का राशन खा रहा है उसकी विजीलैंस इंक्वायरी करवायेंगें? या फिर मंत्री जी उन अधिकारियों को स्पोर्ट करेंगे जिन्होंने गरीब आदमियों का राशन खाया है? (विघ्न)

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, महिला दिवस के इस अवसर पर हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि भविष्य में जितने भी राशन डिपो हरियाणा प्रदेश में अलॉट किये जायेंगे उनमें से 33 परसैंट को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जायेगा। जहां तक बात मलिक साहब के सवाल की है। मलिक साहब ने एक सवाल रखा है। मैं उनके संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा आरोप लगाया कि बोगस परचेज हुई और पी.डी.एस. के अंदर से बोगस अलॉटमैंट हुई। उन्होंने यह भी कहा है कि नकली राशनकार्ड्स बंटे। पहली बात तो मैं उनको यह बताना चाहूंगा कि पूरे देश भर के अंदर One Nation, One Ration Card की स्कीम चलाई गई है जिसके अंतर्गत यह कम्पलसरी है कि हरियाणा प्रदेश के 1 करोड़ 22 लाख राशन कार्ड होल्डर्स के अकाउंट को हमारी सरकार ने पहले ही आधार कार्ड से लिंक करा दिया है और एक–एक राशन डिपो के ऊपर अगर कोई ओ.पी.एच. में हो, बी.पी.एल. में हो या किसी अन्य स्कीम के माध्यम से राशन लेने जायेगा तो सबसे पहले मशीन के अंदर उसका आधार कार्ड नम्बर डाला जायेगा उसके बाद उसकी अलॉटमैंट की रिक्वॉयरमैंट उस मशीन पर डिस्प्ले होगी। उसके बाद उसका थम्ब प्रिंट लेकर उसको राशन की अलॉटमैंट करवाई जायेगी। जिस तरह की बात मलिक साहब कर रहे हैं वो किसी भी दृष्टि से विश्वास के योग्य नहीं है। इन्होंने अपने पत्र में तो यह भी लिखा था कि राशन डिपोज पर गीली गेहूं का वितरण किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि वे इस बारे में कोई ऐविडेंस लेकर आएं कि कहां पर गीला गेहूं मिल रहा है। क्या माननीय सदस्य यह बता सकते हैं कि गीले गेहूं की रोटियां कैसे बन सकती हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल रखा है मैं आपके माध्यम से उनके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हमने 7

जिलों में ई–वेइंग मशीन लागू कर दी हैं। दो जिलों फरीदाबाद और गुरूग्राम में ई–वेइंग मशीन हम लगाने जा रहे हैं। हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर राशन डिपो में जा कर राशन लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आधार कार्ड और बायोमैट्रिक से राशन कार्ड को लिंक कर दिया गया है। फरीदाबाद में हमने पहला मोबाइल डिपो अलॉट कर दिया है और यह काम हम पूरे प्रदेश में करेंगे। डिपो होल्डर स्वयं आपके पास आ कर राशन की डिलीवरी करेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी इसकी विजीलैंस इंक्वायरी करवायेंगे? (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामकुमार गौतमः अध्यक्ष महोदय, आप इस बात को इंश्योर करें कि जो प्रश्न सूची में लगते हैं उनका नम्बर जरूर आना चाहिए। चाहे इसके लिए आपको टाईम बढ़ाना पड़े। हमारे प्रश्नों के जवाब नहीं मिलते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप सभी के पास आज के प्रश्नों के जवाब पहुंचे हुए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुपूरक प्रश्न है कि साढे चार लाख किलो अनाज कैसे बढ़ा और दूसरा सवाल यह है कि ओ.पी.एच. कार्ड बनाने के ऑर्डर कब हुए?

श्री अध्यक्षः मलिक साहब, ओ.पी.एच. के बारे में माननीय उप–मुख्यमंत्री जी ने बता तो दिया है।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह साढ़े चार लाख किलो अनाज कैसे बढ़ गया?

श्री अध्यक्षः मंत्री जी, माननीय सदस्य को जवाब देकर संतुष्ट करें।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अप्रैल, 2019 में ऑनलाईन रिकॉर्ड है कि 50 प्रतिशत राशन बाहर बिका है। अगर मंत्री जी ईमानदार हैं तो जवाब दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः मलिक साहब, किसी की ईमानदारी पर प्रश्न करना ठीक नहीं है। यहां पर सभी ईमानदार बैठे हुए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात रखी है उसके बारे में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं। इन्होंने एक शिकायत दी थी और हमारे एक डिस्ट्रिक्ट लैवल के अधिकारी ने इनको फोन करके कहा कि आप तथ्य लेकर आओ तो इन्होंने सवाल किया कि तथ्य देखने की उसकी हैसियत क्या है। अधिकारी सरकार का इम्पलाई है। मैं चाहूंगा कि ये सदन में माफी मांगें, ये सदन में किसी की हैसियत की बात कैसे कर सकते हैं। आज कोई भी कर्मचारी है अगर वह हरियाणा सरकार से तनख्वाह ले रहा है और आपकी इन्कवायरी को मार्क करके उस पर फेयरली इनवैस्टीगेशन कर रहा है तो ये उसकी हैसियत कैसे पूछ सकते हैं। ये मल्टीपल टाईम विधायक रह चुके होंगे लेकिन ये किसी अधिकारी की हैसियत पूछने का काम सदन में कैसे कर सकते हैं?

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि वह छोटे स्तर का अधिकारी था इसलिए मैंने यह बात कही थी।

श्री अध्यक्षः मलिक साहब, आप यह कह सकते थे कि किसी बड़े अधिकारी से उसकी इन्कवायरी करवाई जाये। आप किसी अधिकारी की हैसियत नहीं पूछ सकते हैं।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, उन अधिकारियों को सरकारी संरक्षण प्राप्त है इसलिए वे गरीब लोगों का राशन खा जाते हैं।

श्री अध्यक्षः मलिक साहब, बैठ जाइये। आपके सवाल का जवाब आ गया है।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है।

———

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

To Supply Adequate Drinking Water

***854. Shri Ram Kumar Gautam :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to Supply Adequate Drinking Water in the Village & Datta and Masudpur the Narnaund Assembly Constituency; if so, the time by which it is likely to be supplied ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : गांव दत्ता के लिए एक अनुमान जिसकी लागत 160 लाख रुपये तथा गांव मसूदपुर के लिए अनुमान जिसकी लागत 211.90 लाख रुपये है, जल जीवन मिशन के तहत मंजुर हो चुके हैं इन दोनों कार्यों को 31.12.2022 तक पूर्ण किए जाने की संभावना है।

.....

To Provide Government Job and Financial Assistance

***756. Shri Aftab Amhed:**
Shri Indu Raj Narwal: Will the Home Minister be pleased to state:

(a) The number of farmers died on the border of Haryana State during peaceful running agitation against three new agriculture laws together with the number of farmers who were resident of Haryana State and the number of farmers who were resident of other State out of above said deceased farmers alongwith the details thereof; and

(b) Whether there is any proposal under consideration of the Government to give the status of martyr and to provide the Government Jobs and financial assistance to the families of farmers of Haryana who have been died in said movement?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : श्रीमान जी, वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

सूचना

(क) दिनांक 18.02.2021 तक कुल 68 व्यक्तियों जिन्होंने कृषि कानूनों के विरुद्ध चल रहे आंदोलन में भाग लिया था की मौत हुई है I 68 व्यक्तियों में से 51 व्यक्तियों की मौत स्वास्थ्य सम्बन्धी कारणों से, 15 व्यक्तियों की मौत सड़क दुर्घटना में एवं 02 व्यक्तियों की मौत खुदखुशी करने द्वारा होनी पाई गई है I कुल 68 मौतों में से 21 व्यक्ति हरियाणा प्रदेश एवम 47 व्यक्ति पंजाब प्रदेश के रिहायशी थे I जान गंवाने वाले व्यक्तियों की सूची साथ संलग्न है I

(ख) नहीं, श्रीमान I

सूची

क्रम संख्या	जिला	मृतक का विवरण	मृत्यु की तिथि	मौत का कारण
1.	कैथल	अमर पाल पुत्र महाबीर जाति जाट उम्र 32 गांव सेरधा थाना राजौंद, जिला कैथल	26.12.2020	दिल का दौरा
2.		राम कुमार पुत्र करण सिंह जाति जाट उम्र 58 गांव भाणा थाना पुंडरी, जिला कैथल	31.12.2020	दिल का दौरा
3.		अजय पुत्र जय पाल जाति जाट आयु 18/19 गांव पाई थाना पुंडरी, जिला कैथल	26.01.2021	सड़क दुर्घटना
4.	रोहतक	राममेहर पुत्र महेन्द्र सिंह पता गांव छन्न, तहसील-बरवाला, जिला हिसार हरियाणा। उम्र 45 वर्ष	07.12.2020	सड़क दुर्घटना
5.	सोनीपत	अजय पुत्र ईश्वर, जाति- जाट, गांव बरोदा, थाना - बरोदा, जिला- सोनीपत, आयु -32	08.12.2020	दिल का दौरा
6.		बाबा राम सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह पता ग्राम-सिंघरा (निसिंग) जिला करनाल आयु -67 वर्ष।	16.12.2020	रिवॉल्वर के साथ आत्महत्या
7.		कुलबीर पुत्र रामदिया जाति- जाट उम्र -45 पता गांव गंगाना जिला-सोनीपत	03.01.2021	दिल का दौरा
8.		राजेश पुत्र रामफल आयुष, आयु -47, पता गांव मदीना, जिला सोनीपत,	26.01.2021	दिल का दौरा
9.		दिलबाग पुत्र सूरत, आयु -55, वासी गांव -कोहला, थाना - बरोदा, जिला सोनीपत	31-01-2021	दिल का दौरा
10.		हरेंद्र पुत्र रणधीर सिंह वासी पास 259 पावर हाउस, वार्ड नंबर 12, पानीपत ब्यास परियोजना सिवाह, जिला पानीपत आयु -40 वर्ष।	09.02.2021	हार्ट अटैक
11.		राजेंदर पुत्र दारा सिंह, आयु -70 वर्ष, वासी गांव - बैयानपुर, जिला सोनीपत।	17.02.2021	दिल का दौरा
12.	झज्जर	जगवीर सिंह (आयु 66 वर्ष) पुत्र हवा सिंह गांव इटल कलां जिला जींद	03.01.2021	दिल का दौरा
13.		बलदेव उर्फ़ बेदु उर्फ़ वेदपाल (आयु 62 वर्ष) पुत्र रामसवरुप पता गांव भाणा जिला कैथल हरियाणा.	21.01.2021	जिन्हें मृत अवस्था में सामान्य अस्पताल बहादुरगढ़ लाया गया था
14.		जयवीर सिंह (आयु 47 वर्ष) पुत्र छबील दास पता गांव बग्ला तहसील मंडी आदमपुर जिला हिसार हरियाणा	25.01.2021	जिन्हें मृत अवस्था में सामान्य अस्पताल बहादुरगढ़ लाया गया था
15.		जोगिंदर सिंह (आयु 40 वर्ष) पुत्र भीम सिंह गांव मिर्चपुर जिला हिसार हरियाणा	25.01.2021	जिन्हें मृत अवस्था में सामान्य अस्पताल बहादुरगढ़ लाया गया है
16.		दलीप सिंह (आयु 80 वर्ष) पुत्र निहाल सिंह पता जुलानी खेड़ा जिला कैथल	02.02.2021	सड़क दुर्घटना
17.		रणधीर सिंह (आयु 53 वर्ष) पुत्र देवी राम पता मोहन गढ़ छपरा, जिला जींद, हरियाणा	05.02.2021	सड़क दुर्घटना
18.		करमबीर (आयु 50 वर्ष) पुत्र दरिया सिंह पता सिंहवाल नरवाना जींद हरियाणा।	07.02.2021	फांसी के कारण

19.		करमबीर सिंह (आयु 50 वर्ष) पुत्र हवा सिंह पता गुढ़ा जिला झज्जर	07.02.2021	तेज दर्द के कारण इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई
20.		दीपक (आयु 32 वर्ष) पुत्र राजेंद्र सिंह पता बांसी, जिला रोहतक, हरियाणा,	08.02.2021	ट्रॉली से गिरने के कारण सिर में चोट लगी और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई
21.	सिरसा	कमलप्रीत पुत्र सरवन सिंह उम्र 47 वर्ष, गांव हबुआना, थाना सदर डबवाली, जिला सिरसा	05.12.2020	अचानक जमीन पर गिरने के कारण

मृतक व्यक्तियों की सूची, जो अन्य राज्य के निवासी थे

क्रम संख्या	जिला	मृतक का विवरण	मृत्यु की तिथि	मौत का कारण
1.	**अम्बाला**	गुरप्रीत सिंह पुत्र जगतार सिंह, गांव मक्केवाल, थाना काठगढ, जिला होशियारपुर, पंजाब आयु 21	16.12.2020	सड़क दुर्घटना
2.	**सोनीपत**	सुरेंदर पुत्र मेजर सिंह, गांव हसनपुर खुर्द, काठगढ, जिला नवांशहर, पंजाब आयु 50	05.12.2020	सड़क दुर्घटना
3.		भाग सिंह पुत्र तिरलोक सिंह, गांव बढ़वाल, जिला लुधियाना, पंजाब, आयु 76	11.12.2020	दिल का दौरा
4.		मक्खन खान पुत्र चाँद खान, गांव भिंडर कलां, जिला मोगा, पंजाब आयु 40/45	14.12.2020	दिल का दौरा
5.		गुरमीत पुत्र तेजा सिंह, गांव कंडाला, जिला मोहाली, पंजाब आयु 62	15.12.2020	दिल का दौरा
6.		पाला सिंह पुत्र जोरा सिंह गांव सहोली, जिला पटियाला, पंजाब आयु 62	16.12.2020	दिल का दौरा
7.		भीम सिंह पुत्र रण सिंह, गांव चुन्हेरी, जिला संगरूर, पंजाब आयु 42	17.12.2020	श्वासावरोध के कारण
8.		शमशेर सिंह पुत्र निर्भय सिंह, गांव लेड़ा, जिला संगरूर, पंजाब आयु 45	03.01.2021	दिल का दौरा
9.		अमरिंदर पुत्र सेवा सिंह, गांव फतेगढ़ साहिब, पंजाब आयु 40/45	09.01.2021	जहरीला पदार्थ खाने के कारण
10.		लाभ सिंह पुत्र जगीर सिंह, वासी सिरथला, जिला लुधियाना, पंजाब आयु 50	11.01.2021	जहरीला पदार्थ सेवन करने के कारण
11.		जगजीत सिंह पुत्र गुरमेल सिंह, वासी डाथ, जिला लुधियाना, पंजाब ,आयु 34	20.01.2021	दिल का दौरा
12.		जोगिन्दर सिंह पुत्र भान सिंह वासी जिला तरनतारन, पंजाब आयु 68	03.02.2021	दिल का दौरा
13.		जसमेर सिंह पुत्र अमरजीत सिंह वासी छाननवाला, जिला बरनाला, पंजाब आयु 50	03.02.2021	दिल का दौरा
14.		दर्शन सिंह पुत्र अमर सिंह वासी मोग्गा, पंजाब	09.02.2021	दिल का दौरा
15.		हंसा सिंह पुत्र बूटा सिंह गांव सैद मोहम्मद जिला मोगा पंजाब।	11.02.2021	दिल का दौरा
16.	**झज्जर**	जनक राज उम्र 65 साल पुत्र प्रीतम सिंह वासी धनवाला मंडी जिला बरनाला पंजाब	28/29.11.2020	कार में जलने के कारण

17.		गज्जन सिंह उम्र 55 साल पुत्र पाल सिंह वासी गांव खतरा भगवानपुर लुधियाना, पंजाब	29.11.2020	दिल का दौरा
18.		लखवीर सिंह उम्र 55 साल पुत्र मुख्तयार सिंह वासी तलवंडी जिला भटिण्डा, पंजाब	09.12.2020	वह सीने में दर्द, उल्टी और सांस लेने में कठिनाई से पीड़ित था
19.		गुरजेंट सिंह उम्र 72 साल पुत्र राम सिंह वासी बिछोना जिला मनसा पंजाब	02.12.2020	स्वास्थ्य कारणों से
20.		मेवा सिंह उम्र 49 साल पुत्र रतन सिंह वासी खोते तहसील निहाल सिंह वाला जिला मोगा पंजाब	08.12.2020	दिल का दौरा
21.		कृष्ण लाल उम्र 65 साल पुत्र मलिक राम वासी मकान न. 170 वार्ड 17/A महेश नगर, घोरी पंजाब	10.12.2020	दिल का दौरा
22.		जयसिंह उम्र 37 साल पुत्र कुलदीप सिंह वासी तुगांवाली जिला भटींडा पंजाब	17.12.2020	दिल का दौरा
23.		अमरिक सिंह उम्र 75 साल पुत्र दलीप सिंह वासी गीलावाली जिला गुरूदासपुर पंजाब	27.12.2020	दिल का दौरा
24.		अमरजीत सिंह उम्र 55 साल पुत्र गुरबक्स सिंह वासी फाजिल्का पंजाब	27.12.2020	कोई जहरीला पदार्थ खाने के कारण
25.		जगसीर सिंह उम्र 45 साल पुत्र जरनल सिंह वासी भादरा मानसा पंजाब	29.12.2020	सड़क दुर्घटना
26.		जसनप्रीत उम्र 18 साल पुत्र गुरमाल सिंह वासी चावकु भटिंडा पंजाब	02.01.2021	नशे की हालत में सरकारी अस्पताल बहादुरगढ़ लाया गया था
27.		जगदीष सिंह उम्र 60 साल पुत्र गमदुर सिंह वासी लुडेवाला जिला श्री मुक्तसर साहिब पंजाब	11.01.2021	दिल का दौरा
28.		अवतार सिंह उम्र 80 साल पुत्र जागीर सिंह वासी लोहरा जिला श्री मुक्तसर साहिब पंजाब	12.01.2021	मृत अवस्था में सरकारी अस्पताल बहादुरगढ़ लाया गया था
29.		जगीर सिंह उम्र 83 साल पुत्र सोहन सिंह वासी सदरान छाजली जिला संगरूर पंजाब	15.01.2021	मृत अवस्था में सरकारी अस्पताल बहादुरगढ़ लाया गया था
30.		बोहर सिंह उम्र 35 साल पुत्र कुलवंत सिंह वासी भिटीवाला जिला मुक्तसर साहिब पंजाब	16.01.2021	मृत अवस्था में सरकारी अस्पताल बहादुरगढ़ लाया गया था
31.		धन्ना सिंह उम्र 65 साल पुत्र छज्जु उर्फ सज्जु सिंह वासी टुंगा जिला पटीयाला पजांब	20.01.2021	दिल का दौरा
32.		भोला सिंह उर्फ हरविन्द्र उम्र 48 साल पुत्र भजनसिंह वासी खुडल कलां जिला मानसा पजांब	23.01.2021	मृत अवस्था में सरकारी अस्पताल बहादुरगढ़ लाया गया था
33.		उगर सिंह उम्र 50 साल पुत्र अजमेर सिंह वासी धेडा जिला भटिण्डा पजांब	24.01.2021	स्वास्थ्य कारणों से
34.		गुरमीत सिंह उम्र 48 साल पुत्र गुरनाम सिंह वासी गांव ढींगर जिला मानसा पजांब	25.01.2021	मृत अवस्था में सरकारी अस्पताल

				बहादुरगढ़ लाया गया था
35.		जगसीर सिंह उम्र 50/52 साल पुत्र पिरथी सिंह वासी गांव पाकशोके जिला बरनाला पजांब	29.01.2021	मृत अवस्था में सरकारी अस्पताल बहादुरगढ़ लाया गया था
36.		आशु सिंह उम्र 32 साल पुत्र शेर सिंह वासी गांव बिरकलां जिला संगरूर पजांब	31.01.2021	मृत अवस्था में सरकारी अस्पताल बहादुरगढ़ लाया गया था
37.		सन्दीप सिंह उम्र 25/26 साल पुत्र रामलाल वासी गांव रामपुर छैना जिला संगरूर पजांब	02.02.2021	मृत अवस्था में सरकारी अस्पताल बहादुरगढ़ लाया गया था
38.		गुरजंट सिंह उम्र 55 साल पुत्र बेसाखा सिंह वासी गांव **चीमा** जिला संगरूर पजांब	02.02.2021	दिल का दौरा
39.		बबली उम्र 42 साल पुत्र जीता सिंह वासी गांव भादरा जिला मानसा पजांब	05.02.2021	सड़क दुर्घटना
40.		सुखवीन्द्र उम्र 60 साल पुत्र दलीप सिंह वासी गांव धुरकोट रसीन जिला मौगा पजांब	07.02.2021	अज्ञात कारणों से
41.		लक्खा सिंह उम्र 70 साल पुत्र बाजा सिंह वासी गांव कलोडी जिला संगरूर पजांब	07.02.2021	अज्ञात कारणों से
42.		शमशेर सिंह उम्र 54 साल पुत्र सांगा सिंह वासी गांव झोला जिला लुधियाणा पजांब	16.02.2021	अज्ञात कारणों से
43.		गुरदास सिंह उम्र 60 साल पुत्र भरत सिंह वासी गांव गुडडा जिला भटिंडा पजांब	17.02.2021	सड़क दुर्घटना
44.		अजायब सिंह उम्र 58 साल पुत्र गुरदेव सिंह वासी गांव गुडडा जिला भटिंडा पजांब	17.02.2021	सड़क दुर्घटना
45.	**भिवानी**	तान्हा सिंह पुत्र गुरजनार सिंह गांव ख्याली छायला जिला मानसा पंजाब, आयु 45	27.11.2020	सड़क दुर्घटना
46.	**हिसार**	जितेंदर पुत्र सुखपाल वासी सरदूलगढ़ मानसा पंजाब	17.12.2020	सड़क दुर्घटना
47.		करणी पुत्र सतपाल वासी बिशनपुरा जिला गंगा नगर राजस्थान वर्तमान में वासी महाराणा पंजाब नारणपुरा	22.01.2021	सड़क दुर्घटना

To Construct New Building of Bus Stand

***975. Shri Jogi Ram Sihag:** Will the Transport Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the building of Barwala Bus Stand is in dilapidated condition; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new building of abovesaid Bus Stand togetherwith the details thereof?

परिवहन मंत्री (पण्डित मूलचन्द शर्मा) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) बिन्दु (क) में दिये गये उत्तर के मध्यनज़र इसका प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

.....

To Return Sector Land to The Farmers

***925. Shri Deepak Mangla**: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) Whether it is a fact that Sector-12 has been developed by the Government in Palwal in the year 2011 but further development has not been made in the said sector so far; and

(b) If so, whether there is any proposal under consideration of the Government to release the land of abovesaid sector and return it to the farmers by conducting the survey of the area again, together with the time by which the above said proposal is likely to be materialized?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : (क) हाँ, श्रीमान् जी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने सैक्टर–12 पलवल का विकास व भूखंडो का आबंटन किया है, केवल 19.422 एकड़ विवादास्पद क्षेत्र को छोड़कर ।

(ख) 19.422 एकड़ क्षेत्र जो कि विवाद के अधीन था को छोड़कर, इस सैक्टर की 117.968 एकड़ भूमि पर अगस्त 2013 में विकास कार्य पूर्ण हो गए थे । 327 आवासीय भूखण्ड भी आबंटित हैं। पहले से ही विकसित और आबंटित सैक्टर की भूमि को भू–स्वामियों को वापिस करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

.....

Status of Vidhayak Adarsh Gram Yojna

***921. Shri Bishan Lal Saini:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that Vidhayak Adarsh Gram Yojna (VAGY Grant) has been put on hold by the Government in State; if so, the time by which it is likely to be started again?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : नहीं श्रीमान जी, विधायक आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत विधान सभा के माननीय सदस्यों द्वारा वर्ष 2019–20 में पहले से ही

चयनित किए गए विकास कार्यों के लिए धनराशि वित्तीय वर्ष 2020–21 के बजट से स्वीकृत की जा रही है।

.....

Construction of Road

***773. Shri Subhash Gangoli:** Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the road from village Gangoli to Dharoli–Bhirtana road via Devi Mandir of Safidon Assembly Constituency; if so, the time by which it is likely to be constructed?

कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : जी नहीं, श्रीमान्; प्रश्न के इस भाग का सवाल ही नहीं उठता।

.....

To Start Admission in D.Ed

***802. Smt. Geeta Bhukkal:** Will the Education Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the admissions have been discontinued in D.Ed/JBT course in 21 DIETs and 2 GETTIs in State since 2018; if so, the reasons thereof; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to start admissions in abovesaid courses togetherwith the details thereof?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : (क) श्रीमान, दो राजकीय मौलिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में डी0एल0एड0 कोर्स जारी है। वर्ष 2018 से डाईटों को शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण की ओर केन्द्रित कर दिया गया है, नतीजतन डी0एड0 में नए दाखिले को रोक दिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में प्राथमिक शिक्षकों की आवश्यकता का आंकलन किया जा रहा है।

.....

To Extend the Limit of MC Indri

***896. Shri Ram Kumar Kashyap:** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to extend the limits of Municipal

Council, Indri; if so, the time by which the abovesaid proposal is likely to be materialized?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज) : हाँ, श्रीमान जी।

नगरपालिका, इन्द्री की सीमावृद्धि के मामले को हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 की धारा 4 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रक्रिया अपनाकर अंतिम रूप दिया जाएगा।

.....

To Make Toll Tax Free Entry in Faridabad

***742. Shri Neeraj Sharma:** Will the Deputy Chief Minister be plesased to state-

(a) whether it is a fact that there is no road to enter in Faridabad without paying the toll tax either from Delhi side or Uttar Pardesh; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to mak provisions for toll tax free entry in Faridabad togetherwith the details thereof?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : (क) नहीं श्रीमान जी। फरीदाबाद में प्रवेश करने के लिए 9 सड़कों में से 7 सड़कें ऐसी है जो टोल फ्री हैं, जिनका विवरण निम्न हैं:–

(i) छतरपुर (दिल्ली) से गुरूग्राम फरीदाबाद रोड वाया फतेहपुर बेरी व डेरा मंडी।

(ii) लाल कुआं, बदरपुर महरौली सड़क (दिल्ली) से सूरजकुंड (फरीदाबाद) वाया पुल पेहलादपुर।

(iii) बदरपुर महरौली रोड (दिल्ली) से सूरजकुंड (फरीदाबाद) वाया डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज।

(iv) मदनपुर खादर (दिल्ली) से फरीदाबाद वाया बसंतपुर, ददसिआ व महावतपुर।

(v) कालिंदी कुंज (उत्तर प्रदेश) से फरीदाबाद (आगरा नहर के साथ–साथ)।

(vi) हामिदपुर (गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश) से मोहना (फरीदाबाद) वाया चांदहट, रामपुर खोर व अमरपुर।

(vii) रबूपुरा (गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश) से मोहना (फरीदाबाद) वाया सोलरा व बागपुर कलां।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

To Release Grants for Development

***772. Shri Varun Chaudhry:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state the time by which the grants of Rs. five crores for development works in the Mullana Assembly constituency with respect to Chief Minister announcement number 25284 are likely to be released?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : हॉ, श्रीमान जी, मुख्यमंत्री घोषणा कोड 25284 के तहत मुलाना विधानसभा क्षेत्र को मु0 75,76,000/– की राशि स्वीकृत कर दी गई है। इसके अतिरिक्त जैसे ही इस कोड के तहत बकाया राशि के प्राकलन जिला प्रशासन से प्राप्त होंगे, तदानुसार राशि स्वीकृति उपरान्त जारी कर दी जाएगी।

.....

Total Amount Received For CRSU Jind

***746. Dr. Krishan Lal Middha:** Will the Education Minister be pleased to state-

(a) the total amount released by the Government for the Chaudhary Ranbir Singh University, Jind during the financial year 2015-16 to year 2020-21 togetherwith the details thereof; and

(b) total income earned by the University during the financial year 2018-19 to 2020-21 togetherwith the sources of income thereof alongwith the details of the works on which the said amount has been spent?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : (क) तथा (ख) श्रीमान जी, एक वक्तव्य सदन के पटल पर रखा गया है।

वक्तव्य

(क) श्रीमान जी, सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2020–21 के दौरान चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जींद को कुल 105.18 करोड रु0 की राशि जारी की गई है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

(रु0 लाख में)

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	जारी की गई राशि
1	2015-16	2000.00
2	2016-17	2000.00

3	2017-18	2000.00
4	2018-19	2018.04
5	2019-20	2500.00
6	2020-21	0.00
	कुल जोड	**10518.04**

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के पक्ष में 2500.00 लाख रु0 की राशि का प्रावधान किया गया है, जिसकी जल्द ही जारी होने की संभावना है।

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2020–21 के दौरान अपने सभी स्त्रोतो से प्राप्त आय का विवरण व जिन–जिन कार्यों पर इस राशि को खर्च किया गया है का विवरण निम्नानुसार है :–

(रु0 लाख में)

क्रमांक	**आय के स्त्रोत**	**अर्जित आय 2018–19**	**अर्जित आय 2019–20**	**अर्जित आय 2020–21 (31.12.2020 तक)**
1.	ट्यूशन फीस	32.31	20.28	16.55
2.	परीक्षा शुल्कः	424.72	901.23	385.80
3.	अन्य शुल्क और निधि	2538.79	2508.58	798.57
4.	मीयादी जमा पर ब्याज	420.19	497.07	271.64
5.	ऑनलाईन प्रवेश फार्म शुल्क	8.51	10.35	9.89
6.	अन्य आय और किराया	698.55	342.23	139.42
	कुल रकम	**4123.07**	**4279.74**	**1621.87**

चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 से 2020–2021 तक विभिन्न कार्यों में खर्च की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

(रु0 लाख में)

क्रमांक	**खर्च का विवरण**	**2018–19**	**2019–20**	**2020–21 (31.12.2020 तक)**
1.	निर्माण परियोजनाएं	2118.29	2971.46	129.00
2.	उपकरण/फर्नीचर	137.44	195.56	150.14

3.	पुस्तकों की खरीद	32.58	38.28	8.83
4.	वेतन (शिक्षक) वेतन (गैर शिक्षक)	540.84	645.58	553.52
5.	एल.टी.सी.	8.86	1.78	0.00
6.	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	1.00	0.21	0.00
7.	यात्रा व्यय	34.79	37.80	18.05
8.	कार्यालय व्यय	71.62	66.71	22.39
9.	पी.ओ.एल.	4.68	8.25	6.71
10.	कानूनी व्यय	0.78	0.93	1.45
11.	मजदूरी	386.18	490.59	522.27
12.	विज्ञापन/बिजली/दुरभाष बिल	58.98	52.36	88.16
13.	परीक्षाओं का संचालन	448.88	435.08	209.12
14.	मुरम्मत एवं रख–रखाव	51.32	99.61	40.16
15.	विश्वविद्यालय सदस्यता शुल्क	0.49	0.49	0.00
16.	शुल्क/सुरक्षा का रिफंड	58.70	4.47	1.64
17.	लेखा–परीक्षण शुल्क	13.27	0.62	0.00
18.	डिजिटल विश्वविद्यालय फ्रेमवर्क/वाई–फाई	69.35	106.36	0.00
19.	सम्मेलन /संगोष्ठी	23.41	48.65	12.51
20.	बागवानी/पानी और बगीचा शुल्क	09.88	8.00	7.94
21.	ऋण और अग्रिम राशि	0.51	0.00	16.72
22.	अन्य व्यय	40.91	173.84	137.42
23.	खेल व्यय	18.56	47.58	38.68
24.	वाहन की खरीद	22.13	0.00	0.00
25.	प्रशिक्षु को वजीफा का भुगतान	09.15	2.77	1.87
26.	सामाजिक आउटरीच गतिविधियां	0.00	0.00	0.00
27.	छुट्टी के बदले नकद भुगतान	0.00	0.00	3.60
28.	अनुग्रह सहायता	0.00	0.00	0.00
	कुल रकम	**4162.6**	**5436.98**	**1970.18**

.....

To Open a Government Girls College

***828. Shri Lila Ram:** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Government Girls College in Kaithal?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : नहीं, श्रीमान् जी।

.....

To Provide Basic Amenities to Farmers

***1053. Shri Balraj Kundu:** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide the basic amenities like electricity, water, cleanliness and health to the farmers and labourers agitating in Kisan Dharna on the border of Delhi in State; if so, the details thereof? :-

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज) : हाँ श्रीमान जी। नगरपालिकाओं द्वारा स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने हेतु लगभग 118 कर्मचारियो को लगाया गया हैं। लगभग 750 शौचालय सीटो की सुविधा आंदोलन स्थलों पर उपलब्ध कराई गई हैं । एनएच –44 और टिकरी बॉर्डर से जाखोड़ा बॉर्डर तक स्ट्रीट लाइट की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराई गई है। धरना स्थलों पर पानी के टैंकरों के माध्यम से पीने के पानी की आपूर्ति की जा रही है और इस उद्देश्य से जल भंडारण इकाइयाँ भी स्थापित की गई हैं। 10 एंबुलेंस और 10 बाइक एंबुलेंस को एनएच –44 के धरना स्थल पर तैनात किया गया है तथा 4 एंबुलेंस को टिकरी बॉर्डर पर तैनात किया गया है।

.....

Construction of Police Station

***899. Shri Kuldeep Vats:** Will the Home Minister be pleased to State-Whether it is a fact that 6 Acres land have been provided to the Govt. for construction of Police Station Badli and Machhrouli but no action has been taken in this regard so far; if so, the time by which the action is likely to taken by the Government on the said proposals?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : जी श्रीमान, पुलिस थाना बादली व माछरौली जिला झज्जर के भवनों का मामला सरकार के पास प्रक्रियाधीन है।

.....

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

To Solve the Problem of Sewerage

183. Shri Neeraj Sharma: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) Whether it is a fact that there is problem of sewerage in ward No. 1,3,5,6,7,8,9 and 10 of NIT Faridabad Assembly Constituency; and

(b) If so, the steps taken or likely to be taken by the Government to solve the above said problem?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज) :

(क) हाँ, श्रीमान जी।

(ख) नगर निगम, फरीदाबाद नियमित रूप से एन0आइ0टी0 फरीदाबाद के वार्ड न0 1,3,5,6,7,8,9 और 10 की सीवर लाइन के संचालन और रखरखाव का कार्य सुपर सकर मशीन, जेटिंग मशीन और बाल्टी टाइप मशीन की मदद से कर रहा है। इसके अलावा, वार्ड न0 1,3,5,6,8 और 10 में दिन–प्रतिदिन सीवरेज नेटवर्क के संचालन और रखरखाव के लिए कार्य आवंटित किया गया है और वार्ड न0 7 और 9 के लिए निविदाये आमंत्रित की गयी है। साथ ही साथ, वार्ड न0 1,3,5 और 7 में सीवर ओवरफ्लो की समस्या को हल करने के लिए 72" की मुख्य सीवर लाइन की डिसिल्टिंग का कार्य भी प्रगति पर है। उपरोक्त के अलावा शेष क्षेत्रों में सीवर लाइन बिछाने का प्रस्ताव अमृत योजना में शामिल किया गया है।

Total Employees on Contract Basis

180. Dr. Krishan Lal Middha: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the number of total employees working on contract basis in Jind circle of Irrigation Department;

(b) the total amount spent on salary of abovesaid employees from the financial year 2017-18 to financial year 2020-21; and

(c) the details of the employees who have been given salary togetherwith their name and address?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : (क) श्रीमान जी, इस समय सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के जीन्द परिमण्डल के अन्तर्गत 101 कर्मचारी अनुबंध के आधार पर कार्यरत हैं ।

(ख) श्रीमान जी, वित्त वर्ष 2017–18 से वित्त वर्ष 2020–21 तक इन कर्मचारियों को कुल 45604843/– रु0 (चार करोड़ छप्पन लाख चार हजार आठ सौ तरतालिस रु0) का वेतन दिया गया है।

(ग) श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के जींद परिमण्डल में अनुबंध के आधार पर वर्तमान में कार्यरत् कर्मचारियों की सूची निम्नानुसार हैः–

क्रमांक	अनुबंधित कर्मचारी का नाम	पिता का नाम (श्री/सर्वश्री)	पद का नाम	पता
1	साहब सिंह	अभय राम	बेलदार	गांव भागखेड़ा तहसील सफीदों, जिला जींद
2	विक्रम	शीशपाल	बेलदार	गांव मुहाना तहसील सफीदों जिला जींद
3	पाले राम	भगवान	बेलदार	गांव अंटा तहसील सफीदों जिला जींद
4	रमेशचन्द्र	सूरता	बेलदार	गांव भूसलाना तहसील सफीदों जिला जींद
5	सचिन	सुधीर	बेलदार	गांव हाट् तहसील सफीदों जिला जींद
6	चन्द्र	सुबे सिहं	बेलदार	गांव सरना तहसील सफीदों जिला जींद
7	कुलदीप	जापान सिहंह	बेलदार	गांव अंटा तहसील सफीदों जिला जींद
8	सचिन	सुधीर	बेलदार	गांव हाट् तहसील सफीदों जिला जींद
9	अनिल	राजकुमार	बेलदार	गांव अंटा तहसील सफीदों जिला जींद
10	सनी	पालेराम	बेलदार	गांव अंटा तहसील सफीदों जिला जींद
11	गुरविन्द्र	चरणजीत	बेलदार	गांव निम्नाबाद तहसील सफीदों जिला जींद
12	कुलदीप	हवा सिंह	बेलदार	गांव बिटानी तहसील एवं जिला जींद
13	महिन्द्र	मानचन्द	बेलदार	गांव मुआना तहसील सफीदों जिला जींद
14	दीपक	हवा सिंह	बेलदार	मकान नं0 352 खादी आश्रम हाट् रोड़ सफीदों जींद
15	ध्रुव	राजिन्द्र	बेलदार	गांव मुआना तहसील सफीदों जिला जींद
16	राहुल	जय भगवान	बेलदार	गांव मुआना तहसील सफीदों जिला जींद
17	अनिल	लक्ष्मण सिंह	बेलदार	गांव अंटा तहसील सफीदों जिला जींद
18	जगबीर	रीश्र पाल	बेलदार	गांव सिवाहा तहसील सफीदों जिला जींद
19	धर्मवीर	किशन	बेलदार	गांव बागडु तहसील सफीदों जिला जींद
20	ईश्वर	लालू राम	बेलदार	गांव रेहरा तहसील सफीदों जिला जींद
21	कर्मजीत	भूलाराम	बेलदार	मकान नं0 353 खादी आश्रम हाट् रोड़ सफीदों जींद
22	राम मेहर	बाले राम	कैनाल पटवारी	गांव पिण्डारा, जिला जीन्द

क्रमांक	अनुबंधित कर्मचारी का नाम	पिता का नाम (श्री/सर्वश्री)	पद का नाम	पता
23	राम निवास	राम कृष्ण	कैनाल पटवारी	गांव कंडैला, जिला जीन्द
24	विजेन्द्र सिंह	रणबीर सिंह	कैनाल पटवारी	गांव मिर्चपुर, जिला हिसार
25	बदन सिंह	मिया सिंह	कैनाल पटवारी	गांव बरसाना, जिला जीन्द
26	बालकिशन	रामेश्वर	कैनाल पटवारी	गांव गिमाना, जिला जीन्द
27	रणदीप सिंह	आनंद सिंह	कैनाल पटवारी	गांव जामनी, जिला जीन्द
28	दिलबाग सिंह	हरिचंद	कैनाल पटवारी	गांव बालु, जिला कैथल
29	दलबीर सिंह, ए0आर0सी0(रिटार्यड)	महा सिंह	कैनाल पटवारी	गांव संगतपुरा, जिला जीन्द
30	चन्द्र सिंह, जिलेदार (रिटार्यड)	कृष्ण लाल	कैनाल पटवारी	पटियाला चौक जीन्द
31	विनोद कुमार	ओम सिंह	कैनाल पटवारी	गांव मोर खेड़ी, रोहतक
32	रामनिवास	जगु राम	कैनाल पटवारी	गांव पोली, हिसार
33	धर्म पाल	गिरदारी लाल	कैनाल पटवारी	गांव जाखोली, कैथल
34	रामफल	रामा राम	कैनाल पटवारी	जुलाना, जीन्द
35	नरेश कुमार	रामजी दास	कैनाल पटवारी	जुलाना, जीन्द
36	राज कुमार	कांशी राम	कैनाल पटवारी	न्यू पयोदा रोड़ कैथल
37	कृष्ण लाल, डिप्टी कलैक्टर (रिटार्यड)	भरत सिंह	कैनाल पटवारी	गांव असन, जिला जीन्द
38	सुरेश कुमार, ए0आर0सी0(रिटार्यड)	मान सिंह	कैनाल पटवारी	गांव भेरिया खेड़ा जिला जीन्द
39	मंगत राम, कैनाल पटवारी (रिटार्यड)	बाला राम	कैनाल पटवारी	गांव लुदाना, जिला जीन्द
40	सतबीर, कैनाल पटवारी (रिटार्यड)	रामजी लाल	कैनाल पटवारी	गांव खरेटी, जिला जीन्द
41	सरदारा, कैनाल पटवारी (रिटार्यड)	सूरत सिंह	कैनाल पटवारी	जुलाना, जीन्द
42	सत्यावान, ए0आर0सी0(रिटार्यड)	ओम सिंह	कैनाल पटवारी	गांव करसौला, तहसील जुलाना, जिला जीन्द
43	बलजिन्द्र सिंह	गोपी राम	कैनाल पटवारी	सफीदो, जीन्द
44	मोहन लाल	अर्जुन दास	कैनाल पटवारी	गोहाना, सोनीपत
45	रमेश कुमार	अमृत लाल	कैनाल पटवारी	गांव तेली खेड़ा, जिला जीन्द
46	नरेन्द्र कुमार	सतपाल	कैनाल पटवारी	गांव जजवान, जिला जीन्द
47	जयपाल	राम करण	कैनाल पटवारी	जुलाना, जीन्द
48	प्यारे लाल, ए0आर0सी0(रिटार्यड)	कुंदन लाल	कैनाल पटवारी	जुलाना, जीन्द
49	राम निवास,	मुंशी राम	कैनाल	गांव सीवाहा, जीन्द

	ए0आर0सी0(रिटार्यड)		पटवारी	
50	लक्ष्मी नारायण, कैनाल पटवारी (रिटार्यड)	रिशाल सिंह	कैनाल पटवारी	पिल्लुखेड़ा, जीन्द
51	रामपाल	संधू राम	कैनाल पटवारी	गांव बालू, जिला कैथल
52	दर्शन लाल	सिंदा	कैनाल पटवारी	गांव सिरसा खेड़ी, तहसील जुलाना, जिला जीन्द
53	किताब सिंह, आर0 सी0 (रिटार्यड)	विरखा राम	कैनाल पटवारी	गांव केर खेड़ी, जिला जीन्द
54	रमेश कुमार	चन्द्र दत	कैनाल पटवारी	गांव खरक रामजी, जिला जीन्द
55	करम सिंह	सूरत सिंह	कैनाल पटवारी	गांव लुदाना, जीन्द
56	धर्मवीर	जीत सिंह	कैनाल पटवारी	गांव जाजवन्ती, जिला जीन्द
57	होशियारा	सरदारा	कैनाल पटवारी	चन्द्रलोक कालोनी, जीन्द
58	करतार	रामेश्वर	कैनाल पटवारी	सुभाष नगर, जीन्द
59	सतबीर सिंह	भगत राम	कैनाल पटवारी	गांव रत्ता खेड़ा, तहसील सफीदो, जिला जीन्द
60	सतबीर सिंह	दया सिंह	कैनाल पटवारी	गांव टिटो खेड़ी, तहसील सफीदो, जिला जीन्द
61	करण सिंह	अमर सिंह	कैनाल पटवारी	गांव रत्ता खेड़ा, तहसील सफीदो, जिला जीन्द
62	जिले सिंह	रघुबीर सिंह	कैनाल पटवारी	गांव मलार, तहसील सफीदो, जिला जीन्द
63	महावीर सिंह	लाल सिंह	कैनाल पटवारी	गांव हट्ट, तहसील सफीदो, जिला जीन्द
64	रामफल	शेर सिंह	चौकीदार	गांव जुलानी, जीन्द
65	प्रेम सिंह	श्रीचन्द	चौकीदार	गांव बुआना, जीन्द
66	सतकवार	धर्मपाल	चौकीदार	विश्वकर्मा कालोनी, जीन्द
67	शिव कुमार	मोती राम	लिपिक	बारबार गली, मैन बाजार, जीन्द
68	प्रशांत	पाले राम	गेज रीडर	आर्दश कालोनी, नजदीक सरकारी स्कूल, सफीदो, जीन्द
69	सचिन	सुभाष चन्द	गेज रीडर	गांव बागडू, तहसील सफीदो, जिला जीन्द
70	राहुल	घनशाम दास	गेज रीडर	मकान न0 341 हठ रोड़, सफीदो, जिला जीन्द
71	जितेन्द्र	चन्द्र भान	जे0 ई0	जुलाना, जीन्द
72	रोहित	जग महेन्द्र	जे0 ई0	जुलाना, जीन्द
73	विक्रम सिंह	राजपाल	जूनियर प्रोग्रामर	गांव घासो, तहसील नरवाना, जीन्द
74	अमित	सत्यावान	माली	गांव सरना खेड़ी, तहसील सफीदो, जिला जीन्द
75	विजय	कर्मबीर	माली	मकान न0 1805 गांव सिगाना, तहसील सफीदो, जिला जीन्द
76	अजय शर्मा	जय भगवान	एम0टी0एस0	गांव इंटल खुर्द, जिला जीन्द
77	विकास	रोहताश	एम0टी0एस0	रत्न कालोनी वार्ड न0 1, जीन्द
78	अंकित	महाबीर सिंह	एम0टी0एस0	गांव कगसर, हिसार
79	दीपक कपूर	राजेन्द्र सैनी	एम0टी0एस0	अपराई मोहल्ला, जीन्द
80	राजेश कुमार	ओम प्रकाश	एम0टी0एस0	गांव डूमरखां, तहसील नरवाना, जिला जीन्द
81	विनय	रामबीर	एम0टी0एस0	भट्नागर कालोनी, जीन्द
82	विजय देवली	रामेश्वर	एम0टी0एस0	भगत सिंह कालोनी, जीन्द

83	दीपक	चन्द्र दत्त	एम0टी0एस0	गांव जीतगढ़, जिला जीन्द
84	कुलदीप	प्रताप सिंह	एम0टी0एस0	पंजाबी बाजार, जिला जीन्द
85	भूपेन्द्र सिंह	रणजीत सिंह	एम0टी0एस0	गांव कलायत, जिला कैथल
86	सुमित	सतबीर	एम0टी0एस0	डाकखाना झानझा कलां, जिला जीन्द
87	सतीश	प्रेम सिंह	एम0टी0एस0	गांव डंडेरी, तहसील हांसी, जिला हिसार
88	बारू राम	चंदगी राम	एम0टी0एस0	गांव ढिगाना, तहसील जुलाना, जिला जीन्द
89	फुल चन्द चोपडा	बोदितमल	एम0टी0एस0	जैन नगर नजदीक झानज गेट,जीन्द
क्रमांक	**अनुबंधित कर्मचारी का नाम**	**पिता का नाम (श्री/सर्वश्री)**	**पद का नाम**	**पता**
90	कृष्ण	सूरज मल	पार्ट टाईम स्वीपर	गांव खरक रामजी, जिला जीन्द
91	संजय	सुभाष	पार्ट टाईम स्वीपर	भिवानी रोड़, जीन्द
92	अजय	मांगे राम	पार्ट टाईम स्वीपर	राजा की कोटी वाली बस्ती, जिला जीन्द
93	रानी	पति अजय	पार्ट टाईम स्वीपर	राजा की कोटी वाली बस्ती, जिला जीन्द
94	राजेन्द्र सिंह	प्रताप सिंह	पार्ट टाईम स्वीपर	पटियाला चौंक, जिला जीन्द
95	सत्यावान	बनारसी	पार्ट टाईम स्वीपर	अजमेर बस्ती, जीन्द
96	सोनू	पति राकेश	पार्ट टाईम स्वीपर	अजमेर बस्ती, जीन्द
97	प्रेम सिंह	पृथ्वी सिंह	सिगनेलर	गांव मुढ़ाल जिला भिवानी
98	राजीव कुमार	सुखपाल	सिगनेलर	जुलाना, जींद
99	संजय	रीश्रल सिंह	सिगनेलर	गांव मुआना, तहसील सफीदों, जिला जींद
100	रामकुमार	नेकी राम	सिगनेलर	गांव पाण्डु पिण्डारा, जींद
101	सुमित	सुलतान	स्वीपर	मकान नं0 430, वाल्मिकी बस्ती, हांसी रोड़, करनाल

Provision to Include Small Entreprneurs of SCs and BCs

296. Shri Jaiveer Singh:

Shri Shishpal Singh: Will the Welfare of SCs and BCs Minister be pleased to state-

(a) whether any representation regarding tender has been received by the subordinate office of the Welfare of SCs/BCs Department in which the budget related to SC/ST has utillized but there is no provision to included the small enterpreneurs of the first generation of this class in tenders:

(b) if so, the details there of togetherwith the action taken by the Government in this regard alongwith the provisions likely to be made by the Government for inclusion of abovesaid entrepreneurs in tenders: and

(c) whether the Welfare of SCs/BCs Department can make coordinaiton with the other deparments and given suggestion in the matter related to the business and the budget for the economic development of the SC/ST?

सहकारिता मंत्री (डॉ. बनवारी लाल) : श्रीमान जी, (क) व (ख) श्री उमेश बाबू और अन्य, सी–2/181, विजय एन्कलेव, पालम डाबरी रोड, नई–दिल्ली–110045, श्री बिशन सिंह, 16 अभयपुर, औद्योगिक क्षेत्र, चरण–1 पंचकुला तथा श्री टी.के. सिंह, एस.सी.एफ. 643 एस.एफ., गली न. 9 केशो राम कॉम्पैलैक्स, सेक्टर–45 सी चण्डीगढ़ से एक प्रतिवेदन दिनांक 10.12.2020 को प्राप्त हुआ। राज्य सरकार द्वारा अभी तक ऐसी कोई हिदायतें/ दिशा–निर्देश नहीं दिये गये जिसमें अनुसूचित जातियों/जन–जातियों की प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को सार्वजनिक खरीद के लाभ/रियायत में विशेषतः छूट प्रदान की जा सके। तो भी, निविदाओं की शर्तों को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति/संगठन निविदाओं में भाग ले सकता है।

(ग) अनुसूचित जाति/जनजाति के सम्पूर्ण विकास के लिये राज्य में अनसूचित जातियां एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पहले से ही अनुसूचित जाति उप योजना से संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाये हुए है।

Repair of Roads

208. Shri Jagbir Singh Malik: Will the Deputy Chief Minister be pleased to State:-

(a) whether it is a fact that the following roads of Gohana Assembly Constituency are in bad condition -

(i) village Hullaheri approach road from Gohana road;

(ii) village Naina Tatarpur approach road from Mohana;

(iii) village Salarpur Majra approach road from Gohana road;

(iv) village Badshahpur Machhari approach road;

(v) village Kilorad approach road;

(vi) village Garhi Hakikat approach road;

(vii) village Machhari to village Jaji approach road;

(viii) village Mohana approach road; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the said roads together with the time by which these are likely to be repaired?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : (क तथा ख) नहीं, श्रीमान जी।

.....

To Re-line Mandi Minor

196. Shri Subhash Gangoli: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to re-line Mandi minor of Safidon Assembly Constituency; if so, the time by which it is likely to be re-lined?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : नहीं, श्रीमान जी ।

.....

Total Amount Incurred on Advertisement

359. Shri Bharat Bhushan Batra: will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is fact that expenditure has been incurred by the Government from time to time through various modes of the advertisemet of different programmes such as achievements of Government, inauguration ceremony, grting messages, birthday ceremony, death anniversary and cultural functions, etc: and

(b) if so, the following item-wise detail of the total anount incurred on advertising during the period from November, 2014 to 31st January, 2021-

I. Newspapers;
II. Journals;
III. Television;
IV. Pamphlet;
V. Flexes; and
VI. Banner and Hoarding?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : (क) जी हां, श्रीमान्। (ख) नवंबर, 2014 से 31 जनवरी, 2021 की अवधि के दौरान विज्ञापन पर खर्च की गई कुल राशि का मदवार विवरण निन्न रूप से पढ़ा जाए–

क्रमांक संख्या	विज्ञापन का माध्यम	कुल राशि (रूपये में)
1.	समाचार पत्र	Rs.2,80,18,18,929/- (दो सौ अस्सी करोड़ अठारह लाख अठारह हजार नौ से उन्तीस)
2.	पत्रिकाएं	Rs.10,29,62,892/- (दस करोड़ उन्तीस लाख बासठ हजार आठ सौ बानवे)
3.	टेलीविजन	Rs.71,06,95,768/- (इकहत्तर करोड़ छह लाख पचानवे हजार सात सौ अड़सठ)
4.	पत्र	Rs.4,26,90,236/- (चार करोड़ छब्बीस लाख नब्बे हजार दो सौ छत्तीस)
5,6	फ्लेक्स, बैनर और होर्डिंग्स	Rs.19,65,42,862/- (उन्नीस करोड़ पैंसठ लाख बयालीस हजार आठ सौ बासठ)
	कुल व्यय	Rs.3,85,47,10,687/- (तीन सौ पचासी करोड़ सैंतालीस लाख दस हजार छह सौ सतासी)

.....

Details of Funds Allocated

198. Shri Mamman Khan: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) The district wise and department wise details of funds allocated by the Government in State from the financial year 2014-15 to 2020-21; and

(b) The district wise details of funds allocated by the Government under SC/ST welfare schemes in State From financial year 2014-15 to 2020-21 ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): (क) वित्त वर्ष 2014–15 से 2020–21 के लिए धन का विभागवार आवंटन अनुलग्नक ''क'' में दिया गया है। सभी खातों के हैड जिलावार वर्गीकरण के अधीन नहीं है। हालाँकि जिलेवार आवंटन के लिए उपलब्ध विवरणों को अलग से एकत्र किया जा रहा है और इसे सदन के पटल पर रखा जाएगा।

(ख) विभागों द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण योजनाओं के लिए आवंटन सहित धनराशि का जिलावार आवंटन किया जाता है। सभी खातों के हैड जिलावार वर्गीकरण के अधीन नहीं है। हालाँकि जिलेवार आवंटन के लिए उपलब्ध विवरणों को अलग से एकत्र किया जा रहा है और इसे सदन के पटल पर रखा जाएगा।

अनुलग्नक -'क'

परिशिष्ट "क"

वित्त वर्ष 2014–15 से 2020–21 के दौरान विभागवार बजट आबंटन (करोड़ो में)

क्रमांक संख्या	विभाग का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	19199.27	16587.67	16842.46	17024.29	16140.47	27377.69	49046.83
2	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	2910.24	3630.27	4199.28	4875.46	6065.67	6667.81	7870.18
3	सैनिक एवं अर्द्धसैनिक कल्याण	51.80	60.79	71.63	101.34	128.81	211.30	142.05
4	खेल एवं युवा कल्याण	158.24	235.06	283.53	475.36	413.35	401.17	394.09
5	अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण	364.13	366.72	671.63	722.74	735.64	514.18	519.34
6	महिला एवं बाल विकास	1056.59	1195.08	1207.50	1247.25	1377.73	1496.98	1587.35
7	उद्योग एवं वाणिज्य	107.87	154.79	732.88	404.43	403.33	411.10	354.39
8	नगर तथा ग्राम आयोजना	136.08	168.38	97.20	1103.95	1405.00	1883.02	1572.90
9	शहरी स्थानीय निकाय	2070.99	2217.19	3549.11	3869.63	4186.76	3994.95	4916.51
10	आग्निशमन	0.00	0.00	0.00	0.00	36.84	26.73	66.50
11	वन एवं वन्य जीव	316.31	401.33	383.83	457.62	427.17	506.44	761.69
12	पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	6.88	6.97	8.61	6.7	12.42	13.09	12.64
13	खान एवं भूविज्ञान	10.31	13.09	13.85	55.90	73.81	135.28	173.35
14	सूचना प्रौद्योगिकी इलैक्ट्रोनिक एवं संचार	26.68	55.61	86.04	125.56	148.66	152.75	103.46
15	कृषि एवं किसान कल्याण	1254.91	1241.04	1987.20	1927.44	2677.96	2739.89	3789.72
16	पशुपालन एवं डेयरी विकास	576.17	686.18	731.44	746.88	913.43	1026.68	1157.41
17	सहकारिता	552.21	616.24	739.32	647.16	1163.18	1968.12	1400.53
18	मत्स्य पालन	31.15	46.58	47.77	87.92	83.46	73.26	122.42
19	ग्रामीण विकास	653.24	731.42	636.60	883.56	1077.69	816.91	879.06
20	श्रम विभाग	35.93	49.31	53.42	52.00	48.70	53.56	65.73
21	रोजगार विभाग	81.46	78.77	70.72	78.79	236.44	360.20	416.02
22	पर्यटन विभाग	34.70	35.43	69.62	72.14	52.13	48.92	59.93
23	नागर विमानन	13.19	17.61	19.81	20.10	31.27	44.10	173.07
24	परिवहन	2070.28	2261.25	2430.05	2549.47	2612.87	2665.25	2514.92
25	पुलिस	2880.62	3225.18	4026.98	4370.99	5077.22	5437.37	6039.59
26	लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें)	3498.88	3933.72	5261.59	5196.40	4922.84	5394.01	4261.59
27	सिंचाई	2161.72	2310.35	2572.77	2724.26	3660.62	3742.39	5815.60
28	नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा	15.38	27.75	27.41	112.5	112.85	475.91	256.54
29	जन स्वास्थय अभियांत्रिकी	2797.49	2743.55	3128.37	3404.84	3741.71	3627.32	3635.27
30	विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी	23.10	23.57	18.75	96.78	47.07	45.30	51.75
31	विद्युत विभाग	6071.95	7246.85	18751.43	13989.90	15372.16	15115.46	9429.71
32	न्याय प्रशासन	1015.72	1084.49	1233.56	1380.97	1620.14	1867.28	2465.45
33	सामान्य प्रशासन	561.85	520.59	598.38	685.36	771.26	814.41	1123.05
34	आबकारी व कराधान	359.54	403.90	434.28	627.07	524.41	203.08	257.26
35	वित्त व योजना	8397.48	10888.51	9432.28	10715.75	15273.69	18298.81	18746.61
36	निर्वाचन	100.23	58.61	50.76	49.47	62.40	175.64	45.69
37	राजस्व व आपदा प्रबंधन	899.28	1009.51	1078.43	1195.80	1120.95	1452.02	2022.36
38	शिक्षा	9515.68	11502.84	12906.35	13550.02	13723.22	14079.14	18934.14
39	तकनीकी शिक्षा	506.20	489.72	446.42	452.84	447.95	492.72	705.04
40	कौशल विकास व प्रशिक्षण	266.65	288.25	325.37	390.40	572.84	595.06	837.97
41	स्वास्थय व परिवार कल्याण	3068.29	3783.79	3685.97	3705.05	4413.10	4692.65	6295.89
42	पंचायत एवं विकास	670.08	725.46	670.75	1208.82	3224.19	4377.25	5415.73

स्त्रोतः बजट दस्तावेज

.....

Details of Group Housing Projects

202. Shri Rakesh Daultabad: Will the Chief Minister be pleased to state to the details of group housing residential colony licenses (including its expiry date) and occupation certificates issued by the TCP Department to M/s SA Infratech Pvt. Ltd. from the year 2005 to 2020 in various sectors of Gurugram District togetherwith the current status of each project alongwith the action taken or likely to be taken by the Government action against the developer for delay in delivery of its projects?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : जिला गुरूग्राम में वर्ष 2005 से 2020 के बीच ग्राम एंव नगर आयोजना विभाग द्वारा मैसर्स एसए इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटिड को चार लाइसेंस जारी किए है। इन लाइसेंस का विवरण लाइसेंस के नवीनीकरण तथा कब्जा प्रमाण पत्र (ओक्युपेशन सर्टिफिकेट) की स्थिति निम्नानुसार हैः–

क्रम सं0	लाइसेंस नं0	लाइसेंस दिनांक	क्षेत्र (एकड में)	सैक्टर नं0	लाइसेंस समाप्ति की तारीख	ओसी/सीसी जारी करने की तारीख
1	33 OF 2008	19-02-2008	60.51	37D	18.02.2025	30.10.2017 13.12.2017 13.02.2018 13.02.2020
2	12 OF 2009	21-05-2009	13.16	37D	20.05.2024	जारी नही
3	44 OF 2009	14-08-2009	41.78	92	13-08-2015	19.03.2014, 12.08.2015 & 20.12.2017
4	68 OF 2011	21-07-2011	7.04		20-07-2015	

उपरोक्त सभी लाइसेंस परियोजनाएं अभी विकसित हो रही है। यदि लाइसेंसी अपने प्रोजेक्ट को लाइसेंस की समाप्ति अवधि से पहले पुरा नही कर पाता है तो हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास व विनियमन, 1976 का नियम 13, लाइसेंसी को अपने लाइसेंस का नवीनीकरण करवाने का अवसर प्रदान करता है। यदि परियोजना को निष्पादित करने वाले उपनिवेषक के प्रदर्षन को संतोषजनक नही पाया जाता है, तो उन लाइसेंसो का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा और विभाग ऐसे लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया करेगा।

इसके अतिरिक्त, फलैट/प्लॉट के पजेशन मे देरी बिल्डर–क्रेता के बीच द्वी–पक्षीय समझोते के अधीन है। यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि वर्ष 2003 के भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील नं0 550, डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड और एक अन्य बनाम निदेषक, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा और अन्य के शीर्षक में पारित आदेशो के अनुसार विभाग बिल्डर व क्रेता के समझोते में हस्तक्षेप नही कर सकता। हालाँकि, यदि डेवलपर बिल्डर क्रेता अनुसार परियोजना को वितरित नही करता है, तो आवंटी के पास उचित कानूनी मंच या हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (HRERA) के पास जाने का विकल्प है। हरियाणा सरकार ने क्रेताओ कि शिकायतों के निष्पादन हेतु राज्य में दो अथोरिटी बनाई है।

.....

To Re-Construct the Bus Stand

222. Shri Mewa Singh: Will the Transport Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the bus stand of Pipli is dilapidated; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to reconstruct the above said bus stand?

परिवहन मंत्री (पण्डित मूलचन्द शर्मा) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। बस अड्डा पिपली जीर्ण–शीर्ण नहीं है और यह सूचारू रूप से संचालन में है।

(ख) जी हाँ, मुख्यमंत्री की घोषणा संख्या 12585 दिनांक 29.05.2016 के अन्तर्गत बस अड्डा पिपली का पुनर्निर्माण निजी सार्वजनिक साझेदारी के आधार पर किया जाना प्रस्तावित है।

.....

Budget Provision for the Welfare of SCs

205. Shri Varun Chaudhary: Will the Welfare of SCs and BCs Minister be pleased to state the year-wise Budget provision, Budget released and amount spent for the Welfare of Scheduled Castes in the State during the past five years.

अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण मंत्री (डॉ0 बनवारी लाल) : श्रीमान् जी, हरियाणा राज्य में अनुसूचित जाति से सम्बन्धित पिछले पांच वर्षों का बजट के प्रावधान, बजट रिलीज तथा खर्चे का विवरण निम्न प्रकार से है:–

(रु0 करोड़ों में)

वर्ष	बजट प्रावधान	बजट रिलीज	खर्च राशि
2015–16	4398.96	3389.95	3389.95
2016–17	5898.97	4892.51	4892.51
2017–18	7019.98	5945.01	5945.01
2018–19	7367.29	5980.52	5980.52
2019–20	7610.18	6626.75	6626.75

To Authorize Un-authorized Colonies

300. Shri Shishpal Singh Keharwala : Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state the number of the unauthorized colonies regularized by the Government during the year 2020 in the State togetherwith whether there is any proposal under consideration of the Government to regularize Jagbir Singh Colony, Khushi Ram Colony, Hisar colony and Master Colony of Kalanwali?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज) : श्रीमान्, शहरी स्थानीय निकाय विभाग में सरकार अनियमित कॉलोनियों को नियमित नही करती परन्तु हरियाणा नगरपालिका अपूर्ण क्षेत्रो मे नागरिक सुख सुविधाओ तथा अवसंरचना का प्रबन्ध (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 2016 के तहत अनियमित कॉलोनियो को नागरिक सुख सुविधाओ तथा अवसंरचना से अपूर्ण क्षेत्र घोषित करती है। वर्ष 2020 मे शहरी स्थानीय निकाय विभाग में सरकार ने नगर निगम, फरीदाबाद की दो कॉलोनियों को अधिसूचना दिनांक 17.01.2020 द्वारा नागरिक सुख सुविधाओं तथा अवसंरचना से अपूर्ण क्षेत्र घोषित किया। इसके अलावा कांमावाली की जगबीर सिंह कॉलोनी, खुशीराम कॉलोनी, हिसार कॉलोनी और मास्टर कॉलोनी को नियमित करने का अभी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नही है।

To Regularize the Un-authorized Colonies

233. Shri Ram Kumar Gautam : Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the

Government to regularize the unauthorized colonies in the State; if so, the time by which these are likely to be regularized?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज) : श्रीमान्, अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नही है। हालांकि, सरकार द्वारा हरियाणा नगरपालिका अपूर्ण क्षेत्रो मे नागरिक सुख सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2016 के तहत राज्य में 685 कॉलोनियों को नागरिक सुख सुविधाओं तथा अवसंरचना से अपूर्ण क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके अलावा, अगर हरियाणा नगरपालिका अपूर्ण क्षेत्रो मे नागरिक सुख सुविधाओ तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विशेष उपबन्ध) में सक्षम प्रधिकारी से प्रस्ताव प्राप्त होता है, तब उसे निर्धारित मापदंडो के अनुसार जांचा जाएगा और यदि सही हुआ तो कॉलोनी को नागरिक सुख सुविधाओ तथा अवसंरचना से अपूर्ण क्षेत्र घोषित किया जाएगा।

.....

To Drain Out the Water

267. Shri Bishan Lal Saini: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to drain out the water from both side of S.K. road in Radaur; and

(b) if so, the time by which the abovesaid work is likely to be started?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : (क) तथा (ख) हाँ श्रीमान् जी। इस समय कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती।

.....

To Declare Siwan Village as Municipal Committee

280. Shri Ishwar Singh: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) Whether there is any proposal under consideration of the Government to declare village Siwan as Municipal Committee; and

(b) If so, the time by which it is likely to be declared togetherwith the details thereof?

शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री (श्री अनिल विज) : हां, श्रीमान जी। हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 की धारा–3 में वर्णित प्रावधानों अनुसार, गांव सीवन को नगर पालिका घोषित करने के सम्बन्ध में, आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई है, अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से छह सप्ताह की अवधि में उपायुक्त, कैथल के माध्यम से आमन्त्रित करने के लिए प्राथमिक अधिसूचना संख्या 52/3/2021–5क1, दिनांक 23.02.2021 जारी की गई है। निर्धारित समयावधि की समाप्ति उपरान्त उपायुक्त, कैथल से आपत्तियों या सुझावों की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, सरकार द्वारा इस बारे अन्तिम अधिसूचना जारी करने के लिए आगामी आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

.....

To Open a Medical College

283. Shri Deepak Mangla: Will the Medical Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Medical College in district Palwal; if so, the time by which it is likely to be opened?

चिकित्सा शिक्षा मन्त्री (श्री अनिल विज) : नहीं, महोदय जी।

.....

To Install CCTV Cameras

270. Shri Sanjay Singh: Will the Home Bodies Minister be pleased to state- Whether there is any proposal under consideration of the Govt. to install C.C.T.V. Cameras on the all the exit post/exit gate main bazaar chowk in Sohna Assembly Constituency; if so, the time by which the said work is likely to be completed?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : नहीं श्रीमान् जी।

.....

Shortage of Canal Water for Irrigation

362. Shri Balraj Kundu: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that there is great shortage of canal water for irrigation in Meham Assembly Constituency; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to increase the availability of water through water conservation by constructing water storage dams on different places in the State ; if so, the details thereof?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल):

(क) हॉ, श्रीमान जी।

(ख) शिवालिक पहाड़ियों के निचले हिस्से में 12 छोटे बांधों के निर्माण के लिए लगभग 550.00 करोड़ रु0 की लागत का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। इन सभी बांधो की कुल भण्डारण क्षमता लगभग 30500 एकड़ फीट होगी।

.....

To Line Shyampura Distributary

347. Shri Sita Ram Yadav: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to line Shyampura distributary in Ateli Assembly Constituency by R.C.C. and to lay down pipe line from Shyampura Minor to extend it in village Shyampura of block Ateli Nangal; and

(b) if so, the time by which the abovesaid proposal is likely to be materialized?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) :

(क) हां श्रीमान जी।

(ख) प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होते ही 6 महीने के अन्दर कार्य पूरा हो जाएगा।

.....

To Reconstruct Canal

331. Smt. Naina Singh Chautala: Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the portion of Loharu Canal after Atela Pump House has been damaged; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to reconstruct the abovesaid portion of canal?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) :

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख) हां, श्रीमान जी।

.....

To Declare Dabwali as Police District

313. Shri Amit Sihag: Will the Home Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to declare Dabwali as a Police District; if so, the time by which it is likely to be declared?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : श्रीमान जी, नहीं ।

.....

To Provide Relief in Registration Charges

321. Shri Ram Niwas: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide relief to farmers on registration charges levied by the Government on mutual transfer of agriculture land between two or more farmers?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : नही, श्रीमान् जी।

.....

To Start Construction Work

184. Shri Neeraj Sharma: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that a work order has been passed by the Government vide letter no. MCF/EE-1/2017/400 dated 19/07/2017 of

the Municipal Corporation, Faridabad but the work has not been started so for; and

(b) if so, the time by which the said work is likely to be started?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज) : (क) नहीं, श्रीमान जी। नगर निगम फरीदाबाद द्वारा मैसर्स सहाल कंस्ट्रक्शन इंडिया लिमिटेड को मुख्यमंत्री घोषणा कोड न0 11147 के तहत पी/एल 80 एम एम थिक इंटरलॉकिंग टाइलें, मस्जिद वाली दो गलियों में सीसी रोड और एन0आइ0टी फरीदाबाद के वार्ड न0 6, की विभिन्न गलियों के मैनहोल कक्ष उठाने का कार्य करने के लिए रुपये 146.89 लाख का वर्क आर्डर दिनांक 19.07.2017 को जारी किया गया है और मोके पर 65% काम पूरा हो चूका है।

(ख) यह कार्य शीघ्र ही पूरा कर दिया जाएगा।

.....

Total Amount Spent to Desilt the Minors/Canals

181. Dr. Krishan Lal Middha: Will the Chief Minister be pleased to state the year wise total amount spent to desilt the Minors/Canals in Jind district during the financial year 2017-18 to financial year 2020-21 togetherwith the details of the items on which the said amount has been spent alongwith the percentage upto which the tenders have been enhanced?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

नहरों/रजवाहों से गाद निकालना सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग का नियमित कार्य है। नहरों को क्षमता अनुसार सुरक्षित पानी चलाने के लिए रबी व खरीफ की फसल के सीजन से पहले गाद निकालने का कार्य आवश्यकतानुसार किया जाता है।

जींद जिले में वित्त वर्ष 2017–18 से 2020–21 तक नहरों/रजवाहों से गाद निकालने से सम्बन्धित कार्यों पर खर्च निम्न तालिका में दिया गया हैः–

क0सं0	वित्तीय वर्ष	मद अनुसार कार्य मापदंड	विभाग द्वारा नहरों/रजवाहों की गाद निकालने/ आंतरिक सफाई पर कुल खर्च की गई राशि (लाख रु0 में)	मनरेगा के तहत नहरों/रजवाहों की गाद निकालने/ आंतरिक सफाई पर कुल खर्च की गई राशि (लाख रु0 में)	विभाग द्वारा किए गए कार्यों की निविदाओं का उपर/नीचे का औसत प्रतिशत
01	2017–18	नहरों की आंतरिक सफाई जिसमें घास, खरपतवार तथा जाले आदि निकालने के साथ–साथ कस्सी का काम, बर्म हटाने एवं तटों के रखरखाव का	48.90	452.41	0.12 प्रतिशत नीचे

		कार्य भी सम्मिलित है।			
02	2018–19	नहरों की आंतरिक सफाई जिसमें घास, खरपतवार तथा जाले आदि निकालने के साथ–साथ कस्सी का काम, बर्म हटाने एवं तटों के रखरखाव का कार्य भी सम्मिलित है।	62.15	467.13	10.25 प्रतिशत नीचे
03	2019–20	नहरों की आंतरिक सफाई जिसमें घास, खरपतवार तथा जाले आदि निकालने के साथ–साथ कस्सी का काम, बर्म हटाने एवं तटों के रखरखाव का कार्य भी सम्मिलित है।	23.17	627.23	41.00 प्रतिशत नीचे
04	2020–21	नहरों की आंतरिक सफाई जिसमें घास, खरपतवार तथा जाले आदि निकालने के साथ–साथ कस्सी का काम, बर्म हटाने एवं तटों के रखरखाव का कार्य भी सम्मिलित है।	37.99	715.83	विभागीय दरों पर

.....

Repair of Roads

209. Shri Jagbir Singh Malik: Will the Deputy Chief Minister be pleased to State-

(a) whether it is a fact that the following roads of Gohana Assembly Constituency are in bad condition :-

(i) village Pinana to village Bohla;

(ii) village Gohana to village Khanpur Kalan upto Kasandi;

(iii) village Bohla to Salarpur Majra road;

(iv) village Kheri Damkan to village Kakana;

(v) village Juan to village Sitawali;

(vi) Bhatgaon Cooperative Bank approach road;

(vii) Sonipat road to village Kilorad;

(viii) village Mohana to village Tihar Malik; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the said roads together with the time by which these are likely to be repaired?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : (क) तथा (ख) नहीं, श्रीमान जी।

.....

Amount Spent on Development Work

360. Shri Bharat Bhushan Batra: Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the Sector-18, 18A and Sector-23 in Rohtak have been developed by the Haryana Urban Development Authority; if so, the details of the amount spent on the work separately as given below:-

(a) cost of land ;

(b) cost of basic infrastructure, roads, sewerage, water, electricity etc;

(c) the details of the cost according to per square yard of total expenditure in accordance of zoning plan which was beared by the Government on saleable plots; and

(d) the formula of fixing the reserved price of rupees 29,000/- per sq. yard and rupees 34,000/- per sq yard of plot in the abovesaid sectors by the Government ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : (क) एच0एस0वी0पी0 द्वारा सैक्टर–18 और 18–ए रोहतक को विकसित किया गया है, जबकि सैक्टर–23 रोहतक को एच0एस0वी0पी0 द्वारा अब तक विकसित नही किया गया है।

(ख) सैक्टर –18 और 18–ए रोहतक का मुल्य निर्धारण करते समय भूमि का मुल्य रु0 1,14,47,692/– प्रति एकड की दर से लिया गया है।

(ग) सैक्टर –18 रोहतक के मुल्य निर्धारण करते समय आंतरिक विकास कार्यो जैसे सडक, सीवरेज, पानी, बिजली आदि की अनुमानित लागत रु0 85.426 करोड तथा सैक्टर 18–ए रोहतक में रु0 42.83 करोड ली गई है।

उपरोक्त अनुमानित लागत के विरूद्व अबतक निम्नलिखित व्यय किया जा चुका है:–

क्रं0सं0	सेवाओ के नाम	खर्च (राशि लाख में)
1	सडकें	2055.66
2	जलापूर्ति	74.40
3	सीवरेज	34.86
4	तूफान जल निकासी	0.61
5	बिजली	100.77
	कुल	**2266.30 या 22.66 करोड**

(घ) इन सैक्टरो पर औसतन लागत रु0 35,400/– प्रति वर्ग गज जिसमें भूमि लागत, आंतरिक विकास कार्यो की लागत तथा सरकारी शुल्क शामिल है, जोनिंग योजना अनुसार बिक्री योग्य क्षेत्र पर आएगी।

(ड़) सैक्टर 18 तथा 18–ए रोहतक का अस्थाई आरक्षित मुल्य रू. 35,880/– प्रति वर्ग मी0 या रु0 30,000/– प्रति वर्ग गज की दर पर अनुमोदित है।

.....

To Include Pipli Gram Panchayat in Thanesar M.C.

223. Shri Mewa Singh: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to include Pipli Gram Panchayat in Thanesar Municipal Council; if so, the time by which it is likely to be included?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज) : हाँ, श्रीमान जी। उपायुक्त, कुरूक्षेत्र की रिपोर्ट उनके पत्र क्रमांक 8083/एल.एफ.ए., दिनांक 24.02.2021 द्वारा प्राप्त हुई है, जो निरीक्षणाधीन है।

.....

To Extend the Masudpur Distributary

234. Shri Ram Kumar Gautam : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to extend, widen and strengthen the Masudpur distributary?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान जी, वर्तमान में मसूदपुर रजबाहा को बुर्जी संख्या 63350 से 84000 तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है। मौजूदा रजवाहे के सुदृढ़ीकरण व चौड़ा करने के संबंध में यह बताया जाता है कि मौजूदा मसूदपुर रजबाहा बुर्जी संख्या 0 से 63350 विस्तार के साथ बढ़े हुए निष्कासन का निर्वहन कर सकता है, लेकिन 40 वर्ष से अधिक होने के कारण इसके पुनरोधार/पुनर्वास की आवश्यकता है।

.....

To Upgrade the Hospital

284. Shri Deepak Mangla: Will the Health Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under of consideration of the Government to upgrade the Civil Hospital of Palwal from 100 beds to 200 beds; and

(b) if so, whether there is also any proposal under the consideration of the Government to appoint staff togetherwith G.D.A. and cleaning staff through outsourcing agencies as per upgradation of abovesaid hospital?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : (क) और (ख) नहीं, श्रीमान जी।

.....

To Construct a Multi Level Parking

271. Shri Sanjay Singh: Will the Urban Local Bodies Minister be please state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Multi Level Parking to solve the problem of parking in Municipal Corporation Sohna in Sohna Assembly Constituency; if so, the time by which it is likey to be constructed.

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज) : हॉ, श्रीमान जी। नगर परिषद, सोहना में बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण करवाने के लिए फिजीबिलिटी स्टडी करने, डी0 पी0 आर0 तैयार करने इत्यादि हेतु कसंल्टेंट की नियुक्ति करने बारे नगर परिषद सोहना की आम बैठक में प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। आवश्यक स्वीकृति प्राप्त होने तथा अनुदान राशि उपलब्ध होने उपरान्त कार्य शुरू किया जाऐगा।

.....

To Re-construct Culvert

348. Shri Sita Ram Yadav : Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the culvert near Baghot at Satnali Feeder of Ateli Assembly Constituency is in dilapidated condition; if so, the time by which the said culvert is likely to be reconstructed?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : हां श्रीमान जी, यह कार्य जून, 2021 के अंत तक पूरा हो जाएगा।

.....

To Get Recognition of NCVT

332 Smt. Naina Singh Chautala : Will the Skill Developmnet and Industrial Training Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to get recognition of NCVT to Rawaldhi ITI togetherwith the time by which the recognition of NCVT is likely to be given to the said ITI?

कौशल विकास एंव औद्योगिक प्रशिक्षण मन्त्री (पंडित मूल चन्द शर्मा): नहीं श्रीमान जी। राजकीय आई0टी0आई0 रावलधी में चल रहे सभी व्यवसाय पहले से ही एन.सी.वी.टी. द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।

.....

To Differentiate the Ponds

322. Shri Ram Niwas : Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to differentiate the village ponds in two parts one pond for animals and other for waste water; if so, the details thereof?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : नहीं श्रीमानजी, लेकिन हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण,विकास एवं पंचायत विभाग के साथ मिलकर तालाबों में प्रवेश करने वाले प्रदूषित या गंदे पानी के उपचार की योजना बना कर उसे लागू कर रहा है।

Action on Scam in Construction Work

185. Shri Neeraj Sharma: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state the action taken by the Government on the letter written by me, about the scam in construction work executed under Chief Minister announcement no. 11313 in Municipal Corporation Faridabad, on which the Deputy Commissioner Faridabad directed the

Commissioner Municipal Corporation Faridabad to investigate the complaint (letter no. 1170)?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (श्री अनिल विज) : श्रीमान जी, इस तरह की जांच जारी है।

.....

Shortage of Machinery

182. Dr. Krishan Lal Middha: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) whether it is a fact that there is great shortage of machinery in Jind Public Health Department;

(b) if so, the time by which the said shortage of machinery is likely to be met out; and

(c) the total number of jetting machines in the whole Jind circle togetherwith the details of the machinery?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) :

(क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) क्रम (क) के अनुसार मान्य नही है।

(ग) जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी सर्कल जीन्द में चार हाईड्रोलिक सक्शन–कम–जैंटिग मशीनें व पांच बकेट टाईप मशीनें सीवर सफाई हेतु उपलब्ध है।

.....

To Construct Building of Anganwadi Centre

242. Shri Jagbir Singh Malik: Will the Minister of state for Women and Child Development be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct building of Anganwari Centre in village Majri of Gohana Assembly Constituency?

महिला एंव बाल विकास मंत्री (श्रीमती कमलेश ढांडा) : नहीं, श्रीमान जी।

.....

To Develop Transport Nagar

285. Shri Deepak Mangla: Will the Transport Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the development work of Transport Nagar in HUDA Sector-21, Palwal has not been started so far; and

(b) if so, the time by which the development work of Transport Nagar is likely to be started?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : (क) परिवहन नगर सैक्टर–21, पलवल में विकास कार्य अभी तक आरम्भ नहीं हुआ है, क्योंकि उसके लिए अनुमान तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है।

(ख) जलापूर्ति, सीवरेज, बरसाती पानी की निकासी, आंतरिक सड़कें व पार्किंग इत्यादि के विकास कार्य अनुमान की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्ति के बाद आरम्भ किए जाएंगे।

.....

To Re-construct Culvert

349. Shri Sita Ram Yadav : Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the culvert of canal on the way of village Ateli to Ganiyar in Ateli Assembly Constituency is in dilapidated condition; if so, the time by which the said culvert is likely to be reconstructed?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : हां श्रीमान जी, यह कार्य जून, 2021 के अंत तक पूरा हो जाएगा।

.....

To Set up Ambulance Control Room

333. Smt. Naina Singh Chautala: Will the Health Minister be pleased to state the time by which the ambulance control room is likely to be set up in Dadri City?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : श्रीमान,दादरी शहर में एम्बुलेंस कन्ट्रोल रूम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीकृत एम्बुलेंस कन्ट्रोल रूम मुख्यालय स्तर पर स्थापित किया जाएगा।

.....

Regarding Detail of Targets of Food Samples Fixed by Government

210. Shri Jagbir Singh Malik: Will the Health Minister be pleased to state whether any targets/norms have been fixed by the Government in State for taking sample of food articles per month or year; if so, the details thereof ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : हां, श्रीमान् जी, प्रत्येक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए प्रति माह खाद्य नमूने लेने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग ने अपने संबधित जिले से खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रति माह 30 खाद्य नमूने लेने का लक्ष्य दिनांक 07.03.2012 द्वारा निर्धारित किए गए थे जिन्हें पत्र दिनांक 18.09.2018 द्वारा स्पष्ट किया गया है। परन्तु इस मामले पर केन्द्रीय सलाहकार समिति (भारत सरकार) में नियमित रूप से चर्चा की गई और देखा गया कि पदाभिहित अधिकारियों और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को कई अन्य कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है जैसे की अदालती मामलों में भाग लेना, अतिरिक्त उपायुक्त न्यायालय में अधिनिर्णयन (Adjudication Cases) मामलों के निपटारे हेतू भाग लेना, निरीक्षण करना, जागरुकता के लिए कार्यशालाएं लगवाना, औचक निरीक्षण करना, विषेष अभियान चलाना, वी0वी0आई0पी0 ड्यूटीज करना, खाद्य लाईसैंस/खाद्य कारोबारकर्ता के पंजीकरण और उन्हें संबधित राज्यों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 को लागू कराने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई बहुत सी योजनाओं को बढ़ावा देना होता है। इसलिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने प्रत्येक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रति माह 08 से 14 खाद्य नमूने लेने की सलाह दी है।

हरियाणा विधान सभा के सदस्य को उनके जन्मदिन पर बधाई

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अभी कुछ सूचनाएं हैं। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि श्री दीपक मंगला, विधायक का जन्मदिन है। इस अवसर पर सदन की तरफ से उनको बहुत–बहुत हार्दिक बधाई। यह सदन उनके स्वस्थ जीवन, उज्ज्वल भविष्य और दीर्घायु की कामना करता है।

.....

हरियाणा विधान सभा के सदस्य की अयोग्यता से संबंधित सूचना

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को यह सूचित करना है कि श्री प्रदीप चौधरी, जो हरियाणा विधान सभा में कालका विधान सभा क्षेत्र से विधायक थे, को हिमाचल प्रदेश की नालागढ़ जिला सोलन की कोर्ट के ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट ने आपराधिक मुकदमे में दोषी करार दिया है और तदानुसार उन्हें संविधान के अनुच्छेद 191(1) (ई) एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अन्तर्गत दिनांक 14.01.2021 से हरियाणा विधान सभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किया जा चुका है।

.....

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी महिलाओं/लड़कियों को बधाई

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं इस अवसर पर प्रदेश के लोगों विशेषकर महिलाओं, बहनों और बेटियों को सदन के माध्यम से बहुत–बहुत बधाई देता हूं। मैंने आज के दिन के लिए पैनल ऑफ चेयरपर्सन्ज में भी महिला सदस्यों को नामांकित किया है और मेरी कोशिश रहेगी कि आज की बैठक के शेष कार्य आज के लिए गठित पैनल ऑफ चेयरपर्सन्ज की अध्यक्षता में ही सम्पन्न हों।

————————

सर्वश्रेष्ठ विधायक अवार्ड से सम्बन्धित सूचना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को सूचित करना है कि हरियाणा विधान सभा की बैस्ट लेजिस्लेटर अवार्ड कमेटी ने आज दिनांक 8 मार्च 2021 की बैठक में डॉ. अभय सिंह यादव, विधायक और श्री वरूण चौधरी, विधायक को वर्ष 2020–21 के लिए श्रेष्ठ विधायक चुना है। मेरी तरफ से तथा सदन के सभी सदस्यों की तरफ से दोनों विधायकों को बहुत–बहुत बधाई व मुबारक।

————————

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं माननीय सदस्यों द्वारा प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचनाओं का फेट सदन को बताना चाहता हूं। ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–1 जोकि

आदरणीय श्रीमती किरण चौधरी, विधायक द्वारा दिनांक 08.02.2021 को अवैध शराब पीने से 50 से ज्यादा लोगों की मृत्यु एवं करोड़ों रुपये की राजस्व हानि के बारे विषय से संबंधित दी गई है, को नामंजूर किया जाता है क्योंकि उक्त मामले में पिछले सत्र में दिनांक 06.11.2020 को चर्चा हो चुकी है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, उसके लिए आपने कौन सी एस.आई.टी. गठित की है?

श्री अध्यक्ष : जब उस एस.आई.टी. की रिपोर्ट आएगी तब वह आपके सामने आ जाएगी।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हम उस विषय पर चर्चा तो करेंगे।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, जिस विषय पर एक बार चर्चा हो चुकी है क्या उसी विषय पर दोबारा–दोबारा से चर्चा करते रहेंगे?

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–2 जोकि श्रीमती किरण चौधरी, विधायक, द्वारा 08.02.2021 को भिवानी जिले में पानी की भयंकर किल्लत बारे, बारे विषय से संबंधित दी गई है, को किसी भी तिथि के लिए स्वीकृत कर लिया गया है और तिथि की जानकारी उनको दे दी जाएगी।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–3 जोकि श्रीमती किरण चौधरी, विधायक, द्वारा 08.02.2021 को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की दुर्घटना सहायता योजना जो राजीव गांधी परिवार बीमा योजना थी, को बन्द किये जाने बारे, विषय से संबंधित दी गई है, को सरकार के पास 48 घंटे के अन्दर टिप्पणी के लिए भेजा गया है।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–4 जोकि श्रीमती किरण चौधरी, विधायक द्वारा 11.02.2021 को महंगाई दर में भारी वृद्धि और डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दाम आसमान छूते बारे, विषय से संबंधित दी गई है, मामले में तत्कालीनता का अभाव है, विषय वस्तु में हाल में पुनरावृत्ति नहीं होने तथा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के समय तथा बजट वर्ष 2021–22 पर सामान्य चर्चा एवं संबंधित मांग पर माननीय सदस्य उक्त विषय पर चर्चा कर सकती हैं, को आधार बनाकर इस ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–4 को नामंजूर किया जाता है।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–5 जोकि श्रीमती किरण चौधरी विधायक द्वारा 19.02.2021 को एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल की खरीद फरोख्त के बारे कोई ठोस नीति न होने बारे विषय से संबंधित दी गई है, को सरकार के पास 48 घंटे के अन्दर टिप्पणी के लिए भेजा गया है।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–6 जोकि श्री शमशेर सिंह गोगी, विधायक द्वारा 22.02.2021 को मंहगाई दर में भारी वृद्धि और डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दाम आसमान छूते बारे विषय से संबंधित दी गई है, मामले में तत्कालीनता का अभाव, विषय वस्तु में हाल में पुनरावृत्ति नहीं होने तथा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के समय तथा बजट 2021–22 पर सामान्य चर्चा एवं सम्बन्धित मांग पर माननीय सदस्य उक्त विषय पर चर्चा कर सकता है को आधार बनाकर इस ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–6 को नामंजूर किया जाता है।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–7 जोकि श्री शमशेर सिंह गोगी, विधायक द्वारा दिनांक 22.2.2021 को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की दुर्घटना सहायता योजना जोकि राजीव गांधी परिवार बीमा योजना थी, को बंद किए जाने विषय से सम्बन्धित दी गई है, को सरकार के पास 48 घंटे के अंदर टिप्पणी प्राप्त करने के लिए भेजा गया है।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–8 जोकि श्री प्रवीण डागर, विधायक द्वारा दिनांक 24.2.2021 को जिला पलवल में मैडिकल कालेज निर्माण बारे, हथीन बाईपास का निर्माण जल्द से जल्द शुरू करने बारे तथा ट्यूबवैल बिजली को स्थाई तौर पर लगातार 10 घंटे किसानों को दिए जाने वाले विषय से सम्बन्धित दी गई है, को मामले में तत्कालीनता के अभाव, माननीय सदस्य द्वारा अलग–अलग विषयों पर अपनी ध्यानाकर्षण सूचना देने के कारण विषय की विशिष्टता/अस्पष्टता तथा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के समय बजट पर सामान्य चर्चा एवं संबंधित मांग पर माननीय सदस्य उक्त विषय पर चर्चा कर सकता है, को आधार बनाकर नामंजूर किया जाता है।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–9 जोकि श्रीमती किरण चौधरी, विधायक द्वारा दिनांक 25.2.2021 को बढ़ती बेरोजगारी से त्रस्त हरियाणा के युवाओं की दयनीय स्थिति के विषय से संबंधित दी गई है, को मामले में तत्कालीनता के अभाव, विषय वस्तु में हाल की पुनरावृत्ति नहीं होने तथा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर

चर्चा के समय तथा बजट 2021–22 पर सामान्य चर्चा एवं संबंधित मांग पर माननीय सदस्या उक्त विषय पर चर्चा कर सकती है, को आधार बनाकर इस ध्यानाकर्षण सूचना को नामंजूर किया जाता है।

ध्यानकर्षण सूचना संख्या–10 जोकि श्री प्रवीण डागर, विधायक द्वारा दिनांक 1.3.2021 को किसानों को ट्यूबवैल कनेक्शन लेने में दिक्कत आने विषय पर दी गई है, को किसी भी अपेक्षित तिथि को लगाने के लिए स्वीकार किया जाता है और इसकी जानकारी सदस्य को दे दी जाएगी।

ध्यानकर्षण सूचना संख्या–11 जोकि श्रीमती किरण चौधरी, विधायक द्वारा दिनांक 2.3.2021 को एस.वाई.एल. नहर द्वारा हरियाणा के हिस्से का पानी उपलब्ध करवाने के विषय पर दी गई है, को विषय वस्तु में हाल की पुनरावृत्ति नहीं होने, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के समय तथा बजट पर सामान्य चर्चा एवं संबंधित मांग पर माननीय सदस्य उक्त विषय पर चर्चा कर सकती है, को आधार बनाकर नामंजूर किया जाता है।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–12 जोकि श्रीमती किरण चौधरी, विधायक द्वारा दिनांक 3.3.2021 को राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था के विषय पर दी गई है, को कौल एवं शकधर द्वारा लिखित, संसदीय पद्धति और प्रक्रिया के पांचवे संस्करण में दिए गए प्रावधानों के आधार पर कि राज्यों में कानून तथा व्यवस्था संबंधी विषय के संबंध में ध्यानाकर्षण की सूचनाएं सामान्यत गृहित नहीं की जाती तथा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के समय तथा बजट पर सामान्य चर्चा एवं संबंधित मांग पर माननीय सदस्य उक्त विषय पर चर्चा कर सकते हैं, के आधार पर इस ध्यानाकर्षण सूचना को नामंजूर किया जाता है।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–13 जोकि श्री वरूण चौधरी, विधायक तथा दो अन्य विधायक श्री भारत भूषण बतरा तथा श्री नीरज शर्मा द्वारा दिनांक 4.3.3021 को हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति, 2020 के तहत राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी को छोड़कर राज्य में प्रभावी सभी कारखानों एवं श्रम कानूनों से मेघा और अल्ट्रा परियोजनाओं की छूट को रद्द करने के विषय पर दी गई है, को सरकार से प्राप्त जवाब के आधार पर नामंजूर किया जाता है।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–14 जोकि श्री वरूण चौधरी, विधायक द्वारा दिनांक 5.3.2021 को 12 बजकर 25 मिनट पर किसानों को ट्यूबवैल का कनैक्शन देने के

विषय पर दी गई है, को स्वीकृत किया जाता है तथा श्री प्रवीण कुमार, विधायक द्वारा समान विषय पर दी गई ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–10 को ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–14 के साथ संलग्न करते हुए किसी भी अपेक्षित तिथि के लिए स्वीकृत किया जाता है।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–15 जोकि श्री वरूण चौधरी, विधायक और श्री मेवा सिंह विधायक द्वारा दिनांक 5.3.2021 को किसानों को गन्ने की राशि का भुगतान करने के विषय पर दी गई है, को सरकार के पास 48 घंटे में टिप्पणी के लिए भेजा गया है।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–16 जोकि चार विधायकों नामतः श्री आफताब अहमद, श्री सुरेन्द्र पंवार, श्री कुलदीप वत्स तथा श्री जगबीर सिंह मलिक द्वारा दिनांक 5.3.2021 को नकली शराब के कारण हुई मौतों से सम्बन्धित विषय पर दी गई है, को नामंजूर किया जाता है। इसका कारण यह है कि श्रीमती किरण चौधरी, विधायक द्वारा भी समान विषय पर आधारित ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–1 दी गई थी जिसको सरकार से प्राप्त टिप्पणी के आधार पर नामंजूर कर दिया गया था और चूंकि ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–16 भी समान विषय से सम्बन्धित है, को आधार बनाकर ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–16 को भी नामंजूर किया जाता है।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–17 जोकि सात विधायकों नामतः श्री भारत भूषण बतरा, श्री जगबीर सिंह मलिक, श्री नीरज शर्मा, श्री आफताब अहमद, श्री शमशेर सिंह गोगी, श्री कुलदीप वत्स तथा श्री सुरेंद्र पंवार द्वारा दिनांक 5.3.2021 को राज्य में हुए रजिस्ट्री घोटाले के विषय पर दी गई है, को मामले में तत्कालीनता का अभाव, विषय वस्तु में हाल की पुनरावृत्ति नहीं होने तथा पिछले सत्र में दिनांक 5. 11.2020 को सम्बन्धित विषय पर आधारित ध्यानाकर्षण सूचना स्वीकृत होकर, चर्चा हो चुकी है, को आधार बनाकर ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–17 को नामंजूर किया जाता है।

राव दान सिंह विधायक, श्रीमती गीता भुक्कल विधायक, श्री बिशन लाल सैनी विधायक और श्री शीशपाल सिंह विधायक द्वारा दिनांक 5 मार्च, 2021 को प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 18, 'राज्य डोमिसाइल नीति के बारे में' सरकार के पास 48 घंटे में टिप्पणी के लिए भेजा गया है।

श्री भारत भूषण बतरा विधायक, श्रीमती गीता भुक्कल विधायक, श्री आफताब अहमद विधायक, श्री जगबीर सिंह मलिक विधायक और श्री वरूण चौधरी विधायक द्वारा दिनांक 5 मार्च, 2021 को प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 19, 'पी.जी.टी. संस्कृत, टी.जी.टी. अंग्रेजी की भर्ती व हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की कार्यप्रणाली विवादों के घेरे में बारे' सरकार के पास 48 घंटे में टिप्पणी के लिए भेजा गया है।

श्री भारत भूषण बतरा विधायक, श्री आफताब अहमद विधायक, श्रीमती गीता भुक्कल विधायक, श्री जगबीर सिंह मलिक विधायक, श्री वरूण चौधरी विधायक, श्री शीशपाल सिंह विधायक और श्री सुरेन्द्र पंवार विधायक द्वारा दिनांक 5 मार्च, 2021 को प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20, 'हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री के आदेश तथा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के तीन माननीय न्यायाधीशों की रिर्पोट के अनुसार हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अतिरिक्त मूल्य की पुनः गणना के बारे' किसी भी तिथि के लिए स्वीकृत है और इसकी जानकारी माननीय सदस्य को दे दी जाएगी।

श्री इन्दु राज विधायक, श्री अमित सिहाग विधायक, श्री शीशपाल सिंह विधायक और श्री मामन खान विधायक द्वारा दिनांक 5 मार्च, 2021 को प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 21, 'हरियाणा में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए नई नीति के बारे' सरकार के पास 48 घंटे में टिप्पणी के लिए भेजा गया है।

श्री जगबीर सिंह मलिक विधायक, श्री भारत भूषण बतरा विधायक, श्रीमती गीता भुक्कल विधायक, श्री आफताब अहमद विधायक और श्री मेवा सिंह विधायक द्वारा दिनांक 5 मार्च, 2021 को प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 22, 'राज्य के पैंशनर्ज में आक्रोश बारे' सरकार के पास 48 घंटे में टिप्पणी के लिए भेजा गया है।

श्री चिरंजीव राव, विधायक द्वारा दिनांक 5 मार्च, 2021 को प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 23, जोकि 'रेवाड़ी के धारूहेड़ा में भिवाड़ी से आ रहे दूषित पानी बारे' विषय से संबंधित है। इस ध्यानाकर्षण सूचना संख्या के मामले में तत्कालीनता का अभाव, विषय वस्तु की हाल की पुनरावृत्ति नहीं होने तथा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के समय, बजट पर सामान्य चर्चा एवं संबंधित मांग पर माननीय

सदस्य इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं, को आधार बनाकर इस ध्यानाकर्षण सूचना संख्या को नामंजूर किया जाता है।

.....

निजी सदस्य विधेयक के मामले को उठाना

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। हमारी कांग्रेस पार्टी ने एक प्राईवेट मैम्बर बिल दिया था और उस बिल में ए.पी.एम.सी. एक्ट में संशोधन के बारे में जिक्र था, जिसे आपने रिजैक्ट कर दिया। मैं उसके संबंध में सदन में तथ्य रखना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को ए.पी.एम.सी. एक्ट में संशोधन के संबंध में एल.आर. की लीगल ऑपिनियन की रिपोर्ट बताना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्षः बतरा साहब, आप हाउस को डिस्टर्ब न करे। ए.पी.एम.सी. एक्ट में संशोधन के संबंध में बिल्कुल भी चर्चा नहीं होगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में कहना चाहता हूँ कि***(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः श्री बतरा जी की किसी भी बात को रिकॉर्ड न किया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि ****

श्री अध्यक्ष : श्री भारत भूषण बतरा जी की किसी भी बात को रिकॉर्ड न किया जाए । बतरा जी, मैंने सरकार की रिपोर्ट सभी माननीय सदस्यगण के सामने रखी है और इसके आधार पर ही बात की है ।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि ****

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, एल.आर. से ऊपर भी तो कोई है । (शोर एवं व्यवधान) क्या आप यह समझते हैं कि एल.आर. से ऊपर कोई नहीं है ? इस संबंध में सरकार की रिपोर्ट आई हुई है । (शोर एवं व्यवधान) बतरा जी, इसके ऊपर आपको चर्चा का बहुत समय मिलेगा । इसके ऊपर हम फिर चर्चा करेंगे। अब आप प्लीज बैठिये।

.....

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होगी । विधायक श्रीमती सीमा त्रिखा अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी।

श्रीमती सीमा त्रिखा (बड़खल): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं–

> ''कि राज्यपाल महोदय को एक समावेश निम्नलिखित शब्दों में पेश किया जाए– कि इस सत्र में इकट्ठे हुए हरियाणा विधान सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यन्त कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 5 मार्च, 2021 को 2:00 बजे मध्याह्न पश्चात् सदन में देने की कृपा की है।''

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहती हूं कि हरियाणा की हमारी सरकार 2 मुख्य बिंदुओं 'वसुधैव कुटुम्बकम' और 'अन्त्योदय' को लेकर पूरे 6 वर्ष के कार्यकाल में आगे बढ़ी है ।

(इस समय महिला सभापतियों की सूची में से एक सदस्य श्रीमती किरण चौधरी पदासीन हुई ।)

सभापति महोदया, इन दो बिन्दुओं को लेकर हरियाणा सरकार बहुत अच्छे और बढ़िया तरीके से राज्य में सेवा दे पाने में सफल रही है । सभी जानते हैं कि पिछले पूरे वर्ष में न केवल भारतवर्ष बल्कि पूरा विश्व कोविड–19 महामारी से जूझता रहा । हरियाणा कृषि क्षेत्र के साथ–साथ औद्योगिक इकाइयों का भी प्रदेश है, इसलिए इस महामारी को भी हमारे हरियाणा प्रदेश ने हरियाणा में रहने वाले अन्य प्रदेशों के सभी निवासियों की सेवा का एक अवसर माना । उस समय भी हमारे प्रदेश में अन्य राज्यों से बहुत–से पुरूषार्थी आकर दिहाड़ी–मजदूरी आदि कर रहे थे । हमारी सरकार ने उनको पूरी मदद देने में एक सार्थक भूमिका निभाई । सभापति महोदया, कोविड–19 महामारी के दौरान पिछले 12 महीनों के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करना हर एक नागरिक का अधिकार है । पूरा देश और पूरा विश्व इस महामारी के दौर से गुजर रहा था और हमारा प्रदेश माननीय मुख्य मंत्री महोदय श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में एक विशेष भूमिका के साथ आगे बढ़ा । हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने गरीबों के कल्याण और अन्त्योदय तक लाभ पहुंचाने की सोच से गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वालो को अन्न का बराबर वितरण किया । हमारी प्रदेश सरकार ने भी इस विषय पर विशेष काम किया है । हमारी सरकार ने 'मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना' के तहत लगभग 8.76 लाख परिवारों को 270 करोड़ रूपये की राशि बांटी, 4.68 लाख परिवारों को 270 करोड़ रूपये की राशि दी । इसके साथ–साथ लाखों परिवारों को भवन–निर्माण के लिए भी राशि प्रदान की गई । हमारे यहां पर विभिन्न राज्यों से आकर बसे हुए बहुत–सारे पुरूषार्थी इस बीमारी के दौरान सब तरफ लॉकडाउन होने की वजह से और यहां पर काम न मिलने की वजह से अपने घर जाना चाहते

थे तथा अपने परिवार की विभिन्न जरूरतों को भी पूरा करना चाहते थे । उस समय 4.44 लाख प्रवासी पुरूषार्थियों को सौ से अधिक विशेष गाड़ियां चलाकर और लगभग 8 करोड़ रुपये की राशि खर्च करके इस सरकार ने उनको उनके घर पर पहुंचाने का काम किया है। इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ट्रांसपेरैंसी है जिसे हम पारदर्शिता कहते हैं। यह सरकार इस पारदर्शिता को लेकर ही आगे बढ़ रही है और हमारे सरकारी डिपार्टमैंट्स में ऑनलाईन की गयी सेंवाएं अपने आप में इसका बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। हमने प्रवासियों और अपने शहर के लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक विशेष निदेशालय बनाया है, जिसके द्वारा जरूरतमंदों को आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे। सरकार ने एक ऐसे निदेशालय की स्थापना की है। हरियाणा प्रदेश ने पिछले दिनों अपने आपको देश में बहुत सारे विषयों पर नम्बर 1 का स्थान पाने का गौरव प्राप्त किया है। हालांकि हम सभी जानते हैं और चर्चा भी हो रही थी कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी की कोविड–19 के कारण हालत बहुत खराब हो गयी थी। लेकिन बीते वर्ष में पूरे देश के अन्दर जो सबसे बढ़िया हैल्थ विभाग को लेकर हरियाणा प्रदेश के द्वारा स्थान प्राप्त किया गया है, उसके लिए मैं उनको साधुवाद और बधाई देती हूं। सभापति महोदया, जहां हम मैडिकल सर्विसिज की बात करते हैं तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 4 नये आयुर्वेदिक कॉलेजिज बनाए जाएंगें। करनाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय मैडिकल यूनिवर्सिटी का काम प्रगति पर है। जीन्द, महेन्द्रगढ, फरीदाबाद और भिवानी में भी मेडिकल कॉलेजिज की स्थापना की जा रही है। मैं ये जो विषय साथ–साथ रख रही हूं इनको यदि पिछली सरकारों से तुलना की जाए तो निश्चित रूप से हरियाणावासी इस बात पर गर्व महसूस करेंगे कि हरियाणा प्रदेश में उनके द्वारा एक ऐसी अच्छी सरकार चुनी गयी है। फरीदाबाद, रेवाड़ी, कैथल, कुरूक्षेत्र और पंचकुला में नर्सिंग इंस्टीच्यूट स्थापित किये जाएंगे। इसके साथ ही साथ हम ट्रेनिंग की भी बात करते हैं और रोजगर उत्पन्न करने की बात भी करते हैं। इसके लिए प्रधान मंत्री आत्मनिर्भर मिशन के तहत अटल एकेडमी की स्थापना मुरथल में की गयी है। इसके साथ ही साथ एजुकेशन के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि हरियाणा प्रदेश को देश में एक विशेष स्थान मिला है। इन सब चीजों के लिए दृष्टि तो सबके पास होती है, परन्तु दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है। मैं समझती हूं कि एक ऐसे परिवार के साथ जुड़कर आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार के सभी माननीय मंत्रियों ने काम किया

है और इसमें जन प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी लगे हैं। ये सभी सराहना के काबिल हैं। कोविड–19 के दौरान हर घर तक खाना पहुंचाने का काम किया गया है और घर बैठे हुए बच्चों को मोबाईल के माध्यम से ऑनलाईन एजुकेशन देने का काम किया गया है। लगभग 136 नये सी.बी.एस.ई. स्कूल्ज जोकि संस्कृति मॉडल स्कूल्ज की तर्ज पर खोले जाएंगे। यह इस सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अतिरिक्त 1135 आंगनवाड़ी केन्द्रों को प्ले स्कूल में बदला जाएगा। आंगनवाड़ी केन्द्र ऐसे स्लम एरियाज में खोले जाते हैं जोकि अभावग्रस्त क्षेत्र होते हैं। स्लम एरिया के बच्चों को कुछ सिखाने के लिए उन आंगनवाड़ी केन्द्रों को प्ले स्कूल्ज में कन्वर्ट किया जाएगा। इसके अलावा आई.टी.आई. स्टूडैंट्स के लिए मिस्त्री हरियाणा एप की शुरूआत करना भी इस सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सैल्फ इम्पलॉयमैंट में स्टूडैंट्स के लिए ई–कर्मा के माध्यम से रजिस्ट्रेशन होना और उन्हें स्थान मिलना एक बड़ी बात है। हमारी सरकार सक्षम योजना के माध्यम से पिछले 5–6 साल से काम कर रही है और 8वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को आने वाले समय में फ्री टैब देने का काम किया जायेगा। जहां पर शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष रूप से काम किये जा रहे हैं, वहीं पर बाकी क्षेत्रों को भी नजरअंदाज नहीं किया गया है उनमें भी काम किये जा रहे हैं। सभापति महोदया, मैं इसके अलावा यह भी बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों में पशु चिकित्सा पॉलीक्लीनिक्स खोलने का भी निर्णय लिया है। सरकार ने हर चीज के बारे में विशेष तव्वजो देकर अपने नजरिये को बताया है। दक्षिण हरियाणा में सिंचाई के लिए पंपिंग सिस्टम को सुधारने के लिए 200 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। ''मेरा पानी–मेरी विरासत'' योजना के तहत 32 करोड़ रुपये की लागत से 1000 रिचार्ज बोरवेल के निर्माण की योजना का प्रावधान किया गया है। यह बात हम सभी जानते भी हैं कि हरियाणा सरकार एस.वाई.एल. नहर के पानी के लिए लड़ाई भी लड़ रही है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं न कहीं सरकार और चीजों को भी साथ लेकर चल रही है। हमारी सरकार ने आई.एम.टी. रोहतक में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और इस मेगा फूड पार्क को बनाने के लिए लगभग 180 करोड़ की लागत आयेगी। इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहूंगी कि हरियाणा में गुरुग्राम और फरीदाबाद प्रिंस सिटी के नाम से जाने जाते हैं इसलिए इनमें मेट्रो कनैक्टिविटी का काम किया गया है।

सभापति महोदया : सीमा जी, आप जल्दी ही वाइंड अप कीजिए।

श्रीमती सीमा त्रिखा : सभापति महोदया, मुझे बोलने के लिए दो मिनट का समय और दिया जाये।

सभापति महोदयाः सीमा जी, आपको बोलते हुए 10 मिनट से भी ज्यादा का समय हो गया है इसलिए आप जल्दी ही वाइंड अप कीजिए।

श्रीमती सीमा त्रिखा : सभापति महोदया, मैं अपनी बात जल्दी ही समाप्त कर दूंगी। मैं एक बात यह कहना चाहूंगी कि जब किसानी की बात आती है तो विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा वर्तमान सरकार के लिए अगर मैं यह कहूं कि बहुत कटाक्ष भरे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो कोई गलत बात नहीं होगी। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन से यह भी कहना चाहूंगी कि जब किसानों की फसल की बात आती है तो यह वही सरकार है, जिसने आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा किसानों को मुआवजे की राशि दी है। ये वही सरकार है जिसने फसल खराबे के 199 करोड़ रुपये के चैक्स केवल पलवल के किसानों को अदा किए हैं। मैं यह कहना चाहती हूं कि यह वही सरकार है जिसने 9 फसलों को एम. एस.पी. पर खरीदा है। मैं यह बताना चाहूंगी कि हरियाणा सरकार ने सालों पुरानी पानी की समस्या को सुलझाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाया है और सरकार ने किसान को धान की बुआई न करने पर प्रोत्साहन के रूप में 7000 रुपये प्रति एकड़ देने का काम किया है।

सभापति महोदया : सीमा जी, आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है इसलिए प्लीज आप बैठ जायें।

श्रीमती सीमा त्रिखा : सभापति महोदया, मैं अंत में दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी। हरियाणा प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस सरकार में किसानों के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। ये वही हरियाणा प्रदेश है, जहां चन्द वर्ष पहले फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में हरियाणा का नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा ''किसान फार्म लैंड स्कैम'' हुआ था। सभापति महोदया, मैं इस महान सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहती हूं और अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी बहनों को और सभी माननीय सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूं। हम महिला सदस्यों को माननीय अध्यक्ष महोदय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हरियाणा विधान सभा का सत्र चलाने का मौका दिया।

मैं सभी महिला सदस्यों की तरफ से माननीय अध्यक्ष महोदय का इसके लिए धन्यवाद देती हूं। सभापति महोदया, मैं इस महान सदन के माध्यम से खासतौर पर उन वीर माताओं और वीरांगनाओं को नमन करते हुए यह कहना चाहूंगी कि आज हम सभी माननीय सदस्य इस महान सदन में बैठे हैं और इस महान सदन की मर्यादा का पालना करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। जितने भी माननीय सदस्य इस महान सदन में बैठे हैं हम अपने माता–पिता और गुरू की रिफ्लैक्शन से ही बैठे हैं। मैं अंत में एक बात कहना चाहूंगी।

सभापति महोदया : सीमा जी, आपने इस महान सदन में अंतिम बात कहते–कहते ही 5 मिनट का समय और ले लिया है इसलिए आप प्लीज बैठ जायें।

श्रीमती सीमा त्रिखा : सभापति महोदया, मैं अंत में यही बात कहना चाहूंगी कि मंजिलें कदम चूमेंगी, रास्ता खुद बन जायेगा, कर हिम्मत तो आसमां भी झुक जायेगा। धन्यवाद।

श्रीमती नैना सिंह चौटाला (बाढ़ड़ा) : सभापति महोदया, मैं श्रीमती सीमा त्रिखा द्वारा रखे गए प्रस्ताव का अनुमोदन करती हूं। सबसे पहले मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर चंद लाईनों के साथ अपनी बात शुरू करना चाहूंगी–

धरती जैसी सहनशीलता है नारी में,
पानी जैसी शीतलता है नारी में,
नारी को प्रकृति ने दी है शक्ति सारी,
अपमान न करो इसका कहकर बेचारी,
नारी भी छू सकती है आकाश,
बस उसे है मौके की तलाश,
वही देश है महान जहां होता है नारी का सम्मान,
अब अबला नहीं है नारी,
सबला बनने की कथा है जारी।

सभापति महोदया, महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण प्रदेश सरकार द्वारा किये गये, किये जा रहे व किये जाने वाले जनहित कार्यों व चहुंमुखी विकास का दर्पण होता है। सभापति महोदया जी, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है इसलिए मैं आज नारी के सम्बन्ध में कुछ और भी बोलना चाहूंगी कि–घूंघट की ओट छोड़कर, जब हम महिलाओं के ऊपर विचार करते हैं तब हमारे

भारत देश की महिलायें चाहे वे राष्ट्रपति रही हों, चाहे वे प्रधान मंत्री रही हों, चाहे वे मुख्यमंत्री रही हों और चाहे वे विभिन्न पार्टियों की अध्यक्ष बनी हों इन सभी पदों पर महिलायें ही विराजमान हुई हैं। जैंडर इम्पॉवरमैंट एक बड़ा विषय है जिसको लेकर लोग बार–बार सैक्स रेशो की बात करते हैं कि नारी अबला है। मैं यह कहना चाहूंगी कि नारी अपने जन्म के समय से ही सशक्त होती है। वे अपने आप में ताकतवर है क्योंकि वह एक पुरूष को भी जन्म देती है। हम समाज से अपने लिए समान अवसरों की मांग कर रहे हैं न कि शक्तिकरण की मांग कर रहे हैं क्योंकि सशक्त तो हम जन्म से ही हैं। इसी के साथ मैं पुनः यह कहना चाहूंगी कि नारी अबला नहीं है वह बहुत पॉवरफुल है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं पूरे सदन और सभी पुरूष सदस्यों का धन्यवाद करती हूं कि उनकी सहमति के बिना शायद आज हरियाणा प्रदेश में पहली दफा यह हो रहा है कि सदन की कार्यवाही का संचालन महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। सभापति महोदया, इसके लिए मैं आपके साथ ही साथ सभी महिलाओं को बहुत–बहुत बधाई देती हूं। सभापति महोदया, महामहिम राज्यपाल महोदय के 2021 के अभिभाषण पर मैं यह कहना चाहूंगी कि सबसे पहले जो विषय है वह है वैश्विक महामारी कोरोना का। लॉक–डाउन के समय के दौरान कम से कम नौ महीने तक कोरोना बीमारी से हम सभी बहुत जूझे हैं। प्रदेश सरकार के सभी विभागों के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपनी जान जोखिम में डाल कर हरियाणा की जनता को इस बीमारी से बचाने में मुख्य भूमिका निभाई है। ऐसे समय में प्रदेश सरकार ने जरूरतमंदों की विभिन्न प्रकार से सहायता करके जनता का पूर्ण सहयोग किया है। वह सहायता चाहे अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत अतिरिक्त गेहूं उपलब्ध कराना हो या साबुत चना व दाल का वितरण हो। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के माध्यम से बी.पी.एल. परिवारों, पंजीकृत भवन व निर्माण श्रमिकों को वित्तीय व अन्य सहायता प्रदान करके हमारी सरकार ने एक लोक हितैषी सरकार होने का परिचय दिया है। यह भी किसी से छिपा नहीं है कि भारत ने कोरोना की रोकथाम के लिये वैक्सीन विकसित कर विश्व स्तर पर विशेष भूमिका निभाई है। हमारी सरकार ने जननायक जनता पार्टी के घोषणा पत्र की एक बड़ी घोषणा को लागू किया है। पिछले सत्र में इस सदन द्वारा पारित एक विधेयक को महामहिम ने अपनी स्वीकृति देकर हरियाणा के 75 प्रतिशत युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी प्रदान करने का अवसर उपलब्ध करवाने का काम किया है। हरियाणा प्रदेश का यह लोकहित का

एक ऐसा ऐतिहासिक कार्य है जैसे जननायक ताऊ देवी लाल जी का प्रथम ऐतिहासिक कदम प्रदेश के वृद्धों को पैंशन योजना शुरू करने का था और अब प्रदेश के 75 प्रतिशत युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी दिलाने का यह हमारा दूसरा अवसर है। मेरा यह भी कहना है कि सरकार को प्रदेश में स्किल डिवैल्पमैंट के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। सभापति महोदया, कृषि के क्षेत्र में तथा किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए बी.जे.पी.–जे.जे.पी. सरकार कृतसंकल्प है। महोदया, यह पूरा सदन जानता है कि हरियाणा सरकार ने पहले भी आश्वासन दिया था कि किसानों की फसल की खरीद एम.एस.पी. पर होगी और हुई भी। अब फिर हमारी सरकार के उप–मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अब की बार किसानों की 6 फसलों की खरीद एम.एस.पी. पर होगी। प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का पूरा दाम दिलाने के लिए हरियाणा सरकार दृढ़संकल्प है और प्रदेश के किसान स्वयं अनुभव करेंगे कि उनकी फसल का एम.एस.पी. पूर्ण रूप से सुरक्षित है और सुरक्षित रखा जायेगा।

सभापति महोदया, पिछले महीने में प्रदेश में भारी बारिश, ओलावृष्टि व तेज हवाओं के कारण किसानों की खड़ी फसल गेहूं, सरसों, चना आदि की बहुत हानि हुई है इसलिए सरकार गिरदावरी करवा कर किसानों की फसल के नुकसान का मुआवजा दिलवा कर उसकी भरपाई शीघ्र कराये। किसानों की आय और अधिक बढ़ाने के लिए पशुपालन व डेयरी को प्रोत्साहन देने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, जिनमें गाय, भैंस के पालने व उनके लिये चिकित्सा आदि की सुविधा उपलब्ध कराना आवश्यक है। सभापति महोदया, अब मैं सिंचाई और जल संसाधन पर अपनी बात रखना चाहती हूं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में "हरियाणा जल संसाधन (संरक्षण, विनियमन और प्रबंधन) प्राधिकरण की स्थापना का वर्णन प्रदेश की जनता के हित में एक अच्छा कदम है। हमें जननायक चौधरी देवीलाल जी की प्रदेश में तालाबों के उद्धार व निर्माण की योजना पर जोर देने की बात याद है इसलिए सरकार "हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण" योजना पर विशेष ध्यान दे जिससे कि हरियाणा की जनता को पानी की परेशानी से छुटकारा मिल सके। आज गांवों और शहरों में तालाब या तो खत्म होते जा रहे हैं या उनकी अनदेखी के कारण उनकी उपयोगिता नहीं रह पाई है। बारिश से खेतों में पानी खड़ा होने से उत्पन्न समस्या से किसानों को निजात दिलाने के लिए "मेरा पानी–मेरी विरासत" योजना को प्रभावी बनाये रखने की आवश्यकता है।

साथ ही मेवात फीडर कैनाल के निर्माण करने के निर्णय को शीघ्र लागू करके मेवात की जनता की पानी की समस्या को दूर करने की सरकार शीघ्र से शीघ्र कोशिश करे। अब मैं पंचायती राज के बारे में अपने विचार रखना चाहती हूं। पंचायती राज संस्थाओं में सभी स्तर पर महिलाओं की 50 प्रतिशत भागीदारी करके इस सरकार ने इन संस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाने का काम किया है और इस तरह हमारी जननायक जनता पार्टी के घोषणा पत्र की एक और बड़ी घोषणा महिलाओं की सामाजिक भागीदारी को सरकार ने लागू किया है। प्रदेश भर में पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न पदों पर आसीन रहते सराहनीय कार्य करने वाली 100 महिला अचीवर्स को स्कूटी देकर सम्मानित करना हमारी सरकार का सराहनीय कदम है। इसके अतिरिक्त मनरेगा में 100 लाख मानव दिवस से 170 लाख मानव दिवस बढ़ाना इस सरकार की ग्रामीण कामगारों को रोजगार देने की एक बड़ी पहल है। हमारी सरकार जननायक जनता पार्टी के घोषणा पत्र की एक अन्य बड़ी घोषणा वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं आदि की पेंशन में बढ़ोतरी करके हमारे किये वादे को पूरा करने का काम कर रही है। सभापति महोदया, अब मैं शिक्षा के बारे में बोलना चाहती हूं। हमारी सरकार ने 11 महिला कॉलेजों की नीव रख कर शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों को और आगे बढ़ाने की दिशा में सराहनीय कदम उठाया है। इससे बेटियां घर के नजदीक शिक्षा ग्रहण कर सकेंगी। इसी प्रकार से संस्कृति मॉडल स्कूल खोलना व प्ले स्कूल खोलना ये भी हमारी सरकार का शिक्षा को बढ़ावा देने वाला सराहनीय कदम है। इसके अतिरिक्त गृह जिलों में परीक्षा केन्द्र खोलना भी सरकार का बड़ा सराहनीय कदम है जिससे परीक्षार्थियों को परेशानियों से मुक्ति मिल गई है। जन–स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो इस विभाग का सदैव ही लोक महत्व बना रहता है। विशेषकर हमारे भिवानी, हिसार, सिरसा, महेन्द्रगढ़ व अन्य जिलों में पीने के पानी की समस्या बनी रहती है।

सभापति महोदयाः नैना जी, आप वाइंड अप कीजिए।

श्रीमती नैना सिंह चौटालाः सभापति महोदया, अब मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की कुछ मांगें इस महान सदन के सामने रखना चाहती हूं। बाढड़ा हल्के की सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है। हल्के के लगभग सभी गांव पेयजल की किल्लत से जूझ रहे हैं। इंसानों के साथ–साथ पशुओं के लिए भी पीने के पानी की बड़ी परेशानी है। सभापति महोदया, अब झोझू कलां गांव में खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय स्थापित हो गया है। तेजी से शहर के रूप में विकसित हो रहे गांव झोझू कलां ने

कस्बे का रूप ले लिया है इसलिए क्षेत्र की जन प्रतिनिधि होने के नाते से मैं आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करना चाहूंगी कि गांव झोझू कलां में खंड शिक्षा कार्यालय स्थापित किया जाए जिससे क्षेत्र के लोगों को भी सहूलियत हो और गांव झोझू कलां के विकास को भी बढ़ावा मिल सके। मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव कादमा में राजकीय महाविद्यालय स्थापित करवाया जाये। इस काम के लिए ग्राम पंचायत कादमा आवश्यक जमीन सहर्ष निशुल्क विभाग को देने के लिए भी तैयार है। इसके साथ–साथ गांव कादमा से सम्बन्धित सेठ कालू राम गोयल चैरिटेबल ट्रस्ट अपने पूर्वज स्वर्गीय सेठ कालू राम गोयल जी के नाम से महाविद्यालय बनाने पर सरकारी कॉलेज के भवन निर्माण में आने वाले पूरे खर्च को अपने ट्रस्ट की तरफ से सहर्ष सरकार एवं विभाग को देने को तैयार हैं। इस बारे में उन्होंने बार–बार अनुरोध किया है कि इस कॉलेज का निर्माण जल्दी करवा लिया जाये क्योंकि वे बहुत बुजुर्ग हो चले हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि कादमा में यह कॉलेज यथाशीघ्र बनवाया जाये। सभापति महोदया, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदया : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

> "कि राज्यपाल महोदय को एक समावेश निम्नलिखित शब्दों में पेश किया जाएः–
>
> कि इस सत्र में इकट्ठे हुए हरियाणा विधान सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यंत कृतज्ञ हैं जो उन्होंने दिनांक 5 मार्च, 2021 को 2:00 बजे मध्याह्न पश्चात् सदन में देने की कृपा की है" ।

श्रीमती गीता भुक्कल (झज्जर) (एस.सी) : धन्यवाद, सभापति महोदया, आपने जो मुझे आज हरियाणा प्रदेश की इस महान विधान सभा में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया।

सभापति महोदया : मैं सभी सदस्यों से रिक्वैस्ट करूंगी कि वे यहां सदन में आएं क्योंकि आज महिला दिवस मना रहे हैं इसलिए सभी सदस्य यहां सदन में आकर माननीय सदस्यों की बातें सुनें।

श्रीमती गीता भुक्कल : सभापति महोदया, मैं धन्यवाद करती हूं आदरणीय चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी का जो हमारे विपक्ष के नेता है कि उन्होंने आज इस मौके पर मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने की शुरूआत करने

की इजाजत दी है। सबसे पहले मैं अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विधान सभा के सभी सम्मानित साथियों को और पूरे विश्वभर की महिलाओं को बहुत–बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। आज एक ऐसा समय है जहां हम अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस की चर्चा कर रहे हैं, जहां हम महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की चर्चा कर रहे हैं, वहीं हमारे देश की राजधानी दिल्ली की सरहदों पर हमारा किसान आन्दोलनरत है। हमारा अन्नदाता आन्दोलनरत है। उस आन्दोलन में हमारी बहन–बेटियां भी बैठी हुई हैं। मैं कहना चाहती हूं कि इस समय हमारे बोर्डर पर हमारे प्रदेश की काकी, ताई, बुआ, भतीजी, बहन, बेटी, दादी, नानी, चाची सभी वहां पर अपनी मांगों को लेकर बैठी हुई हैं। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कहना चाहती हूं कि जहां आज हमारा किसान अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज को मजबूत कर रहा है। वहीं आज अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये कमान सभी किसान महिलाएं अपनी किसानी को, अपनी मेहनत को बचाने के लिए सड़कों पर ट्रैक्टर लेकर निकली हुई हैं। हमें सोचना होगा कि आज जहां हम लोग महिलाओं के सम्मान के लिए बात कर रहे हैं। उसमें क्या केवल अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च का दिन ही महिलाओं को जिम्मेवारी देने के लिए काफी है। आज हमारे प्रदेश और देश ने हमें महिलाओं के रूप में राष्ट्रपति दिए हैं, प्रधान मंत्री दिए हैं, मुख्यमंत्री दिए हैं, गवर्नर दिये हैं, डिफैंस मिनिस्टर दिये हैं, फाईनैंस मिनिस्टर दिये हैं और बड़े–बड़े आई.ए.एस. टॉपर्ज दिये हैं। हमारी महिला अन्तरिक्ष में गई है, स्पोर्टस में गई हैं। 50 प्रतिशत ह्यूमन रिसोर्सिज का हर सरकार को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर उपयोग करना चाहिए ताकि वह प्रदेश और देश तरक्की कर सके। ऐसे मौके पर मैं कहना चाहूंगी कि हमने अपनी विधान सभा के परिसर में डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किया है और उसके साथ–साथ हमने वहां पर संविधान की प्रति लगाने का काम भी किया है। उससे पहले भगवद् गीता जो हमारा सभी का पवित्र ग्रंथ है उसको भी हमने यहां विधान सभा में स्थापित करने का काम किया है लेकिन जब तक हम संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करेंगे तब तक केवल मूर्ति स्थापित करने से कुछ नहीं होगा। केवल संविधान की प्रति रखने से कुछ नहीं होगा। इसके बारे में आज हमें सोचना होगा। बाबा साहिब डॉ. भीम राव अम्बेडकर जी जोकि संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। मैं विशेष तौर पर महिला दिवस के अवसर पर कहना चाहती हूं जो बाबा साहिब डॉ. भीम राव अम्बेडकर जी ने कहा है कि–

"I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved."

महिलाओं की अचीवमैंट पर ही कोई देश और प्रदेश तरक्की करेगा लेकिन आज महिलाओं की स्थिति कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि आज हमारी महिलाएं अपने बच्चों के साथ बोर्डर पर धरने पर बैठी हुई हैं। मैं आज गुरू ग्रंथ साहिब में जो बाबा गुरूनानक देव जी ने कहा है कि **सो क्यों मंदा आखिय जित जन्मे राजान।** On female gender equality, why to call her inferior, from her the kings are born. गुरू नानक देव जी ने जो गुरू बाणी में कहा है उस पर हमारे देश के प्रधान मंत्री जी को अमल करना चाहिए। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इस बात पर अमल करना चाहिए। उन्हीं बहनों के, माताओं के पेट से ही ये राजा, प्रधान मंत्री, मुख्यमंत्री व मंत्री पैदा हुए हैं इसलिए उनकी मांगों पर इनको पूरी तरह से विचार करने का काम करना चाहिए। आज मैं यह जरूर कहना चाहूंगी कि हमारा किसान उन तीन काले कृषि कानूनों को लेकर देश की राजधानी पर बैठा हुआ है और आज उनको वहां बैठे हुए 103 से ज्यादा दिन हो गये हैं। केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों की तीनों सीमाओं पर लाखों की संख्या में किसान बैठे हुए हैं। ये तीन ऐसे कानून हैं जिनको काले कानून कहा जा रहा है। ये तीन काले कानून इस प्रकार हैं–

1. The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020.
2. The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020.
3. The Essential Commodities (Amendment) Act, 2020.

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : गीता जी, आपकी पार्टी ने तो अपने घोषणा पत्र में कह रखा है कि हम ये कानून बनाएंगे। आप लोगों ने तो वायदा कर रखा है। गलत काम तो आपकी पार्टी की सरकार करके गई है। 10 साल आपकी सरकार चली। इसकी ड्राफ्टिंग आपकी सरकार की है। आपके कृषि मंत्री का इसके लिए बार–बार आग्रह आया है। आप यह तो बता दें कि इसमें काला क्या है।

सभापति महोदयाः मंत्री जी, आप उनको बोलने दीजिए। आप बाद में जब अपना रिप्लाई देंगे तब उनका रिबट करियेगा।

श्रीमती गीता भुक्कल : मंत्री जी, आप तो संसदीय कार्य मंत्री हैं। आपकी तो व्यवस्था बनाने की जिम्मेवारी है। सभापति महोदया, 11 दौर की चर्चा हो चुकी है लेकिन बावजूद इसके आज भी हमारे किसान भाइयों को अपनी मांगों के लिए दिल्ली बार्डर पर बैठने को मजबूर होना पड़ रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पालः सभापति महोदया, गीता भुक्कल जी इस सदन की बहुत ही विद्वान सदस्या हैं और इसलिए मैं आपके माध्यम से उनसे जानना चाहूंगा कि उनकी तरफ से जिन कृषि कानूनों को काले कानून कहा जा रहा है, वे जरा विस्तार के साथ और बढ़िया तरीके से इस सदन को बतायें कि इन कृषि कानूनों में कौन सी बात उनको काली नज़र आ रही है ताकि सदन की जिस कार्यवाही को आज पूरा प्रदेश देख और सुन रहा है उनको भी तो पता चल जाये कि आखिर इन कानूनों में काला क्या है? (विघ्न)

सभापति महोदया : मंत्री जी, जब आपको बोलने का मौका मिलेगा तब आप माननीय सदस्या द्वारा कही गई बात को क्लीयर कर देना। माननीय सदस्या जो बोल रही हैं, यह उनके खुद के विचार हैं अतः आप प्लीज बैठिए और माननीय सदस्या श्रीमती गीता भुक्कल को अपने विचार रखने दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पालः सभापति महोदया, माननीय सदस्या अपने विचार प्रकट कर रही है यह तो बात ठीक है लेकिन विचारों को इस तरह भी तो प्रकट न करने दिया जाये कि विचार प्रकट करके हाउस को गुमराह किया जाये। विचारों को प्रकट करने का प्रयोजन सही दिशा दिखाने के लिए होना चाहिए न कि हाउस को गुमराह करने के लिए ?

सभापति महोदयाः मंत्री जी, सदन में राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा हो रही है अतः आप चर्चा को बाधित न करके इसे जारी रहने दें और अपनी सीट पर बैठ जाये।

श्रीमती गीता भुक्कलः सभापति महोदया, हमारे किसान भाई अपना चूल्हा–चौका छोड़कर, अपने बीवी–बच्चों समेत कोई शौक के साथ दिल्ली बार्डर पर नहीं बैठे हैं। आज वहां पर 250 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। सभापति महोदया, कल एक 47 वर्षीय किसान जिसका नाम राजबीर सिहाग था, ने वहां पर सुसाइड किया है और सुसाइड करने से पहले उस किसान ने एक सुसाइड नोट लिखा। इस सुसाइड नोट में उस किसान ने लिखा कि सरदार भगत सिंह ने देश के लिए कुर्बानी दी और मैं अपने किसान भाइयों के लिए जान देने जा रहा हूँ। इस तरह की घटनाओं

से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को शर्म आनी चाहिए। सरकार द्वारा किसानों के प्रति बरता जा रहा पक्षपातपूर्ण रवैया एक तरह से किसानों को अपमानित करने वाला रवैया है और बार–बार भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार किसानों को अपमानित करने का काम कर रही है। सभापति महोदया, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इन कानूनों में काला क्यों नजर नहीं आ रहा है? सभापति महोदया, जिस 47 वर्षीय राजबीर सिहाग ने सुसाइड किया वह अपने नाम के साथ सिहाग लगाते थे, उस परिपेक्ष्य में मैं कहना चाहूंगी कि चौधरी देवीलाल जी जोकि कहा करते थे कि लोकतंत्र–लोकलाज से चलता है, वे चौधरी देवीलाल भी सिहाग थे, सदन में उपस्थित श्रीमती नैना सिंह चौटाला भी अपने नाम के साथ सिहाग लगाती हैं, सरकार के डिप्टी–सी.एम. भी अपने नाम के साथ सिहाग लगाते हैं, मैं पूछना चाहती हूँ कि आज ये लोग कहा चले गए हैं? सभापति महोदया, मरने वाले की आखिरी इच्छा तो सब पूरी करते हैं अतः इस नियम पर चलते हुए इस सरकार को भी कम से कम सुसाइड करने वाले उस किसान की आखिरी इच्छा को पूरा करने का काम करना चाहिए लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। मैं कहती हूँ कि इसके लिए सरकार को शर्म आनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पालः सभापति महोदया, शर्म तो विपक्ष की तरफ बैठे कांग्रेस पार्टी के लोगों को आनी चाहिए जोकि लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। इन लोगों ने किसानों को उकसाने का काम किया है। जो किसान भाई दिल्ली बार्डर पर स्वर्गवासी हुए हैं, उनके लिए हमारे दिल में भी दर्द है–सम्मान है लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो पाप यह कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं, इसके लिए देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करने वाली है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः सभापति महोदया, मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी को सुनने की हिम्मत भी रखनी चाहिए।(शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पालः सभापति महोदया, माननीय सदस्या ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है और मुझे इस आरोप का जवाब देने से कोई रोक नहीं सकता। सभापति महोदया, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने वहां बार्डर पर बजुर्ग लोगों को धरने पर बैठाने का काम किया। अक्सर यह चर्चा होती है कि अगर कोई बुजर्ग सर्दी काट जाता है तो समझो उसका साल निकल जायेगा। इस अवधारणा को दर–किनार करते हुए इन लोगों ने बुजुर्गों को सर्दी के मौसम में दिल्ली बार्डर पर धरने पर बैठाने का

काम किया और जिसका नतीजा यह रहा कि वहां पर 2–4 बुजुर्गों का स्वर्गवास हो गया। सभापति महोदया, इन लोगों की जिम्मेवारी थी कि ये उन बुजुर्गों को कहते कि वे घर बैठे और उनकी जगह ये लोग धरने पर बैठेंगे लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इन लोगों को तो उन बुजुर्गो की लाशों पर राजनीति करनी थी इसलिए इन लोगों ने उन बुजुर्गो को वहां पर बैठाकर रखा। सभापति महोदया, उन बुजुर्गों को बॉर्डर पर मरवाने के लिए पूरी तरह से जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी के लोग और किसान यूनियन हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार नहीं है। अब ये लोग उन बुजुर्ग लोगों को शहीद की संज्ञा देकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। सभापति महोदया, मैं इस घटना के संदर्भ में एक पुरानी बात बताता हूँ। राजस्थान में एक औरत थी जिसका नाम रूपकंवर था, वह सती हो गई थी उस समय के जो विद्वान बुद्धिजीवी थे, ने लिखा कि वह औरत अपनी मर्जी से सती नहीं हुई थी बल्कि लोगों ने उस औरत को ऐसा करने के लिए उकसाया था इसलिए वह सती हुई थी और ठीक उसी प्रकार का काम विपक्ष के साथियों ने और किसान यूनियन ने किया है। ये जो बुजुर्ग लोग मौत का शिकार बने इस पाप के लिए विपक्ष जिम्मेदार है, कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, किसान यूनियन के लोग जिम्मेदार हैं।

16:00 बजे

श्री असीम गोयलः माननीय सभापति महोदया, बहन गीता जी किसानों के नाम पर राजनीति कर रही है। (शोर एवं व्यवधान)

सभापति महोदयाः असीम जी, प्लीज आप अपनी सीट पर बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः सभापति महोदया, सरकार ने माननीय राज्यपाल महोदय को भी अंधेरे में रखा है क्योंकि माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में एक शब्द भी किसानों की सहानुभूति बारे जिक्र नहीं किया है। इस समय माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सदन में उपस्थित हैं, उन्हें आंदोलनरत किसानों से माफी मांगनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय ये वो किसान हैं जिन्होंने कृषि कानून आंदोलन के दौरान अपनी शहादत देने का काम किया है। ये वो किसान हैं जिन्होंने एक महिला को विधवा बनाने का काम किया है। ये वो किसान हैं जिन्होंने बहन का भाई छीनने का काम किया है। माननीय कृषि मंत्री ने किसानों के बारे में एक शब्द सहानुभूति का बोलने की बजाय उनकी खिल्ली उड़ाने का काम किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पालः सभापति महोदया, हमारी किसानों के प्रति पूरी सहानुभूति है। सभापति महोदया, किसानों को बहकाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। (शोर एवं व्यवधान)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल): सभापति महोदया, सभी को पता है कि किसानों को कौन बहका रहा है? किसानों को गुमराह करने का काम कांग्रेस पार्टी के सदस्य करते हैं। आज इन्हीं की वजह से हमारा किसान आंदोलनरत है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः सभापति महोदया, आज हम कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्यगण शहीद किसानों को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। कांग्रेस पार्टी शहीद किसानों को सलाम करती है। मैं तो यह कहती हूँ कि आने वाला समय कभी भी ऐसे मंत्रियों को माफ नहीं करेगा, जो किसानों की खिल्ली उड़ाते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पालः सभापति महोदया, कांग्रेस पार्टी के लोग जम्मू कश्मीर में तो बच्चों पर पत्थर मरवाने का काम करते हैं और अपने बच्चों को विदेशों में पढ़वाने के लिए भेजते हैं। माननीय विधायक श्रीमती गीता भुक्कल आज सदन में ऐसा ही व्यवहार कर रही है। (शोर एवं व्यवधान)

सभापति महोदयाः माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप बहन गीता भुक्कल जी को बोलने दीजिए। उन्हें बीच में डिस्टर्ब न करे। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि इसका क्या कारण है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी मन की बात तो करते हैं लेकिन किसानों की बात नहीं सुनते हैं। इसका भी क्या कारण है कि हमारे प्रदेश के मुखिया श्री मनोहर लाल माननीय प्रधानमंत्री जी की तरह बड़ी–बड़ी बातें करते रहते हैं लेकिन किसानों के बारे में कोई बात नहीं करते हैं। सरकार ने गलत तथ्यों के साथ ए.पी.एम.सी. एक्ट में संशोधन करने के लिये प्राईवेट मैम्बर बिल को निरस्त करने का काम किया है। आज हमारे किसानों की केवल और केवल यही मांग है कि उन्हें अपनी फसल का सही दाम मिले। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश दलालः सभापति महोदया, कांग्रेस पार्टी के नेतागण किसानों की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

सभापति महोदयाः माननीय मंत्री जी, बहन गीता भुक्कल जी को बोलने दीजिए। उन्हें बीच–बीच में डिस्टर्ब न करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पालः सभापति महोदया, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार हमेशा किसानों की भलाई के लिये सोचती है। (शोर एवं व्यवधान)

सभापति महोदयाः प्लीज आप लोग बीच–बीच में डिस्टर्ब न करें। बहन गीता भुक्कल जी को बोलने दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : सभापति महोदया, हम अपने मान–सम्मान की स्वयं रक्षा कर सकती हैं । मैं कहना चाहूंगी कि जनता द्वारा चुने हुए अपने नुमाइन्दों से किसान अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन उनके पास किसानों की बात सुनने के लिए न समय है और न ही फुर्सत है । उन किसानों के आगे सरकार ने बड़े–बड़े बैरीकेड्स लगा दिए, बड़ी–बड़ी कीलें लगा दी, गडढ़े खोद दिए जबकि यह काम सीमा की रक्षा के लिए देश की सीमा पर होना चाहिए था न कि देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर । (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. कमल गुप्ता : सभापति महोदया, मैं माननीय सदस्या से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के लाल किले पर ट्रैक्टर किसने चलवाये और पुलिस वालों को ट्रैक्टर से कुचलवाने और तलवारों से कटवाने का किसने प्रयास किया था ? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : सभापति महोदया, मैं कहना चाहती हूं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री अपने राजधर्म का पालन करें ।

सभापति महोदयाः गीता जी, अब आप रैप अप कीजिए ।

श्रीमती गीता भुक्कल : सभापति महोदया, मैं कहना चाहती हूं कि हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री शर्म करें जिन्होंने किसान की खिल्ली उड़ाई है । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती सीमा त्रिखा : सभापति महोदया, बहन गीता जी इस तरह से बात करके सदन की मर्यादा का उल्लंघन कर रही हैं।(शोर एवं व्यवधान)

सभापति महोदया : सीमा जी, आप रूल फॉलो कीजिए और बहन गीता जी को अपनी बात रखने दीजिए।(शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : सभापति महोदया, मैं कहना चाहती हूं कि आज किसान और किसानी खतरे में है । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती सीमा त्रिखा : सभापति महोदय, मैं कृषि के बारे में कुछ कहना चाहती हूं । (शोर एवं व्यवधान)

सभापति महोदया : सीमा जी, आप रूल फॉलो कीजिए ।

श्रीमती गीता भुक्कल : सभापति महोदया, हमारे देश में 'जय जवान, जय किसान' का नारा दिया गया था लेकिन मैं प्रश्न पूछना चाहती हूं कि आज हमारे प्रदेश में मण्डियां क्यों खत्म की जा रही हैं ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश दलाल : सभापति महोदया, माननीय सदस्या मुझे बताए कि प्रदेश में कौन–सी मण्डी खत्म हुई है ? मण्डियां तो बढ़ाई जा रही हैं । (शोर एवं व्यवधान) हमें बताया जाए कि कौन–सी मण्डी खत्म की गई है ? हम तो मण्डियां बढ़ा रहे हैं । विपक्ष के सदस्य लोगों को बहका रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : सभापति महोदया, आज सरकारी संस्थाओं का निजीकरण क्यों किया जा रहा है ? जनता दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी । माननीय प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि एम.एस.पी. था, एम.एस.पी. है और एम.एस.पी. रहेगा । मैं पूछना चाहती हूं कि इन कृषि कानूनों के लागू हो जाने के बाद एम.एस.पी. कहां रह जाएगा ? (शोर एवं व्यवधान)

Madam Chairperson : Please wrap it up. आप प्लीज रैप अप कीजिए ।

श्रीमती गीता भुक्कल : सभापति महोदया, मैं रैप अप कर रही हूं । मेरे समय के बीच में सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य मुझे बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं । अतः आप इनको रोकिये ।

सभापति महोदया : गीता जी, आप रैप अप कीजिए ।

श्रीमती गीता भुक्कल : सभापति महोदया, मेरा कहना है कि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य कम से कम 'अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस' पर तो महिला सदस्य की आवाज को न दबाएं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश दलाल : सभापति महोदया, हमने कोई मण्डी खत्म नहीं की है । (शोर एवं व्यवधान)

सभापति महोदया : जय प्रकाश जी, आप प्लीज बैठ जाइये । सदन में इस तरह से बात करना ठीक नहीं है ।

श्रीमती गीता भुक्कल : सभापति महोदया, हमारी सरकार के समय कहा जाता था कि 'हुड्डा तेरे राज में, जीरी गई जहाज में ।' आज प्रदेश के किसान रो रहे हैं । इस विषय में हमें विचार करना चाहिए । सभापति महोदया, मैं एक बात कहना

चाहूंगी कि अभी हम सभी ने संत शिरोमणि गुरू श्री रविदास जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई है । जब हम किसी महापुरूष की जयंती को धूमधाम से मनाते हैं तो उसके बाद हमारा फर्ज होता है कि हम उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में, राजधर्म में और नित्य की कार्य–प्रणाली में लेकर आयें । उन्होंने 640 वर्ष पहले कहा था कि –

ऐसा चाहूं राज मैं,
जहां मिले सबन को अन्न,
छोट बड़ो सम बसे,
रैदास रहे प्रसन्न ।

सभापति महोदया, आज क्या स्थिति है ? आज अन्न को लेकर झगड़ा होता है । आज भी वही पहले वाली स्थिति है । आज सरकार गरीबों के हक को खत्म करने का काम कर रही है । मैं पंचायती राज पर एक बात कहना चाहती हूं । (शोर एवं व्यवधान)

Madam Chairperson: Please wrap it up.

श्रीमती सीमा त्रिखा : सभापति महोदया, आपको सदन में उपस्थित सभी महिला सदस्यों को बोलने का मौका देना चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

सभापति महोदया : सीमा जी, आप प्लीज अपनी सीट पर बैठ जाइये ।

श्रीमती गीता भुक्कल : सभापति महोदया, आज पंचायती राज के बारे में बड़ी–बड़ी बातें की जा रही हैं । हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में बोलते हुए पूछा कि क्या हमारे देश को बाबू चलाएंगे । ज्यूडिशरी, लैजिस्लेटिव और एक्जीक्यूटिव तो हमारा संवैधानिक सिस्टम है । क्या सरकार यू.पी.एस.सी. को भी खत्म करना चाह रही है ? सरकार आई.ए.एस. ऑफिसर्ज को 'बाबू' कह रही है । 73वें अमैंडमैंट के तहत हमारे प्रदेश में पंचायती राज संस्था कांस्टीच्यूशनल इंस्टीच्यूशन है । (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय महिला सभापतियों की सूची में से एक सदस्य श्रीमती सीमा त्रिखा पदासीन हुई ।)

सभापति महोदया : गीता जी, आपका समय समाप्त हो गया है, इसलिए आप अपनी सीट पर बैठ जाइये ।

श्रीमती गीता भुक्कल : सभापति महोदया, हमने सत्ता पक्ष के किसी भी माननीय सदस्य को बोलते हुए डिस्टर्ब नहीं किया था । (शोर एवं व्यवधान)

सभापति महोदया : गीता जी, प्लीज अब आप बैठ जाएं। आपके बोलने का समय पूरा हो चुका है।

श्रीमती गीता भुक्कल : सभापति महोदया, जब आप अपनी बात रख रही थी तो हमने बीच में एक शब्द भी नहीं बोला। जब मैं बोल रही हूं तो उस समय सभी माननीय सदस्य बीच में बोल रहे हैं।

सभापति महोदया : गीता जी, इस समय मैं सभापति की भूमिका में हूं। प्लीज, आप बैठ जाएं।

श्रीमती गीता भुक्कल : सभापति महोदया, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप यहां पर डैकोरम बनाएं।

(इस समय इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी की माननीय सदस्या श्रीमती गीता भुक्कल सदन की वैल में आकर बोलने लगी।)

सभापति महोदया : गीता जी, मैं टाइम के अनुसार ही डेकोरम बना रही हूं। आप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाएं। अब माननीय सदस्या श्रीमती निर्मल रानी अपनी बात रखेंगी।

श्रीमती गीता भुक्कल : सभापति महोदया, मुझे अपनी बात रखने के लिए दो मिनट का समय और दिया जाए।

सभापति महोदया : गीता जी, आपको अपनी बात रखने के लिए एक मिनट का और समय दिया जाता है। अब आप अपनी बात शुरू करें क्योंकि आपके बोलने का समय शुरू हो चुका है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : सभापति महोदया, जब माननीय सदस्या श्रीमती गीता भुक्कल जी अपनी बात रख रही थी तो उस समय बीच में दूसरे माननीय सदस्य डिस्टर्ब कर रहे थे। इसलिए वह टाइम इनके बोलने के समय में काउंट नहीं होना चाहिए।

सभापति महोदया : गीता जी, आप अपनी बात रखना शुरू करें।

श्रीमती गीता भुक्कल : सभापति महोदया, हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि इस समय प्रदेश के हालात सही नहीं हैं, इसलिए हम पंचायतों के चुनाव नहीं करवा पाएंगे। सरपंच, जिला परिषद और ब्लॉक समिति के मैम्बर्ज की पॉवर संबंधित बी.डी.पी.ओज., एस.डी.एमज. और सी.ई.ओज. को दे दी गई है। क्या प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार को भी बाबूओं के हाथों में दे रहे हैं, मैं इस बात की निन्दा करती हूं क्योंकि आप हमारी ब्यूरोक्रैसी को बाबू नहीं कह सकते। आज अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे

हैं और दलितों के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आपने सबसे पहले शैड्यूल कॉस्ट कमीशन को खत्म कर दिया। सरकार शिक्षा देने की बात कर रही है, परन्तु स्कूल्ज बन्द कर रहे हैं और बिल्डिंग्ज नहीं बना रहे हैं। सरकार ने शिक्षा के अधिकार का भट्ठा बैठा दिया है। सरकार स्कूल्ज और डाईट्स खोलने की बजाए बन्द कर रही है। (शोर एवं व्यवधान)

सभापति महोदया : गीता जी, आपके बोलने का समय पूरा हो चुका है। अगर आप अपनी बात लिखित में देना चाहती हैं तो दे सकती हैं। प्लीज, अब आप बैठ जाएं। माननीय सदस्या श्रीमती निर्मल रानी जी अपनी बात रखेंगी।

श्रीमती गीता भुक्कल : सभापति महोदया, प्रदेश में कोविड–19 के समय में शराब घोटाला हुआ था।

श्रीमती निर्मल रानी (गन्नौर) : सभापति महोदया, आज अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को जो सम्मान दिया गया है। उसके लिए मैं इस सदन का बहुत–बहुत धन्यवाद करती हूं और सभी को बधाई देना चाहती हूं। आप जिस कुर्सी पर विराजमान हैं उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देती हूं और धन्यवाद करती हूं।

श्रीमती गीता भुक्कल : सभापति महोदया, प्रदेश में जो घोटाले किये गये हैं, उनके लिए प्रदेश की जनता आने वाले समय में जवाब देगी।

श्रीमती निर्मल रानी : सभापति महोदया, सदन में बहुत देर से महिलाओं की बात की जा रही है।

श्रीमती गीता भुक्कल : सभापति महोदया, मुझे बोलते हुए अभी आधी मिनट ही हुई है, इसलिए मुझे बोलने के लिए समय दिया जाए।

सभापति महोदया : गीता जी, आप सिस्टम को फॉलो करें। प्लीज, अब आप बैठ जाएं। अब माननीय सदस्या श्रीमती निर्मल रानी जी अपनी बात रखेंगी।

श्रीमती गीता भुक्कल : सभापति महोदया, मुझे अपनी बात रखने के लिए समय दिया जाए।

श्रीमती निर्मल रानी : सभापति महोदया, माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में महिलाओं के मान–सम्मान की बात की है। मेरे से पहले भी जो महिलाओं के मान–सम्मान की बात हो रही थी, उसके बारे में मैं एक बात पूछना चाहती हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : सभापति महोदया, आज अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बोलने के लिए समय न देने पर मैं इस सरकार की निन्दा करती हूं।

सभापति महोदया : गीता जी, प्लीज, आप बैठ जाएं। अब माननीय सदस्या श्रीमती निर्मल रानी अपनी बात रख रही हैं।

श्रीमती गीता भुक्कल : सभापति महोदया, सरकार किसानों और दलितों की आवाज को दबा नहीं सकती।

सभापति महोदया : निर्मल जी, आप अपनी बात जारी रखें।

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : सभापति महोदया, अभी माननीय सदस्या ने कहा कि किसानों को उनकी फसलों का अच्छा दाम मिलना चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को कहना चाहूंगा कि वे अपनी पार्टी की सरकार के समय से हमारी सरकार के समय की तुलना कर लें। इनकी पार्टी की सरकार में 10 साल में कितना एम.एस.पी. बढ़ा था और हमारी सरकार के समय में कितना एम.एस.पी. बढ़ा है। इनकी पार्टी की सरकार के 10 साल में कितनी फसलें खरीदी गयी और हमारी सरकार में कितनी फसलें खरीदी जाती हैं। इनकी पार्टी के 10 साल के समय में किसानों को कितना मुआवजा दिया गया था और हमारी सरकार के समय में कितना मुआवजा दिया गया है। (विघ्न)

सभापति महोदया : सभी माननीय सदस्य मर्यादा का पालन करें और बैठ जाएं। माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री कंवर पाल : सभापति महोदया, हम इनकी सरकार के समय किये गये कार्यों के साथ तुलना करने के लिए तैयार हैं। माननीय सदस्या ने संत रविदास जी महाराज की बात की है कि सबको अन्न मिलेगा तभी संत रविदास जी खुश होंगे। हमारी पार्टी की सरकार आने के बाद ब्लैक मार्केटिंग नहीं होती है, परन्तु इनकी पार्टी की सरकार के समय गेहू, आटा और गैस सिलेंडर तथा दूसरी चीजों की ब्लैक मार्केटिंग होती थी। गरीबों का शोषण इनकी पार्टी की सरकार में हुआ था और हमारी सरकार किसानों और गरीबों की भलाई के लिए कार्य कर रही है। इस प्रकार के कार्य इनकी पार्टी की सरकार के समय में ही होते थे। हमारी सरकार गरीबों और किसानों की भलाई के लिए कार्य कर रही है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री लक्ष्मण नापा : सभापति महोदया, (शोर एवं व्यवधान)

सभापति महोदया : लक्ष्मण जी, प्लीज, आप बैठ जाएं। अब श्रीमती निर्मल रानी जी अपनी बात रखने के लिए खड़ी हैं।

श्रीमती निर्मल रानी: सभापति महोदया, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के मान–सम्मान की बात हो रही है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को कहना चाहूंगी कि हरियाणा प्रदेश में वर्ष 2011 में हुई जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 1 हजार लड़कों पर 833 लड़कियां थी और वर्ष 2015 में 876 लड़कियां थी और जो आज वर्ष 2020 में 1000 लड़कों पर 922 लड़कियों की संख्या हो गई हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने दिनांक 22 जनवरी 2015 को ''बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ'' के नाम से एक अभियान चलाया था। जब बेटियां बचती ही नहीं है अर्थात् गर्भ के दौरान ही इनको मौत के घाट उतार दिया जाता है तो फिर उनके मान सम्मान की बात कहां से आ जाती है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं कि वर्ष 2011 में क्या सेक्स रेशो थी और वर्ष 2020 में क्या सेक्स रेश्यो है? मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि आज हरियाणा प्रदेश में सेक्स रेशो बढ़ चुका है और हमारी सरकार ने वर्ष 2021 में 1000 लड़कों पर 935 लड़कियां बचाने का टारगेट निश्चित किया है। इसके अलावा पंचकूला और नूंह में 1000 लड़कों पर 939 लड़कियां हैं जो आज के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो हाइऐस्ट है। पहले पी.एन.डी.टी. एक्ट के तहत 70 एफ.आई.आर. दर्ज होती थी जो आज 100 एफ.आई.आर. दर्ज होती हैं। आज बेटियों को बचाने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सराहनीय कार्य किया है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाये उतनी ही कम है। दूसरी तरफ हमारे कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा महिलाओं के सम्मान की बातें की जाती हैं। अभी कुछ समय पहले हमारी दो छोटी–छोटी बच्चियों ने एक मार्मिक गाना गया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री शमशेर सिंह गोगी : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या से कहना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

सभापति महोदया : गोगी जी, प्लीज आप बैठ जायें। जब आपको बोलने का समय दिया जायेगा तब आप अपनी बात रख लेना। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती निर्मला रानी : सभापति महोदया, दो छोटी–छोटी बच्चियों ने एक मार्मिक गाना गया था कि ''मां मने तू मरवाइए ना, मैं संसार देखणा चाहूं सू''। सभापति महोदय, मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से पूछना चाहती हूं कि जब बच्चियां कोख में मरवा दी जाती थी और आज ये लोग इनके मान सम्मान की बातें करते हैं। बेटियों को पढ़ाने के लिए किसने बढ़ावा दिया। मैं उसे बारे में बताना चाहूंगी कि हमारी

भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेटियों को पढ़ाने के लिए बढ़ावा दिया था। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में भी महिलाओं के मान सम्मान की बात कही है और मैं समझती हूं कि यह बहुत बड़ी बात है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : सभापति महोदया, आज ये लोग माता और बहनों के मान सम्मान की बात करते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

सभापति महोदयाः गीता जी, आपको अपनी बात कहने का समय दिया जायेगा। प्लीज आप बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती निर्मला रानी : सभापति महोदया, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ''यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमन्ते तत्र देवता''। आज पूरे भारत में नारियों की बहुत इज्जत हो रही है। जिसके कारण आज हमारा भारत देश तरक्की कर रहा है। आज विश्व में जाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि विश्व में भारत की क्या इज्जत है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की क्या इज्जत है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या से कहना चाहूंगी कि नरेन्द्र मोदी की कोई इज्जत नहीं करता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती निर्मला रानी : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या श्रीमती गीता जी से कहना चाहूंगी कि मैं इनकी यह बात नहीं मानती हूं क्योंकि इनके कहने से न तो इज्जत घटेगी और न ही बढ़ेगी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मैं इस महान सदन में यही बात कहना चाहूंगी कि केवल एक आदमी को शिक्षित किया जाता है तो केवल एक आदमी शिक्षित होता है और यदि एक महिला को शिक्षित किया जाता है तो पूरा देश विकसित होता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बिशन लाल सैनी : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अपनी बात कहना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

सभापति महोदया : सैनी जी, प्लीज आप बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री शमशेर सिंह गोगी : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अपनी बात कहना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

सभापति महोदया : गोगी जी, प्लीज आप बैठ जायें। आपको भी बोलने का समय दिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती निर्मला रानी : सभापति महोदय, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने हरियाणा प्रदेश में ''बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ'' का मिशन अभियान चलाया था वह आज काफी ऊंचाइयों पर है इसलिए मैं आशा करती हूं कि हमारे प्रदेश में इसी तरह से और मिशन भी चलें। धन्यवाद।

सभापति महोदया : माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको पता ही है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इसके उपलक्ष्य में बहनों को पहले समय दिया जा रहा है और मैं यह चीज देख रही हूं कि जब कोई बहन बेटी की बात करता है तो न राजनीतिक दल बीच में आता है न कोई और विषय बीच में आता है। बेटियों और बहनें सबकी सांझी होती हैं। मुझे इस कुर्सी पर बैठकर बड़ी शर्म आ रही है कि मैंने एक भी ऐसा माननीय सदस्य नहीं देखा जो किसी माननीय सदस्या के बयान में रुकावट या अवरोद्ध पैदा न कर रहा हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कल : सभापति महोदय, मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

सभापति महोदया : गीता जी, आप एक महिला हैं और मैं भी एक महिला हूं और महिला होने के नाते से मैं सब बातें समझती हूं। आप इस महान सदन की सीनियर सदस्या हैं इसलिए आप हाउस की कार्यवाही को बीच में डिस्टर्ब न करें। प्लीज आप बैठ जायें। हमें सभी को इस महान सदन की गरिमा को बनाये रखना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान) गीता जी, आपको भी इस बात पता है कि महिलाओं की गरिमा सबसे ऊपर होती है। (शोर एवं व्यवधान) मेरा आप सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि पहले हमारी बहन बेटियों को बोलने का मौका दीजिए उसके बाद जो माननीय सदस्य अपनी बात कहना चाहते हैं वे कह सकते है। हम जितने भी माननीय सदस्य इस महान सदन में बैठे हैं सिर्फ उस जननी के संस्कारों का प्रतिबिम्ब है और हमारा व्यवहार भी उसी चीज के अनुरूप होना चाहिए।

श्री असीम गोयल (अम्बाला शहर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर बधाई देना चाहता हूं। मैं आज और बात न कहते हुए सिर्फ महिलाओं के सम्मान की बात करूंगा। आज मैं (असीम गोयल), श्री सुभाष सुधा जी और श्री कुलदीप वत्स जी पिंक सूट डालकर आये हैं

और मैं माननीय सदस्यों का इस पिंक पावर को पहनने के लिए सेल्यूट भी करता हूं। आज हम लोग जानबुझकर पिंक सूट डालकर आये हैं क्योंकि आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है। हम सभी सदस्य महिला शक्ति को नमन करते हैं और इस पिंक पावर को भी सेल्यूट करते हैं। मैं इस महान सदन में केवल मात्र अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर बधाई देने के लिए खड़ा हुआ हूं और केवल मैं दो बातें कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा।

ये मीरा की अमर भक्ति है, कभी मर नहीं सकती।
ये झांसी की रानी है किसी से डर नहीं सकती।
गीता फौगाट, बबीता फौगाट, सानिया मिर्जा ये सब बेटियां हैं।
कौन कहता है कि बेटियां कुछ कर नहीं सकती।
धन्यवाद।

श्रीमती शैली (नारायणगढ़) : सभापति महोदया, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करती हूं जो आपने आज मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया। (शोर एवं व्यवधान) आज महिला दिवस की मैं आप सभी को बधाई देती हूं। आज मैं पूरे सदन को भी बधाई देना चाहूती हूं कि आज हमारी महिला बहनों को इस सदन की कार्यवाही को चलाने का मौका दिया गया। अब मैं महिला दिवस पर कुछ कहना चाहूंगी कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। भारतीय संस्कृति में नारी के सम्मान को बहुत महत्व दिया गया है। मुझे अपनी भारतीय महिलाओं पर गर्व है जिन्होंने अपनी मेहनत, हिम्मत और प्रतिभा के बल पर प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व और सराहनीय कार्य किये। सभापति महोदया, अब मैं महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर बोलना चाहती हूं। महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने इस सदन में सरकार की उपलब्धियों के बारे में अपना अभिभाषण दिया। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मैं अपने कुछ विचार रखना चाहूंगी। सबसे पहले मैं प्रदेश में बेरोजगारी के बारे में बात करना चाहूंगी। आज हमारे हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी की दर बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। इस समय हमारे प्रदेश के नौजवानों के पास कोई काम नहीं है। हम सभी यह देख रहे हैं कि हमारा पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा दर–दर की ठोकरें खा रहा है। सरकार बार–बार यही कहती है कि वह हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोजगार देगी लेकिन आज नौकरियां देने की बजाये युवाओं को नौकरी से निकाला जा रहा है। जब हरियाणा

प्रदेश में नई फैक्ट्रीज ही नहीं लगेंगी और जो फैक्ट्रीज पहले से लगी हुई हैं अगर वे भी बंद हो जायेंगी तो फिर सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार कहां से देगी? बेरोजगार होने के कारण आज हमारे प्रदेश का अधिकतर युवा पूरी तरह से नशे में डूब चुका है। मैं प्रदेश सरकार से यही कहना चाहूंगी कि प्रदेश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जाये। एक बात मैं प्रदेश के किसानों के लिए कहना चाहूंगी। सरकार यह कहती है कि वह किसानों की आय को दोगुनी करेगी। क्या सरकार अपनी वर्तमान कारगुजारियों के साथ प्रदेश के किसानों की आय को दोगुनी करेगी? सरकार किसानों के लिए तीन काले कानून लेकर आई है। बहन गीता ने विस्तार से सारी की सारी बात यहां पर रखी है। हमारे प्रदेश का किसान पिछले तीन महीने से दिल्ली बार्डर बैठा हुआ है। हमारी मातायें, बहनें, बच्चे और बुजुर्ग भी उनके साथ बैठे हुए हैं। क्या सरकार का यह फर्ज नहीं बनता कि उनकी बात को सुना जाये। हमारा किसान यही कह रहा है कि उसे ये कानून नहीं चाहिएं। सरकार को उनकी बात को सुनना चाहिए। अगर मुझे कोई कुछ देना चाहे और मैं उसे न लेना चाहूं तो उसे मुझे जबरदस्ती नहीं दिया जाना चाहिए। किसानों के इस धरने के दौरान 200 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार को हर हाल में किसानों की बात को सुनना चाहिए और इन तीनों काले कानूनों को वापिस लिया जाये। अब मैं अपने विधान सभा हल्के नारायणगढ़ में स्थापित शुगर मिल की बात करना चाहूंगी। पिछले विधान सभा सैशन के दौरान भी मुझे यह आश्वासन दिया गया था कि नारायणगढ़ शुगर मिल में जिन किसानों की पेमैंट बकाया है उनका जल्दी से जल्दी भुगतान कर दिया जायेगा लेकिन आज तक भी गन्ना किसानों को उनकी पेमैंट का भुगतान नहीं हुआ है। इसके अलावा किसानों के ट्यूबवैल्ज के कनैक्शन काटे जा रहे हैं। जब हमारे गन्ना किसानों को उनकी गन्ने की फसल की पेमैंट नहीं मिल रही है तो यह सरकार ही बताये कि हमारा किसान कहां से बिजली का बिल भरेगा। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिस समय हरियाणा प्रदेश में 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही एक बार भी पेमैंट की कोई समस्या नहीं आई। हमारी पार्टी की सरकार के 10 साल के शासनकाल के दौरान मेरे नारायणगढ़ विधान सभा हल्के का किसान एक बार भी अपनी पेमैंट के लिए धरने पर नहीं बैठा। माननीय हुड्डा साहब उस समय मुख्यमंत्री थे। हमारी पार्टी की हरियाणा सरकार के समय में हरियाणा प्रदेश का किसान पूरी तरह से खुशहाल था। हमारी कांग्रेस पार्टी की

सरकार के समय में सही समय पर गन्ना किसानों को उनकी गन्ने की फसल की पेमैंट होती रही। मेरा सरकार से अनुरोध है कि नारायणगढ़ शूगर मिल के गन्ना किसानों को जल्दी से जल्दी पेमैंट करवाई जाये क्योंकि वहां पर हर रोज किसान अपनी फसल की पेमैंट के लिए धरने पर बैठ रहा है। मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर सरकार हरियाणा प्रदेश के किसानों की आय को दोगुना करना चाहती है तो किसानों की गन्ने सहित सभी फसलों के रेट को बढ़ाया जाये और उनको समय पर पेमैंट की जाये। अब मैं सड़कों के बारे में अपनी बात रखना चाहती हूं। आज पूरे हरियाणा प्रदेश की सड़कें टूटी पड़ी हैं। जो 10 साल में कांग्रेस सरकार के समय में सड़कों का जाल बिछाया गया था आज उनका बुरा हाल है। आज सड़कों की रिपेयर नहीं हो पा रही है। आज सड़कों में बड़े–बड़े गड्ढे हैं। इसी प्रकार से मैं कहना चाहूंगी कि हमारे विधान सभा क्षेत्र नारायणगढ़ में एक पुल टूटा हुआ है जो नारायणगढ़ को शहजादपुर से जोड़ता है। उस पुल का इतना बुरा हाल है कि किसी भी समय कोई हादसा हो सकता है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसे रिपेयर भी नहीं किया जा रहा है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि इस पुल को दोबारा से बनाया जाए। आज मेरी बहनों ने बताया कि कोरोना महामारी में सरकार ने इतना पैसा खर्च किया। आप लोगों ने अच्छी तरह से टी.वी. पर देखा सभी ने देखा कि कैसे मजदूर सड़कों पर 400–400 किलोमीटर पैदल अपने घर गया है। क्या सरकार का फर्ज नहीं है कि उनको उनके घर तक पहुंचाया जाए? हमारी हरियाणा कांग्रेस ने 40 लाख रुपया दिया ताकि मजदूरों की मदद की जा सके तथा उनको घर तक पहुंचाया जा सके। सरकार का कहना है कि हमने इतना पैसा खर्च किया है लेकिन मैं कहती हूं कि अगर हमारी धार्मिक संस्थाएं तथा अन्य संस्थाएं जिन्होंने मदद की है, वे न होती तो और भी बुरा हाल हो सकता था। जिस तरह से सड़कों पर हमारा मजदूर चला उन संस्थाओं ने रोक रोक कर खाने का प्रबंध किया और सरकार दावा करती है कि हमने यह किया है, वह किया है। अभी यहां पर राशन कार्ड की बात हो रही थी। उप–मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं जबकि जमीनी स्तर पर कुछ भी काम नहीं हो रहा है। राशन कार्ड जिनके बनने चाहिएं उनके नहीं बन पा रहे हैं। हम लोग गांव में जाते हैं तो ऐसी–ऐसी महिलाएं, ऐसे परिवार देखते हैं जिनमें कमाने वाला कोई नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगी कि दोबारा सर्वे हो और जो जरूरतमंद हों उनके राशन कार्ड बनाए जाएं। अब मैं स्वास्थ्य के बारे में

अपनी बात रखना चाहती हूं। स्वास्थ्य का आज इतना बुरा हाल है कि आज हर आदमी बीमारी से ग्रस्त है। हर परिवार में कोई न कोई बीमार है। मैंने यहां सदन में पहले भी आवाज उठाई थी कि नारायणगढ़ में डॉक्टरों की बहुत कमी है तो मंत्री जी ने कुछ डॉक्टर्ज भेज दिये थे लेकिन अब फिर से वही हाल है। मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से इतना ही कहना चाहूंगी कि हर हल्के में एक बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए। आज अगर हॉस्पिटल है तो उनमें मशीनों की कमी है। डायलेसिस के लिए लोगों को कहां–कहां जाना पड़ रहा है। आज गरीबी चरम पर है, लोगों के पास पैसा नहीं है। गरीब लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवा सकते इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि सभी सरकारी अस्पतालों में सभी इंतजाम हों ताकि वहीं पर मरीज का इलाज भी डायलिसिस और टैस्ट वगैरह हो जाएं। मैं नारायणगढ़ हल्के के बारे में कहना चाहूंगी कि वहां पर डॉक्टर भेजे जाएं और वहां पर डायलिसिस की मशीन भी भेजी जाए। आज महंगाई चरम पर है। गैस सिलेंडर का रेट आज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मेरी जो बहनें हैं जो घर चलाती हैं मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि मेरे भाइयों की जेबें तो हल्की हो ही रही हैं लेकिन बहनें बताएं कि जितने में पहले गुजारा करती थी क्या उतने में अब गुजारा कर पा रही हैं? आज हर चीज का रेट डबल हो चुका है और कमाई लोगों के पास है नहीं। मैं इस महिला दिवस पर इतना ही कहना चाहूंगी कि सरकार को लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए, किसानों की तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं कहना चाहूंगी ये मौके हमेशा नहीं मिलते। ऊपर वाले ने आप लोगों को यहां पर लोगों की भलाई के लिए भेजा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार आप सभी को महिला दिवस की बधाई देती हूं। धन्यवाद।

श्रीमती रेनु बाला (सढौरा) (एस.सी.) : सभापति महोदया, सबसे पहले तो आपका बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं यहां पर अपनी सभी महिला बहनों को महिला दिवस की हार्दिक बधाई व हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। मैं यह कहना चाहूंगी कि आज जो महिला दिवस का दिन है वह केवल एक दिन ही न मनाकर बल्कि पूरा साल हम महिलाओं का मान–सम्मान करें और महिलाओं की इज्जत करें, ताकि जो हमारी महिलाएं व बहनें हैं उनके सम्मान में कोई कमी न हो। मैं आज बहुत खुश भी हूं और प्रभावित भी हूं कि आज सदन में महिलाओं को बोलने का मौका दिया जा रहा है। मैं भी महिलाओं के लिए कुछ बोलना चाहूंगी कि कोरोना महामारी से दुनिया में अनगिनत लोगों की मृत्यु हुई है। कोरोना के समय में

जब लॉकडाउन का समय चल रहा था उस समय हमारी लाखों महिलाएं और बेटियां मीलों पैदल चली हैं जिसमें हमारी कई महिलाएं, बहनें गर्भवती भी थी और उसके अलावा हमारी बेटियों की और भी कई तरह की समस्याएं थी। हमारी जो गर्भवती महिलाएं थी उन्होंने अपने नवजात बच्चों को सड़क किनारे जन्म दिया था। जो महिलाएं जे.बी.टी. टीचर्स थी उन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाई तो उनके ऊपर सरकार ने लाठियां और डंडे बरसवाए। उनमें कुछ गर्भवती महिलाएं भी थी जिन्हें सरकार के इस व्यवहार के कारण अपने नवजात शिशुओं की कुर्बानी देनी पड़ी इसलिए एक दिन का महिला दिवस मनाने की बजाए अगर हम हर रोज महिलाओं का सम्मान करें और महिलाओं के बारे में सोचें तो यह सरकार के लिए एक अच्छी सोच होगी। आज मैं यह कहना चाहूंगी कि जो महिलाएं किसान भाईयों के साथ दिल्ली बोर्डर पर बैठी हुई हैं जिनके बारे में हमारी बहन गीता भुक्कल व शैली चौधरी जी ने भी कहा है। जो किसान भाई दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं उनके साथ हमारी महिला बहनें भी हैं लेकिन सरकार उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार एक तरफ तो कह रही है कि हम महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ महिलाओं की बात भी सुनने को तैयार नहीं है इसलिए महिलाओं का सम्मान एक दिन न करके बल्कि हर रोज किया जाना चाहिए और उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए। मैं अपने क्षेत्र के खेतों में खड़े बारिश के पानी के बारे में कहना चाहूंगी जिसका महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी उल्लेख किया गया है। खेतों में खड़े बारिश के पानी से डार्कजोन में भूमिगत जल स्तर को रिचार्ज करने के लिए 'मेरा पानी–मेरी विरासत' योजना के तहत 32 करोड़ 33 लाख रुपये की लागत से 1000 रिचार्ज बोरवैल के निर्माण की योजना को मंजूरी दी गई है। मैं अपने हल्के सढौरा की बात कहना चाहती हूं कि मेरे हल्के में कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें बारिश का पानी खड़ा होता है। हमारे वहां गांव सरावां और महेश्वरी में बारिश का पानी खड़ा होता है जिसका जिक्र मैंने पिछले सदन में भी किया था। वहां बारिश का पानी खड़ा होने से किसान भाईयों की फसलें खराब हो जाती हैं जिससे किसान भाई उन फसलों का जो लाभ मिलना होता है वह लाभ नहीं ले पाते हैं। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत करवाना चाहती हूं कि मानसून के दौरान छोटी–बड़ी नदियों के ओवरफ्लो होने के कारण उनके किनारे टूट जाते हैं जिससे पानी अपने गंतव्य की ओर न जाकर इधर–उधर निकल जाता है। जिससे आस–पास के सभी गांवों में बाढ़ जैसी हालत

बन जाती है और उससे जान–माल की हानि होती है और वहां की सड़कें और आम रास्ते भी तबाह हो जाते हैं। सभापति महोदया, अंत में मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहती हूं कि गांव के आस–पास जितने भी छोटे–बड़े नाले व नदियां हैं उनकी सफाई करवाई जाए ताकि आने वाले समय में बारिश का पानी इक्ट्ठा न हो क्योंकि मेरे हल्के सढौरा में बारिश का पानी इक्ट्ठा होने की बहुत समस्या है। बारिश के समय में बारिश का पानी लोगों के घरों के अन्दर भी घुस जाता है जिससे ऐसी नौबत आ जाती है कि वहां के लोग अपने घरों के अन्दर खाना पका कर भी नहीं खा सकते। घरों के सारे सामान को बाहर निकालना पड़ता है। सभापति जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि कोरोना काल में निजी संस्थाओं में पढ़ने वाले बच्चों से फीस वसूली गई है लेकिन वहां पर काम करने वाले ग्रुप–डी के कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया गया। जबकि सरकार की तरफ से गाईडलाइन्ज थी कि जो भी सरकारी व निजी संस्थानों में ग्रुप–डी के कर्मचारी लगे हुए हैं उनकी तनख्वाह नहीं काटी जाएगी। उसके बावजूद भी उनको उनकी सैलरी देने की बजाए उनको उनके पद से ही बर्खास्त किया गया है। सभापति महोदया, सावर्जनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बी.पी.एल. लोगों को बहुत ही घटिया दर्जे का अनाज दिया जा रहा है। यही नहीं कोटे के माध्यम से बी.पी.एल. परिवार के लोगों को जो आटा दिया जाता है उसमें कीड़े पड़े मिलते हैं और जब इस आटे को गूंथा जाता है तो यह काला पड़ जाता है। अतः निवेदन है कि आटे की जगह बी. पी.एल. परिवारों को अनाज ही दिया जाये तो ज्यादा बेहतर होगा। निःसंदेह इससे बी.पी.एल. परिवार के लोगों का भरण पोषण ज्यादा अच्छी तरीके से संभव हो सकेगा। सभापति महोदया, जहां तक सी.एम.विंडो की बात है, यह प्रयोजन भी एक तरह से विफल हो चुका है। सी.एम. विंडो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अधिकारियों व कर्मचारियों की मनमानी पर अंकुश लगाने वाली एक अनूठी पहल थी और जिन लोगों की समस्याओं का निवारण नहीं हो पा रहा था, यह योजना ऐसे लोगों की समस्याओं का निवारण करने में अहम भूमिका निभा रही थी लेकिन आज जिस प्रकार के हालात बने हुए है, उनके ध्यानार्थ मेरा सरकार से निवेदन है कि इस योजना को बंद कर दिया जाये तो ज्यादा बेहतर होगा ताकि लोगों को संतोष तो हो जाये कि यह योजना बंद हो गई है। यह बात मैं इसलिए कह रही हूँ जब कोई दुखी या पीड़ित व्यक्ति सी.एम. विंडो पर अपनी शिकायत देता है तो अधिकारियों द्वारा उस व्यक्ति पर शिकायत वापिस लेने के लिए दबाव डाला जाता है। कई बार

तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि सी.एम. विंडो के कंसंर्ड आफिसर्ज शिकायतकर्ता के संतुष्टि के दावे को पोर्टल पर दिखाकर मामले को दबाने का काम करते हैं। अतः मेरा निवेदन है कि इस तरह की अनियिमतताओं की तरफ सरकार को ध्यान देने की जरूरत है तभी जाकर यह योजना अपने प्रयोजन को प्राप्त कर सकेगी। सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री रणधीर सिंह गोलन (पूंडरी): सभापति महोदया, सबसे पहले मैं आज महिला दिवस के शुभ अवसर पर सदन में उपस्थित सभी बहनों को बधाई देना चाहूंगा और साथ ही महिला दिवस के शुभ अवसर पर सदन की कार्यवाही महिला सदस्यों द्वारा चलवाने के सरकार के निर्णय का भी स्वागत करता हूँ। यह बड़े फख्र की बात है कि हमारी बहनें सदन की कार्यवाही को बड़े बढ़िया ढंग से चला रही हैं। सरकार के विगत एक साल के कार्यकाल में कोरोना जैसी महामारी आने के कारण अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ा लेकिन ऐसी विकट परिस्थिति में भी सरकार ने गरीब आदमियों को तीन महीने का मुफ्त राशन देने का काम किया इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। माननीय राज्यपाल महोदय ने भी अपने अभिभाषण के माध्यम से सरकार के इस कार्य की भूरी–भूरी प्रशंसा की है। कोरोना काल के समय में भी नैशनल हाइवेज, स्टेट हाइवेज तथा पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कों का निरंतर निर्माण किया गया। आज हरियाणा सरकार ने पूरे देश में सबसे ज्यादा गन्ने का रेट देने का काम किया है। भारत वर्ष के किसी भी प्रदेश में गन्ने का इतना रेट नहीं है जितना हरियाणा सरकार द्वारा दिया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान) सभापति महोदया, हमें सरकार के अच्छे कामों के लिये गुणगान भी करना चाहिए। पूरे प्रदेश के लोग सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देख रहे हैं, इसलिए हमें सोच समझकर ही सदन में बोलना चाहिए। (विघ्न) जहां तक किसानों की बात है आज हम में से लगभग 75 प्रतिशत सदस्य किसानों के साथ खड़े हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री गोलन जी से कहना चाहती हूँ कि यदि आप लोगों को किसानों की इतनी ही चिंता है तो अविश्वास प्रस्ताव पर किसानों के पक्ष में खड़े होना। तभी पता चलेगा कि आप किसानों के सच्चे हितैषी हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रणधीर सिंह गोलनः सभापति महोदया, किसान की परिभाषा मुझे अच्छी तरह से पता है। आज आंदोलनरत किसानों को कांग्रेस पार्टी के सदस्य ही बहका रहे हैं। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में यह कहना चाहता हूँ कि जो जमीन लाल डोरे में आती थी, उनका मालिकाना हक नहीं हुआ करता था लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए लाल डोरे की जमीन का मालिकाना हक दिलाने का काम किया है। हरियाणा सरकार ने हर जिले में मैडिकल कॉलेज खोलने का काम किया है। सभापति महोदया, माननीय शिक्षा मंत्री सदन में उपस्थित हैं और आज 'अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस' भी है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के पाई गांव में कॉलेज खोलने की मंजूरी तो पहले से हो चुकी है, इसी सत्र से कॉलेज चलाने का आश्वासन सरकार की तरफ से मिल जाये तो हमारे इलाके के बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा हो जायेगा। हरियाणा सरकार प्रदेश के विकास के लिये अनेकों योजनाएं चला रही है। किसानों को खेत में जाने के लिये रास्ते पक्के हो जायेंगे तो उनको भी अपनी फसल ढोने में काफी मदद मिलेगी। हरियाणा सरकार किसानों के साथ पूरी तरह से खड़ी है।

सभापतिः गोलन जी, आप एक मिनट में वाइंड–अप कीजिए।

श्री शमशेर सिंह गोगी : सभापति महोदया, मैं इस विषय पर बोलना चाहता हूं । (विघ्न)

सभापति महोदया : गोगी जी, आप अपने समय पर बोलना । अभी माननीय सदस्य रणधीर सिंह गोलन जी का समय चल रहा है ।

श्री रणधीर सिंह गोलन : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी गांवों को 'जल जीवन मिशन योजना' के तहत वर्ष 2022 में पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा है । सरकार हर घर में पानी पहुंचा रही है । (विघ्न) मेरे हल्के में बिजली, सड़क और पानी आदि की अच्छी व्यवस्था हो रही है । (विघ्न)

सभापति महोदया : गोलन जी, आपको बोलते हुए बीच में डिस्टर्ब किया जा रहा है । अगर आपके पास बोलने के लिए अभी और बातें हैं तो आप उन्हें लिखित में दे दीजिए ।

श्री रणधीर सिंह गोलन : सभापति महोदया, मुझे इसकी आदत पड़ी हुई है । मेरे बोलते हुए जो माननीय सदस्य मुझे बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं मैं कहना चाहता हूं वे सभी मेरे भाई–बहन ही हैं । सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन

का पुनः धन्यवाद करना चाहूंगा । मैं इण्डियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सभी उपस्थित माननीय सदस्यों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरी स्पीच के बीच में टोका–टिप्पणी की । बहुत–बहुत धन्यवाद । जय हिन्द । जय भारत ।

श्री घनश्याम दास (यमुनानगर) : सभापति महोदया, आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का जो समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मैं सदन में उपस्थित सभी सभासदों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे मेरी बात को शांति से सुनें और अगर उन्हें मेरी कोई बात गलत लगे तो वे उस बारे में मुझसे व्यक्तिगत रूप से चर्चा कर लें । मैं चर्चा करने के लिए तैयार हूं । आज सदन में किसानों के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है और उनकी चिन्ता की जा रही है । जो लोग किसानों की चिन्ता कर रहे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें पता है कि एक एकड़ जमीन में गन्ने का कितना बीज और कितनी खाद पड़ती है ? मुझे नहीं लगता वे लोग इसका जवाब दे पाएंगे । (शोर एवं व्यवधान) सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में विरोध करना बहुत आसान है लेकिन उसकी वास्तविकता को भी सभी सभासदों को अवश्य जान लेना चाहिए । (शोर एवं व्यवधान) सभापति महोदया, मैंने आपसे आग्रह किया था कि मुझे सदन में बोलने का चाहे जितना भी समय दें लेकिन माननीय सदस्यों द्वारा मुझे बीच में न टोका जाए और अगर किसी को मेरी कोई बात गलत लगे तो वे उस बारे में मुझसे व्यक्तिगत रूप से चर्चा कर लें, वे चाहें किसी टी.वी. चैनल पर मिल लें, वे चाहे मुझे अपने कमरे में बुला लें या स्वयं मेरे कमरे में आकर मुझसे चर्चा कर लें मैं हर बात पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं लेकिन मुझे बीच में न टोकें । (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल : सभापति महोदया, जब सदन में हम बोल रहे थे तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री खड़े होकर बीच में बोल रहे थे । अब माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उनकी बात गलत लगने पर हम उनसे व्यक्तिगत रूप से चर्चा कर लें । जब वे कोई बात सदन में कह रहे हैं तो गलत लगने पर उनकी बात का विरोध भी सदन में ही किया जाएगा । (विघ्न)

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : सभापति महोदया, उस समय माननीय सदस्या हाउस को और पूरे प्रदेश को गुमराह कर रही थी, इसलिए मुझे बीच में बोलना पड़ा था । (विघ्न)

सभापति महोदया : घनश्याम जी, आप अपने समय का ध्यान अवश्य रखिये क्योंकि आपका समय खराब हो रहा है ।

श्री घनश्याम दास : सभापति महोदया, मैं अब अपने विषय पर आता हूं । मैं सर्वप्रथम 'अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस' पर सबको बधाई देता हूं । हमारे समाज में महिलाओं का सदैव सम्मानजनक स्थान रहा है । हम सब जानते हैं कि वर्ष में हर परिवार 2 बार कन्या पूजन करता है । इससे हम सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे समाज में कन्याओं का और मातृ–शक्ति का कितना महत्व है । इन्हीं चीजों को आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सरकार ने बहुत काम किया है । इस ओर आगे बढ़ते हुए वर्तमान सरकार ने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' का अभियान शुरू किया और स्थानीय निकाय के चुनावों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान भी किया है जो इस बात का स्पष्ट संकेत ही नहीं प्रमाण भी है कि हम महिलाओं का मान–सम्मान करते हैं। समाज को आगे बढ़ाने में महिलाओं की महती और प्रमुख भूमिका है। इसके साथ ही साथ कोविड–19 की चर्चा यहां की गयी। कोविड–19 के दौरान कोई भी भूखे पेट न सोए, इस बात की चिन्ता सामाजिक संस्थाओं के साथ–साथ सरकार ने की और इस संक्रमण काल का सरकार और समाज ने डटकर मुकाबला किया। हम आज इससे बाहर निकलने की स्थिति में हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में समान रूप से विकास हो, इस बात की चर्चा सरकार ने की है। कृषि कानूनों के बारे में बड़ी चर्चा हुई है। ये कृषि कानून किसानों के हित में हैं। एम.एस.पी. खत्म नहीं होगा और इसके बारे में कई बार आश्वासन दिया जा चुका है। मंडियां खत्म नहीं होंगी, यह बात भी बतायी जा चुकी है। किसानों को अपनी फसलें बेचने के लिए सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था दी है अर्थात जो वर्तमान व्यवस्था है, वह जारी रहेगी। सरकार ने किसानों को वैकल्पिक व्यवस्था दी है कि यदि वे वर्तमान व्यवस्था से बाहर निकलकर अपनी फसलें बेचकर लाभ अर्जित करना चाहता है तो इस वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अपनी फसलों को बेच सकते हैं। एक किसान होने के नाते मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि जब गेहूं को मंडी मे लेकर जाते थे तो उसके कम दाम मिलते थे, परन्तु चक्की वाला ज्यादा दाम देता था क्योंकि उसको मार्केट कमेटी की फीस नहीं देनी होती थी। इस मार्केट फीस की चोरी के कारण उनको पकड़ लिया जाता था और उनके ऊपर फाईन भी लगाया जाता था। आज किसान को यह व्यवस्था दी गयी है कि उसको मंडी के बिना कहीं पर अच्छे दाम मिलते हैं तो वह वहां पर अपनी फसल बेच सकता है। हमारी सरकार ने यह कार्य एक किसान हितैषी सरकार होने के नाते किया है। **(इस समय महिला सभापतियों**

की सूची में से एक सदस्या श्रीमती नैना सिंह चौटाला पदासीन हुई।) इसके अतिरिक्त कान्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की जाती है। मैं बताना चाहूंगा कि इसमें किसान की जमीन के साथ कोई कान्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है, यह केवल उसकी फसल के साथ है। पूरे प्रदेश में कान्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत ही गन्ने की बिक्री होती है। शुगर मिलों के साथ उनका एग्रीमैंट होता है और वे शुगर मिलें किसानों का गन्ना उस एग्रीमैंट के तहत ही खरीदती हैं।

श्री धर्म सिंह छौक्करः सभापति महोदया, माननीय सदस्य झूठ बोल रहे हैं।

श्री घनश्याम दासः सभापति महोदया, किसानों का गन्ना शुगर मिलों के माध्यम से खरीदा जाता है और यह कान्ट्रैक्ट फार्मिंग है। कोई भी सरकार रही हो, परन्तु उसकी यह सोच नहीं होती कि किसानों का गन्ना न बिके। उनकी सोच यही होती है कि किसानों का गन्ना बिके। कान्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत जब किसी के साथ एग्रीमैंट करते हैं तो उसमें यह प्रावधान किया गया है कि वह किसान के लिए बाध्य नहीं है बल्कि कम्पनी के लिए बाध्य है।

श्री शमशेर सिंह गोगीः सभापति महोदया, इस नये कानून के तहत किसान कोर्ट में अपील नहीं कर सकता है।

श्री घनश्याम दासः सभापति महोदया, किसान अपनी सुनवाई के लिए कोर्ट में अपील कर सकता है। माननीय केन्द्रीय कृषि मंत्री द्वारा इस बारे में 11 बार चर्चा की जा चुकी है। अगर सरकार इस विषय पर संवाद नहीं करना चाहती तो 11 बार चर्चा क्यों करती ? ऐसे किसान जो खेती नहीं करते, वे किसानों के प्रतिनिधि बनकर हठधर्मिता कर रहे हैं और कोई भी बात सिरे नहीं चढने दे रहे हैं। हमारी सरकार किसान हितैषी है, हमने यह प्रमाण दिया है। गन्ने का मूल्य हरियाणा प्रदेश में सर्वाधिक है। सारे देश में इतना गन्ने का मूल्य नहीं दिया जा रहा है, जितना हरियाणा प्रदेश में दिया जा रहा है। हरियाणा प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने 'भावांतर भरपाई योजना' लागू की है। हरियाणा प्रदेश देश में ऐसा प्रथम राज्य है जिसमें 9 फसलों को एम.एस.पी. पर खरीदा जा रहा है। हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है। माननीय प्रधान मंत्री जी हर किसान के खाते में किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रति वर्ष 6,000 हजार रुपये डाल रहे हैं। हमारी सरकार ने खराब हुई फसलों के मुआवजे के लिए 12,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिये हैं। हमारी सरकार किसानों के लिए पक्के रास्ते बनाने की योजना बना रही है और उनको पूरा करवाया जाएगा। हमारी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए

हरियाणा में विशेष रूप से जैविक खेती का प्रावधान किया है और जैविक खेती के तहत न जहर डालेंगे न जहर खाएंगे। केवल गौ मूत्र के द्वारा जीव अमृत बनाकर, देसी गऊ के गोबर के द्वारा घन जीव अमृत बनाकर, नीम की पती के द्वारा नीम अमृत बनाकर 4 जड़ी बूटियों से अग्नि अस्त्र बनाकर और 9 जड़ी बूटियों से ब्रह्म अस्त्र बनाकर, हम सभी कीड़ों को समाप्त करने का काम करेंगे। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि कुछ फसलों में फंगस के इलाज के लिए कॉपर वायर का प्रयोग किया जाता है इसलिए हम न जहर बोयेंगे और न जहर खायेंगे और जैविक खेती को आगे बढ़ायेंगे। यह हरियाणा सरकार का संकल्प है। कांग्रेस पार्टी के लोग किसानों के हितैषी होने की बात करते हैं। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि स्वामी नाथन आयोग किस सरकार के समय बना था। जिस सरकार के कार्यकाल में स्वामी नाथन आयोग बनाया था, उस समय जो रिपोर्ट आई थी, उसको कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 6 साल तक लागू भी नहीं किया गया। सभापति महोदया, स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का क्रेडिट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को जाता है। मैं यहां पर यह बात भी कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने ''मन की बात'' में किसानों से कहा था कि मैं आपके एक फोन कॉल पर उपलब्ध हो जाऊंगा और उन्होंने किसानों से यह भी कहा था कि किसानों की तरफ से अगर कोई बात आयेगी तो हम उस पर चर्चा करने के लिए हर समय तैयार हैं। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के माननीय सदस्यों से पूछना चाहूंगा कि सबसे पहले ''सॉयल हैल्थ कार्ड'' किस सरकार ने लागू किया था? इसके अलावा मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जब श्री मनोहर लाल जी को विरासत में सरकार मिली थी तो उस समय हरियाणा प्रदेश में किसानों के लिए खाद के लिए कितनी मारामारी थी? इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि उस समय राशन कार्ड पर खाद मिला करती थी और आज किसानों के लिए खाद प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। सभापति महोदया, कोविड–19 वैश्विक महामारी के दौरान श्री मनोहर लाल जी की सरकार ने बड़ी ही सुझबूझ के साथ किसानों की गेंहू का एक–एक दाना खरीदा था और इसका श्रेय वर्तमान सरकार को जाता है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन कितना किसान हितैषी है? सभापति महोदया, मैंने इस महान सदन में तर्क से अपनी बात रखी है और हो सकता है कि कुछेक माननीय सदस्यों को मेरी यह बात अच्छी नहीं लगी लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि अगर विपक्ष

के माननीय सदस्य मेरे साथ कृषि बिलों से संबंधित चर्चा करना चाहते हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूं परन्तु चर्चा करने से पहले मैं उनसे एक आश्वासन चाहूंगा कि तर्क के आधार पर चर्चा करें, जिद के आधार पर चर्चा न करें क्योंकि जिद के सामने कोई तर्क नहीं चलता है और जब तर्क से बात की जाती है तो हम किसी न किसी योग्य निष्कर्ष पर अवश्य पहुंचते हैं इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे इन कृषि कानूनों का समर्थन करें क्योंकि ये तीनों कृषि कानून किसानों के हित में है। सभापति महोदया, मैंने अपनी बातों से इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया है और वर्तमान सरकार किसान हितों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। मैंने इस महान सदन में अपनी बातें उदाहरण के माध्यम से भी बताई है इसलिए माननीय राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण है मैं उसका समर्थन करते हुए अपना स्थान लेता हूं। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री देवेन्द्र सिंह बबली (टोहाना): सभापति महोदया, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है इसलिए मैं हमारी सभी बहनों को, माताओं को, बेटियों को और महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत–बहुत बधाई देता हूं। अभी मेरे से पहले इस महान सदन में हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने अपनी–अपनी बात रखी। आज जे.जे.पी. के सहयोग से हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपना–अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। आज हमारे हरियाणा प्रदेश का किसान सड़कों पर धक्के खाने को मजबूर है। यह आज का मेन मुद्दा भी है और यह गंभीर चिंता का विषय भी है। ये तीनों कृषि कानून केन्द्र सरकार ने बनाये हैं और मैं यह बात कहते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं करूंगा कि आज हरियाणा प्रदेश के जो हालात बने हुए हैं, वे प्रदेश के हित में नहीं है। किसान अपनी बात को रखने के लिए आज दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हैं और इन किसानों को बैठे हुए तकरीबन 100 दिन हो गये हैं। आज दिल्ली में हमारी बूढ़ी माताएं, बहनें, बेटियां और हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। सभापति महोदया, मेरा यह कहना है कि वे सभी वहां पर खुशी से नहीं बैठे हैं। मैं भी एक किसान के घर में पैदा हुआ हूं। मुझे भी इस बात की पीड़ा है। आज के समय में लोग हमें गांवों में शादी–ब्याह, सामाजिक और धार्मिक प्रोग्राम्ज में बुलाने से भी कतराने लगे हैं। इस प्रकार की समस्यायें पैदा हो रही हैं। आज जरूरत इस बात की है कि पक्ष और विपक्ष के

17.00 बजे

किसी भी साथी को यहां पर ऐसी कोई भी बात नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे प्रदेश के किसान को नुक्सान हो। आज अगर हमारा किसान दुखी है तो हमारा प्रदेश और देश भी दुखी हैं। हम हरियाणा प्रदेश की डिवैल्पमैंट की बात करते हैं। हम प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को रोजगार देने की भी बात करते हैं। अपने हरियाणा में एक कहावत है कि – जिसके घर में लठ बाज रहा हो उसके बटेऊ भी कोन्या आया करे। हमारे हरियाणा प्रदेश में जो इस समय माहौल है उसमें इनवैस्टमैंट कहां से आयेगी? प्रदेश की वर्तमान परिस्थितियों में कोई भी उद्योगपति हरियाणा प्रदेश में उद्योग लगाने से बचना चाहेगा। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से, सरकार की पूरी कैबिनेट से और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहूंगा कि यह एक बहुत ही गम्भीर मुद्दा है। बड़े दिल के साथ इसको किसी भी तरीके से निपटाया जाये क्योंकि यह किसी भी दृष्टि से हमारे प्रदेश और देश के हित में नहीं है। अपनी सरकार की खूबियों का बखान करना सभी को अच्छा लगता है। मैं भी अपनी सरकार का बखान करना चाहता हूं क्योंकि मैं भी अपनी सरकार का हिस्सा हूं लेकिन यह एक कड़वा सच है जो आज मैंने सदन में सभी के सामने रखा है। ऐसी बात नहीं है कि मैं अकेला ही इस बात को जानता हूं। मेरे विचार में सभी इस तथ्य से भलीभांति परिचित हैं। हम सभी 90 साथियों को हमारे प्रदेश की जनता ने एक विश्वास के साथ जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी निभाने के लिए यहां पर चुनकर भेजा है। लोगों को यह विश्वास होता है कि उनका जनप्रतिनिधि सदन में उनके हकों की लड़ाई लड़ेगा और जो सरकार में बैठा हुआ दल है वह इस प्रदेश का सर्वांगीण और चहुंमुखी विकास करेगा। मेरे हल्के की भी बहुत सी परेशानियां हैं जिनको मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते समाधान के लिए यहां पर उठाना चाहता हूं। सबसे बड़ी परेशानी हम सभी की है। हम उसको किसी भी रूप में रख सकते हैं। अब जो ये तीन कृषि कानून केन्द्र सरकार ने बनाये हैं उनका हमारे किसान भाई विरोध कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश की सरकार को जे.जे.पी–भा.ज.पा. गठबंधन द्वारा चलाया जा रहा है। यह चिंता का विषय है कि भरसक प्रयास करने के बावजूद भी किसानों के मसले को हम निपटा नहीं पा रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस बारे में पक्ष और विपक्ष को पार्टी की राजनीति से ऊपर उठकर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। हम सभी को एकमत के साथ इस मसले का सर्वसम्मत हल खोजना चाहिए। मेरा अपनी सरकार

से बार–बार यही अनुरोध है कि इस मसले को जल्दी से जल्दी निपटा देना चाहिए। अब मैं अपने हल्के की बात करना चाहूंगा। मेरा टोहाना विधान सभा क्षेत्र जब से हरियाणा बना तब से हरियाणा प्रदेश की सत्ता में भागीदार रहा है। यह मेरे हल्के और मेरे हल्के के लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। मेरे विचार में पूरे हरियाणा प्रदेश में मेरा टोहाना विधान सभा क्षेत्र सबसे हरा–भरा है क्योंकि यह सात नहरों का शहर है। जैसे हमारे हरियाणा प्रदेश में कुरूक्षेत्र को धर्म नगरी के रूप में जाना जाता है, जींद को दूध की नगरी के रूप में जाना जाता है, विज्ञान की नगरी के रूप में अम्बाला को जाना जाता है, कर्ण की नगरी के रूप में करनाल को जाना जाता है, संतों की नगरी के रूप में सिरसा को जाना जाता है और इसी तरह से मेरे टोहाना की पहचान नहरों की नगरी के रूप में है। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करूंगा कि सात नहरों का मेरा शहर है इन सभी सात नहरों में नीला पानी मेरे शहर के चारों तरफ बहता है। इसको ध्यान में रखते हुए मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकारी तौर पर भी मेरे शहर टोहाना को नहरों की नगरी के रूप में जाना जाये। यहां पर बहुत सी डिवैल्पमैंट की बातें कही गई है। पिछले समय में बी.जे.पी. की सरकार के समय में मेरे हल्के के लिए बहुत सी घोषणायें की गई थी। मैं आज सरकार में हिस्सेदार हूं लेकिन इसके बावजूद भी उन सभी घोषणाओं को ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया है। वहां पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणायें करके आये थे उनमें से किसी एक पर भी अभी तक सुचारू रूप से काम शुरू नहीं हुआ है। पिछली सरकार के समय के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा टोहाना में 100 बैड के सिविल हॉस्पिटल की घोषणा की थी लेकिन इस दिशा में भी अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। सभापति महोदया, मेरी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से रिकवैस्ट है कि पिछली सरकार के समय के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा टोहाना में 100 बैड के सिविल हॉस्पिटल की जो घोषणा की गई थी उसके ऊपर जल्दी से जल्दी काम शुरू करवाया जाये। इसी प्रकार से हमारे टोहाना में बस अड्डे का निर्माण होना था लेकिन वह भी नहीं हो पाया है और यह घोषणा पिछली सरकार के समय की गई थी। इस सरकार को बने हुए सवा साल से अधिक समय हो गया है लेकिन टोहाना के लिए एक भी घोषणा नहीं हुई है जबकि मैं भी सरकार का हिस्सा हूं। सभापति महोदया, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि बस स्टैंड बनवाने का काम किया जाये। इसी प्रकार से हमारे जाखल ब्लॉक और

टोहाना शहर में भी कुछ काम नहीं हुआ है। सत्ता में हमारा टोहाना हमेशा रहा लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि यहां एक भी लड़कियों का कॉलेज नहीं बना है। कोई भी सरकार चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी यहां बैठे हुए है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी 6 साल से अधिक का समय हो गया है और उससे पहले इंडियन नैशनल लोकदल की सरकार भी रही है लेकिन लड़कियों का कॉलेज किसी भी सरकार ने नहीं बनवाया। आज महिला दिवस के अवसर पर मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि टोहाना विधान सभा क्षेत्र में लड़कियों के लिए कॉलेज खोला जाए ताकि वहां की लड़कियों को वहीं पर शिक्षा प्राप्त हो सके। इसके लिए मेरे हल्के के सबसे बड़े गांव समैण की ग्राम पंचायत जमीन देने के लिए तैयार है और दूसरा विकल्प यह है कि पिछली सरकार में जाखल में एक आई.टी.आई. बनी थी जिसमें बच्चों के एडमिशन नहीं हुए हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस बिल्डिंग को लड़कियों के कॉलेज में कन्वर्ट करके इसी सत्र से वहां पर पढ़ाई शुरू करवाई जाए। टोहाना में पानी भराव की समस्या पिछले 4–5 दशक से थी। वैसे तो मोस्टली हरियाणा की समस्या है लेकिन मेरे शहर में यह समस्या कुछ ज्यादा ही थी क्योंकि डिवैल्पमैंट प्रोपर प्लानिंग से नहीं हुई थी। मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूंगा और विभाग के अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि अभी इन्होंने पानी की निकासी के लिए एक 37–38 करोड़ रुपये का ऐस्टीमेट बनाया है जिसके शायद टैंडर खुलने वाले हैं लेकिन उससे मेरे पूरे शहर का प्रोपर पानी का निकास नहीं हो सकता। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इसका दोबारा एक ब्लू प्रिंट तैयार करवा कर पूरे शहर को इस पानी भराव की समस्या से निजात दिलवाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी और उप–मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस काम को यथाशीघ्र करवाया जाये। हमारे टोहाना शहर में पिछली सरकार ने रिंग रोड बनाना शुरू किया था। अभी मैं सुन रहा था कि उप–मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी ने इसके 70 प्रतिशत काम पूरा होने की बात कही है इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। इसमें कुछ अड़चन है। मैं इसमें अनुरोध करना चाहूंगा कि इसके लिए 98 प्रतिशत जमीन एक्वायर करके सरकार उस सड़क को बना चुकी है और जो 2 प्रतिशत जमीन बची हुई है उसको सरकार एक्वायर करके उस रोड को जोड़ने का काम करे। आधा बाई पास पिछली सरकार ने मंजूर किया था। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और उप–मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे पूरे

शहर के चारों तरफ रिंग रोड बनाने का काम किया जाये। हमारे टोहाना में हॉस्पिटल की समस्या है। जो पहले से विद्यमान हॉस्पिटल है उसमें स्टाफ की कमी है। मैं बार–बार लिखित में भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से रिक्वैस्ट कर चुका हूं। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि आपके हॉस्पिटल में हम पर्याप्त स्टाफ देने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे आज भी सदन में यह बात कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि वहां पर एक–दो डॉक्टरों को छोड़ कर कोई डॉक्टर नहीं गये हैं इसलिए वहां पर पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाया जाये। मेरे टोहाना शहर में नशे की भयंकर समस्या है क्योंकि टोहाना पंजाब के बॉर्डर पर है। सरकार ने इसके लिए बहुत प्रयास किये हैं, एस.आई.टी. बनाई, स्पेशल विभाग भी बनाया लेकिन नशे पर लगाम नहीं लग रही है। किसी भी तरीके से इसके प्रति एक सख्त कानून बनाने की जरूरत है जिससे नशाखोरी करने वाले लोगों पर लगाम लग सके। आज हमारा युवा नशे की चपेट में आ कर अपने शरीर के साथ–साथ अपने परिवार और अपने शहर को भी नुकसान पहुंचाता है। जब हमारे जवान ही खत्म हो जायेंगे तो इस देश की रक्षा कौन करेगा। यह गम्भीर विषय है और आपके माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि नशे पर लगाम लगाने का काम करे। सरकार ने बहुत सराहनीय काम भी किये हैं जिनकी चर्चा शायद मुझसे पहले सरकार में बैठे हुए सभी सदस्य साथियों ने की है। मैं भी उनकी सराहना करना चाहता हूं लेकिन मैंने वे बातें बताई जो कमी रह गई हैं। मैं एक जन–प्रतिनिधि हूं और सभी साथी जो यहां पर बैठे हुए हैं उनको उनके हल्के के लोगों का आशीर्वाद मिला है तभी वे यहां पर बैठे हुए हैं लेकिन यह मेरा सौभाग्य रहा कि किसी को एक हाथ से आशीर्वाद मिलता है और मुझे टोहाना हल्के की जनता ने दोनों हाथों से आशीर्वाद देकर यहां विधान सभा में भेजा है। इसलिए मेरी ड्यूटी और भी मजबूती और ईमानदारी से बढ़ जाती है ताकि एक अच्छी सरकार हम प्रदेश को दे सकें, एक साफ सुथरी सरकार हम प्रदेश को दे सकें। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से इतना ही अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे हल्के के साथ भेदभाव न हो। क्योंकि जिस ढंग से सत्ता में आने से पहले घोषणाएं की गई थी उस तरीके से उन घोषणाओं को इम्पलीमैंट नहीं किया जा रहा है। मैं यह महसूस करता हूं कि टोहाना के साथ कहीं न कहीं सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। क्या टोहाना वासियों ने देवेन्द्र सिंह बबली को एक लाख से ज्यादा वोटों से जिताकर कोई गलती कर दी है? सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर यह अपील करना

चाहूंगा कि अगर उनको यह लगता है कि देवेन्द्र सिंह बबली ने एक लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल करके विधान सभा में आकर कोई गलती कर दी है तो मैं टोहाना हल्के के लिए विधायक पद को छोड़ने के लिए भी तैयार हूं लेकिन आप मेरे हल्के टोहाना की डिवैल्पमैंट को न रोकें। यह मेरी मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है। धन्यवाद।

श्री जगबीर सिंह मलिक (गोहाना) : सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपनी सभी बहनों को महिला दिवस पर बधाई देता हूं और इस कोविड इफैक्टिड गवर्नर एड्रैस पर अपने विचार रखना चाहता हूं क्योंकि कोविड का असर इस गवर्नर एड्रैस पर भी दिखाई दिया है। हमने आज तक इतना निराश, खोखला और विजन रहित गवर्नर एड्रैस नहीं देखा था इसीलिए गवर्नर साहब ने भी इसको पढ़ने से मना कर दिया और दो शब्द कह कर यह कह दिया कि इसको पढ़ा हुआ समझा जाए। जब मैंने इस गवर्नर एड्रैस को सारा पढ़ा तो मुझे उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि इसमें कोई नई चीज हो। जो पुराने प्रोजैक्ट थे उनके बारे में भी उसमें कोई बात नहीं है और जो वायदे जे.जे.पी. ने अपने जन सेवा पत्र में और बी.जे.पी. ने अपने संकल्प पत्र में दिये थे उनका तो इस गवर्नर एड्रैस में कहीं विजन भी नहीं है तो फिर ये अपने वायदों को कैसे पूरा करेंगे। जे.जे.पी. ने वायदा किया था कि हम किसानों और छोटे दुकानदारों का कर्जा माफ करेंगे और किसान की जमीन की नीलामी बंद करेंगे। मैं जो बताना चाहता हूं वह उनके जन सेवा पत्र में था किसानों की पूरी फसल समर्थन मूल्य पर खरीद न करने पर अपराध व दंड का प्रावधान होगा। जिसके लिए आज किसान दिल्ली की सीमा पर बैठा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं कि इसके लिए क्या किया जा रहा है और इसके लिए गवर्नर एड्रैस में क्या विजन है? इन्होंने अपने सेवा पत्र में कहा था कि हम किसानों की फसल का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन कराने की प्रथा को खत्म करेंगे। फसल बीमा प्राईवेट बीमा कम्पनी से न कराकर सरकार करेगी। ट्रैक्टर व वाहनों के जुर्माने के कानून को खत्म करेंगे। कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान देंगे। 11000/– व 9000/– रुपये प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। कर्मचारियों की पुरानी पैंशन बहाल करेंगे। ग्रामीण बच्चों को प्रतियोगिता में 10 प्रतिशत अलग अंक दिये जाएंगे। एस.वाई.एल. का निर्माण, हांसी–बुटाना नहर का निर्माण। दादूपुर–नलवी नहर का निर्माण। गौ चराण भूमि को मुक्त करवाना और किसानों की फसल की 24 घंटे में कीमत अदा करना।

कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना। अतिथि अध्यापकों को पक्का करना। हर परिवार को मकान देना। ये इतने सारे वायदे दोनों पार्टियों ने मिलकर अपने संकल्प पत्र में किये थे। मुझे इनमें से एक भी विजन गवर्नर एड्रैस में दिखाई नहीं दिया और न अब तक इन वायदों की तरफ सरकार का ध्यान गया है। ऐसी सरकार पहली बार आई है जिसने पिछले गवर्नर एड्रैस और बजट में जो प्रावधान थे उनका इस गवर्नर एड्रैस में जिक्र ही नहीं किया। पिछले गवर्नर एड्रैस में पिंजौर में सेब मंडी, कुंडली में मसाला मंडी, गुरूग्राम में फूल मंडी बनाने का जिक्र था। उनका भी गवर्नर एड्रैस में कहीं कोई जिक्र नहीं है कि ये बन गई हैं या नहीं। मेरे ख्याल से तो बना दी गई होंगी जब इनका गवर्नर एड्रैस में जिक्र ही नहीं किया गया। अगर वे बन गई हैं तो मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं वे बता दें अगर वे बना दी गई हैं तो मैं सदन से माफी मांग लूंगा।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : सभापति महोदया, मैं माननीय साथी की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि उन मंडियों के टैंडर हो चुके हैं।

श्री जगबीर सिंह मलिक : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि यह प्रोजैक्ट वर्ष 2017–18 से चल रहा है।

श्री जय प्रकाश दलाल : सभापति महोदय, मैं माननीय साथी की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द ही 5 हजार करोड़ रुपये की लागत से गन्नौर में भी सब्जी मंडी बनने जा रही है।

श्री जगबीर सिंह मलिकः सभापति महोदया, के.एम.पी. के साथ पांच शहरों का पुनर्निर्माण, 52 पशु अस्पताल, 115 पशु डिस्पैंसरीज, आवारा पशुओं से शहर को मुक्त कराना, शहरों से डेरी शिफ्ट करना, पांच ग्राम प्राधिकरण का गठन तथा खरखोदा में 3300 एकड़ जमीन पर टाउनशिप का निर्माण करना, इनमें से कोई भी काम पूरा नहीं हो पाया है। पिछले गवर्नर एड्रैस में सैवन स्टार विलेजिज बनाने, खिलाड़ियों को एच.सी.एस. के तहत भर्ती करने, भावांतर भरपाई योजना को लागू करने, स्कूल में टीचर्ज की कमी को दूर करने तथा अस्पतालों में डाक्टरों की कमी को दूर करने का वायदा किया गया था लेकिन इस बार के गवर्नर एड्रैस में इन सभी बातों को कोई स्थान नहीं दिया गया है। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या यह सभी काम पूरे हो गए हैं ? सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सरकार

की कारगुजारियां सदन के सामने रखना चाहूंगा। हुड्डा सरकार के समय लाठजोली में रेलकोच फैक्ट्री आई थी जिससे कई लाख बच्चों को रोजगार मिलना था लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको बंद करने का काम किया। यहीं नहीं महम के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया था यहां भी कई लाख बच्चों को रोजगार मिलता लेकिन इसको यू.पी. के क्षेत्र जिसको जेवर के नाम से जाना जाता है, ले जाने का काम किया गया और रेल कोच फैक्ट्री को वाराणसी मे ले जाने का काम किया गया। सभापति महोदया, यह पहली ऐसी सरकार है जिसने पैसे लगाकर दादुपुर नलवी नहर के प्रोजैक्ट को बंद करने का काम किया। ऐसा काम क्यों किया गया इसके बारे में मैं सदन को बताना चाहूंगा कि दादूपुर नलवी नहर के प्रोजैक्ट के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट का किसानों को मुआवजा देने के संबंध में एक निर्णय आया था। किसानों को यह मुआवजा न देना पड़े इस भावना के मकसद से सरकार ने इस प्रोजैक्ट को बंद करने का निर्णय लिया। सभापति महोदया, हुड्डा साहब के शासन काल में पंडित– महाजन व अन्य दूसरी जातियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने का एक प्रावधान किया गया था लेकिन इस सरकार ने उस आरक्षण को भी खत्म करने का काम किया। दोहलीदारों को मालिकाना हक देने वाले कानून को भी इस सरकार ने खत्म करने का काम किया। इसके अतिरिक्त मैं यह भी बताना चाहूंगा कि मेरठ से नारनौल जाने वाले नैशनल हाइवे नम्बर 324 को मंजूरी तक मिल चुकी थी और तमाम प्रकार की औपचारिकतायें पूर्ण हो चुकी थी लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिनांक 16.11. 2018 को इसको डिनोटिफाई करने का पत्र तक लिख दिया। (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल): सभापति महोदया, हुड्डा साहब की सरकार के समय पंचकुला से यमुनानगर तक हाइवे बनाने की घोषणा की गई थी। इस बाबत बड़े–बड़े हार्डिंग भी लगाये गए और बड़ी–बड़ी बातें कही गई। यही नहीं इन लोगों द्वारा लड्डू बांटने तक का काम किया गया लेकिन इनकी सरकार ने एक पंजी तक देने का काम नहीं किया लेकिन हमारी सरकार ने सत्ता में आने के बाद इस प्रोजैक्ट के लिए पैसे देकर इसको पूरा करवाने का काम किया। अतः सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से पूछना चाहूंगा कि इन लोगों ने जो जो काम किए थे कृपया करके उनके बारे में भी सदन को बताया जाये तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इनकी सरकार ने 10 साल तक राज किया। 10 साल का

समय बहुत लंबा समय होता है अतः इन लोगों ने अपने 10 साल के कार्यकाल में जो काम किए उनके बारे में इनको बताना चाहिए।

श्री जगबीर सिंह मलिकः सभापति महोदया, मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे अपनी बात को पूरा करने दिया जाये। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हांसी बुटाना नहर का निर्माण कार्य बंद कर दिया, महंगाई भत्ते को फ्रीज कर दिया, सड़क हादसे में मरने वाले व्यक्ति को एक लाख रूपये देने वाली स्कीम को बंद करने का काम किया, गोहना में आई.एम.टी. प्रोजैक्ट को बंद करने का काम किया, गरीब बच्चों को मिलने वाले पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को बंद करने का काम किया, बेरोजगारी भत्ता बंद करने का काम किया। जहां तक जे.बी.टी. की बात है तो डी. आई.ई.टी. जोकि एक जे.बी.टी. का ट्रेनिंग सैंटर होता है, को प्राइवेट हाथों में देने का काम किया गया जिसकी वजह से वे गरीब बच्चे जोकि मैरिट के आधार पर इसमें दाखिला पा लेते थे प्रभावित हुए हैं क्योंकि प्राइवेट हाथों में जाने की वजह से यहां पर नॉन अटैंडेंट बच्चे जोकि ज्यादा पैसा देकर दाखिला लेते हैं को यहां पर तरजीह दी जा रही है जिसकी वजह से गरीब बच्चों का एक तरह से शोषण किया जा रहा है। सभापति महोदया, पिछले एक साल से जिन किसानों ने मोटर के लिए 30–30 हजार एडवांस में दिए हुए हैं उनको न तो मोटर दी गई और न ही पैसे वापिस किए गए और दुखी होकर किसानों ने अपने सोर्सिज से मोटर लगाने का काम किया है। कितनी अजीब बात है कि अगर सरकार को पैसे न दिए जायें तो फिर सरचार्ज लगा दिया जाता है और कनैक्शन तक काट दिया जाता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश दलालः सभापति महोदया, यदि कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकाल में प्रदेश हित में काम करती तो प्रदेश की जनता उन्हें सत्ता से बेदखल नहीं करती। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः सभापति महोदया, खेल कोटे के माध्यम से पहले डी.एस.पी. व डिप्टी डॉयरेक्टर स्पोर्ट्स आदि लगते थे लेकिन सरकार ने यह स्कीम भी बंद कर दी है।

सभापति महोदयाः मलिक जी, आप दो मिनट में वाईंड–अप कीजिए।

श्री जगबीर सिंह मलिकः सभापति महोदया, सरकार ने पी.जी.टी. संस्कृत, टी.जी.टी. अंग्रेजी व हिन्दी की हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाने वाली भर्ती

कैंसिल करा दी है। ऐसा करके सरकार हजारों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार कोई भी भर्ती नहीं कर रही है। सरकार ने अभी तक पी.टी. आई. अध्यापकों को एडजस्ट नहीं किया है। (विघ्न)

श्री कंवर पालः सभापति महोदया, कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी के कारण ही पी.टी.आई. अध्यापकों के साथ ऐसा हुआ है। हमारी सरकार तो इंसानियत के नाते उनको पुनः नौकरी देने का काम कर रही है।

सभापति महोदयाः मलिक जी, आपके बोलने का समय समाप्त हो गया है।

श्री सुधीर कुमार सिंगला (गुरूग्राम): सभापति महोदया, सबसे पहले तो मैं 'अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस' पर सभी महिलाओं को बहुत–बहुत बधाई देता हूँ। सभापति महोदया, मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिनके नेतृत्व व मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश दिन प्रतिदिन नई–नई ऊँचाइयों को छू रहा है और प्रदेश पहले से ज्यादा समृद्ध भी होता जा रहा है। कोविड–19 वैश्विक महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए सभी माननीय सदस्यों ने मिलजुलकर प्रदेश के हर जरूरतमंद को हर प्रकार की सुविधा पहुँचाने का काम किया, इसके लिए भी मैं सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करता हूँ। सभापति महोदया, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया, इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। चुने हुए प्रतिनिधि के नाते हमारा यह परम कर्त्तव्य है कि हम अपने क्षेत्र में हुए विकास कार्यों को सदन के पटल पर रखें तथा इसके साथ–साथ उन समस्याओं का भी जिक्र करें जो हमारे अपने–अपने विधान सभा क्षेत्र में हैं। क्योंकि उन समस्याओं को दूर करना अति आवश्यक है।

'चलो चलकर हम भी अपना एक आशियाना बना ले,
जिन्दगी जीने का सहारा बना ले।'

सभापति महोदया, इंसान की सबसे बड़ी मूलभूत जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान की होती है। इंसान रोटी और कपड़ा का बंदोबस्त तो इधर–उधर से छोटे–मोटे व्यवसाय करके कर लेता है लेकिन सबसे बड़ी समस्या उसको मकान को लेकर रहती है। हर व्यक्ति का एक ही सपना होता है कि उसका भी अपना एक घर हो, जिसमें वह अपने परिवार के साथ रह सके। परंतु हर कोई इंसान मकान खरीद नहीं सकता। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि गरीब आदमी अधिकृत

और अनाधिकृत कॉलोनी को समझ नहीं पाता और इसी कारण कई बार कुछ लोग अपने जीवन की जमा पूंजी में से अपना मकान तो बना लेते हैं लेकिन बाद में जब उन्हें पता लगता है कि जिस कोलोनी में उन्होंने अपना मकान बनाया है वह कोलोनी अनाधिकृत है और उसे दिन–रात यही सपना आने लगता है कि पता नहीं किस दिन उसका मकान टूट जाएगा और उसे एक दिन बिना छत के रहना पड़ेगा। इस विषय पर मेरा एक सुझाव है कि अनाधिकृत कोलोनियों को अधिकृत करने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया जाए जिससे लोगों को इस तरह की घोर परेशानियों का सामना न करना पड़े । वह प्लान बनाते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि भविष्य में कोई अनाधिकृत कोलोनी न बनने पाए और अगर बन जाए तो उससे संबंधित अधिकारियों पर उचित और सख्त कार्रवाई हो । ऐसा इसलिए हो क्योंकि अधिकारी पहले तो भ्रष्टाचार का खेल खेलकर अनाधिकृत कोलोनी बना देते हैं एवं उसमें मकानों की नींव से लेकर लैंटर तक डलवा देते हैं और कुछ साल बाद उसी कोलोनी को तोड़कर आम जनता को परेशान करते हैं । मेरा आग्रह है कि ऐसा मास्टर प्लान अवश्य बनाया जाए ताकि आम जनता को नुकसान न उठाना पड़े और वे अपने मकान का सुंदर सपना पूरा कर सकें । इस मास्टर प्लान के आने के बाद उनको कोई भी डर नहीं रहेगा कि उनके सपनों का घर टूट जाएगा ।

(इस समय महिला सभापतियों की सूची में से एक सदस्य श्रीमती निर्मल रानी पदासीन हुई ।)

सभापति महोदया, मैंने यह बात सदन में पिछली बार भी कही थी कि गुरूग्राम में वायुसेना का आयुध डिपो बहुत पुराने समय से है । बदलते समय के साथ और बढ़ते शहरीकरण से उसके आसपास जो जगह खाली थी अब वह जगह भर गई है । अब उसके आसपास तोड़फोड़ चलती रहती है । यह मामला काफी पुराना है । पहले आयुध डिपो का दायरा 900 मीटर था लेकिन अब उसका दायरा 300 मीटर ही रह गया है । आज यह विषय बहुत ही गम्भीर होने के कारण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है । आज उस आयुध डिपो के दायरे में घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी आते हैं जिससे आमजन व व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है । इसमें सबसे ज्यादा बैंक्वेट हॉल्स आते हैं । इनका नगर निगम को टैक्स अदायगी का मामला हमेशा गरमाया रहता है । अतः मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह है कि जब तक माननीय अदालत का वायुसेना के आयुध डिपो के दायरे को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं आ जाता तब तक इस

समस्या को सुलझाने के लिए एक एक्शन प्लान बनाया जाए और इस समस्या का जल्द–से–जल्द समाधान किया जाए । शायद इस एक्शन प्लान से माननीय न्यायालय को भी स्थिर व उचित निर्णय लेने में सुविधा होगी । धन्यवाद ।

श्री बिशन लाल सैनी (रादौर) : सभापति महोदया, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद । मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के कुछ प्वॉयंट्स पर बोलना चाहता हूं । सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर से निवेदन करना चाहता हूं कि वे मेरी बात को गौर से सुनें और बीच में टोका–टिप्पणी न करें क्योंकि वे मेरे जिले के हैं । अगर किसी क्षेत्र में कभी मुख्यमंत्री महोदय या उप–मुख्यमंत्री महोदय या मंत्री महोदय जाते हैं तो सरकार वहां पर रातों–रात विकास–कार्य करवा देती है, नई–नई सड़कें बनवा देती है जिससे वहां पर आने वाले को लगता है कि वहां पर अच्छे विकास–कार्य हो रहे हैं । इस सरकार में अगर कोई मंत्री या कोई बड़ा नेता कहीं पर जाता है तो ये लोग वहां पर सड़कों को खुदवा देते हैं । ये लोग सड़कों को बनाने की बजाय उनको खुदवा देते हैं । माननीय शिक्षा मंत्री जी जानते हैं कि तीन दिन पहले हमारे क्षेत्र में क्या हुआ था । वहां पर सड़कों पर लगभग 6–6 फीट गहरे गड्ढ़े खुदवा दिए गए और उन सड़कों का नाश कर दिया गया । (विघ्न)

श्री कंवर पाल : सभापति महोदया, उस पाप में माननीय सदस्य भी शामिल थे ।

श्री बिशन लाल सैनी : सभापति महोदया, जब माननीय मंत्री महोदय का बोलने का समय आये तो ये भी बोल लें । माननीय सदस्य श्री घनश्याम दास ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी । सभापति महोदया, हमारे एरिया में गन्ने की खेती बहुत ज्यादा होती है और यह तकरीबन कांट्रैक्ट बेस पर की जाती है । मिलों के साथ किसान कान्ट्रैक्ट करते हैं। इसके लिए गन्ना किसानों को पर्चियां दी जाती है और उसके हिसाब से किसान गन्ना बेचते हैं। आज हमारे जिले की स्थिति यह है कि अगर 10 पर्चियां मिल द्वारा इशू की जाती हैं तो उनमें से वहां से लोकल किसानों को 3 पर्चियां दी जाती हैं और 7 पर्चियां यू.पी. के किसानों को दी जाती हैं। हमारे एरिया के किसानों को पर्चियां नहीं दी जाती। गन्ने का रेट 350 रुपये प्रति क्विंटल है लेकिन उन किसानों के साथ धोखेबाजी करके उनको 280 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से नगद पेमैंट दी जाती है और पर्ची 350 रुपये प्रति क्विंटल की काटते हैं। यानी कागजों में गन्ने का 350 रुपये प्रति क्विंटल का भाव होता है और मौके पर 280 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकता है। इस प्रकार प्रति क्विंटल पर 70

रुपये की धांधलेबाजी है। मेरे पास इस चीज के पक्के प्रूफ नहीं हैं, अन्यथा मैं उनको इस सदन में प्रस्तुत भी करता। लेकिन माननीय मंत्री जी को चाहिए कि वे इस बात की अपने लैवल पर इन्क्वायरी करवाएं। मैं जो यह बात कह रहा हूं वह बिल्कुल ठीक कह रहा हूं क्योंकि यह काम वहां पर हो रहा है। इसके अतिरिक्त मैं एक बात और कहना चाहूंगा। जैसा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में भी बताया गया है कि जब लॉकडाउन लगाया गया तो बाहर से आए हुए श्रमिकों को सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से डील किया और बहुत अच्छे तरीके से उनको उनके घरों तक पहुंचाया। यह बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हुआ। माननीय मंत्री जी भी बैठे हुए हैं इनको भी पता है कि हमारे जिले में उनके साथ क्या हुआ था ? वहां पर लाखों की संख्या में श्रमिक अपने बच्चों को लेकर कलानौर के बॉर्डर तक पहुंच जाते थे और पुलिस उनको आगे नहीं जाने देती थी। वे रात के समय लगभग 11:00 या 12:00 बजे चलते हुए पानी में कोई 200 रुपये देकर, कोई 300 रुपये देकर और कोई 400 रुपये देकर यमुना नदी को पार करता था। फिर पुलिस उनको दोबारा से पकड़कर वहीं पर ले आती थी और वे फिर दोबारा से उसी समय जाने की कोशिश करते थे। एक बार तो सरकार ने यमुना नदी में पानी छोड़ दिया ताकि वे वहीं पर डूबकर मर जाएं। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि हमने उनके लिए इतनी ट्रेनें चलवायी और इतनी बसें चलवायी। मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त रोजगार के बारे में बात की गयी है। सभापति महोदया, प्रदेश में जो आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर्ज थे उनको हटा दिया गया और पी.टी.आई. टीचर्ज को तो इनसे पहले ही हटा दिया गया था। इन आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर्ज का पेपर लगभग 5 दिन पहले ही हुआ था। लगभग 10,300 कैंडिडेट्स को रोल नम्बर्ज इशू किये गये थे और उनके लिए 40 सैंटर्ज बनाये गये थे। इन सभी सैंटर्ज में से 1 सैंटर ऐसा बनाया गया, जिसमें उन बच्चों में से छांटकर रोल नम्बर लिये गये थे और उनके लिए अलग से कुरूक्षेत्र जिले के पिपली में एक सैंटर बनाया गया।

श्री कंवर पालः सभापति महोदया, माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, उसको सिद्ध कर दें।

श्री बिशन लाल सैनीः सभापति महोदया, मैं माननीय मंत्री जी को इसके लिए सबूत दे दूंगा।

श्री कंवर पालः सभापति महोदया, मैं इस बात के लिए ही नहीं बल्कि पिछले 6 सालों की गारंटी ले रहा हूं। अगर पूरे हरियाणा में कोई ऐसी बात हुई है तो उसको सिद्ध कर दें। माननीय सदस्य इस बात को सिद्ध कर दें कि हमने कोई ऐसा सैंटर बनाया है। माननीय सदस्य को यह बात महसूस करनी चाहिए कि ये सभी नियुक्तियां इनकी पार्टी की सरकार के समय में ही हुई थी और ये दोनों भर्तियां कैंसिल हो गयी हैं।

श्री बिशन लाल सैनीः सभापति महोदया, उस सैंटर में पेपर देने के लिए उन कैंडीडेट्स से कुछ न कुछ लिया गया होगा और सरकार कहती है कि उनकी सरकार में पर्ची और खर्ची नहीं चलती है। माननीय मंत्री जी इस बात की इन्कवायरी करवा लें।

श्री कंवर पालः सभापति महोदया, हमारी सरकार में बिना पर्ची/खर्ची के काम होते हैं। माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं उसके लिए वे ऐसे लोगों को ला दें जो यह कहते हों कि उन्होंने पर्ची/खर्ची देकर कोई काम करवाया हो।

श्री बिशन लाल सैनीः सभापति महोदया, (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पाल : सभापति महोदया, हरियाणा प्रदेश में इस बात का प्रमाण मिलता है कि आज गरीब को भी बिना पर्ची और बिना खर्ची के सरकारी नौकरी मिल रही है। जब किसी गरीब आदमी को अस्सिटैंट प्रोफेसर की नौकरी मिलती है या किसी को एस.डी.एम. की नौकरी मिलती है तो इसका साफ पता चलता है कि उसको बिना पर्ची और बिना खर्ची के सरकारी नौकरी मिली है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र पंवार : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ये सरकारी नौकरियां हरियाणा स्टेट के व्यक्ति को नहीं बल्कि दूसरी स्टेट के व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिली है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बिशन लाल सैनी : सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा प्रदेश में दो तरह के पेपर लिये गये। जैसे मान लो 39 नम्बर सैंटर है उसमें जो कैंडीडेट्स आये थे, उनको जो पेपर दिया गया था, वह पेपर आसान भाषा में दिया गया था। दूसरे 39 नम्बर सैंटर में जो पेपर दिया गया था, उसकी भाषा बहुत ही मुश्किल थी। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहूंगा कि प्रदेश के युवाओं के साथ यह किस प्रकार का इन्साफ किया जा रहा है। मंत्री जी जब मैं आपके बगल में बैठा हुआ चाय पी रहा था तो मुझे आपकी आवाज सुनाई दी कि काले कृषि कानून कौन से है, इस बारे में विपक्ष के सदस्यों द्वारा बताया जाये। सभापति महोदय, मैं

आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को उन काले कानून की सच्चाई दिखाने के लिए इस महान सदन में दो चीजें लेकर आया हूं। पहला तो गेंहू का दलिया और दूसरा आहा का पैकेट। ये बड़ी–बड़ी कारपोरेट कम्पनियां के द्वारा निर्मित किया गया है, इस वजह से किसानों को डर सता रहा है। (शोर एवं व्यवधान) सभापति महोदय, यह गेंहू का दलिया है जो हम घरों के अंदर अपने पशुओं को चारे के रूप में डालते हैं। अब मैं इस महान सदन में इसके रेट के बारे में बताना चाहूंगा। आपको भी इस बात का भलीभांति ज्ञान है कि किसानों के गेंहू का दाम 20 रुपये किलो है और मेरे हाथ में जो गेंहू का दलिया है वह मात्र 300 ग्राम का है, जिसकी कीमत 99 रुपये कुछ पैसे की है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पाल : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा अगर ये फाइव स्टार होटल में जाकर चाय पीएंगे तो फाइव स्टार होटल का रेट लगेगा और अगर ढाबे में जाकर चाय पीएंगे तो ढाबे वाला रेट लगेगा। अगर ये फाइव स्टार होटल में जाकर कहेंगे कि मुझे तो 10 रुपये की चाय पीनी है तो इनको उस फाइव स्टार होटल में कौन 10 रुपये में चाय पिलायेगा। (शोर एवं व्यवधान) माननीय सदस्य यह बात बता दे कि गेंहू के दलिया का रेट किसकी सरकार में क्या थे और किसकी सरकार में क्या नहीं थे? सभापति महोदय, मुझे माननीय सदस्य यह बतायेंगे कि क्या यह प्रोडक्ट हमारी सरकार ने तैयार किया है? यह प्रोडक्ट तो पहले दिन से ही तैयार है। अगर ये लोग 50 साल पहले के रेट देखेंगे तो इनको 50 साल वाले रेट ही मिलेंगे।

श्री बिशन लाल सैनी : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप पार्लियमैंटरी मिनिस्टर है इसलिए आपको इस महान सदन की गरिमा बनाये रखनी चाहिए। मैंने यह बात नहीं कही कि पहले गेंहू के दलिया का रेट यह नहीं होता था। (शोर एवं व्यवधान)

सभापति महोदया : सैनी जी, आप अपनी बात कंक्लूड कीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बिशन लाल सैनी : सभापति महोदय, मैं इन तीनों काले कानूनों के बारे में यही कहना चाह रहा था कि छोटी दुकानें बंद हो जायेंगी और बड़े–बड़े मॉल के अंदर इनको इसी रेट पर गेंहू का दलिया मिला करेगा और जरूरतमंद व्यक्ति को भी इसी भाव में गेंहू का दलिया खरीदना पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती नैना सिंह चौटाला : सैनी जी, आप दलिया का पैकेट दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पाल : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि कृषि कानून की लाइन में से वह क्लॉज निकालकर दिखायें कि यह बात कहां पर लिखी हुई है? (शोर एवं व्यवधान)

श्री बिशन लाल सैनी : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसी बात का तो किसानों को डर सता रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पाल : सैनी जी, आप हमें कृषि कानून की लाइन में से वह क्लॉज दिखा दें ताकि हमें भी इस बात का ज्ञान हो जाये। आपकी बात को पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता सुन रही है। (शोर एवं व्यवधान) सैनी जी, आप इस बिल में वह लाइन दिखा दो जिसमें छोटी दुकानें बंद होने की क्लॉज लिखी हुई है।

श्री बिशन लाल सैनी : मैं यह कह रहा हूं कि इस बात का किसानों के मन में डर बना हुआ है। आप इस बात को समझो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कंवर पाल : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि एक कांग्रेस पार्टी की महिला थी वह ठीक कह रही थी कि शुक्र है मैं बच गई नहीं तो हमारा काम खत्म हो जाता। वह महिला कांग्रेस पार्टी की थी वह यह कोई बात ठीक कह रही थी। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि उस महिला ने कांग्रेस पार्टी से चुनाव भी लड़ा था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बिशन लाल सैनी : सभापति महोदय, यह किसानों का डर है इसलिए सभी प्रदेशों के किसान दिल्ली में धरने पर बैठे हुए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

सभापति महोदया : सैनी जी, आपको बोलते हुए काफी समय हो गया है इसलिए प्लीज आप बैठ जायें।

श्री सोमवीर सांगवान (दादरी) : सभापति महोदया, सबसे पहले तो मैं आपको, सभी माताओ–बहनों और पूरे सदन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत–बहुत बधाई देता हूं। सभापति महोदया, मैं पिछले लगभग 105 दिन से चल रहे किसानों के धरने के बारे में सदन में विस्तारपूर्वक बताना चाहता हूं। अगर आज के समय प्रदेश और देश में किसी की सबसे ज्यादा बुरी दशा है तो वह किसान की है।

आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर का लड़का इंजीनियर बनना चाहता है, वकील का लड़का वकील बनना चाहता है और मंत्री का लड़का मंत्री बनना चाहता है लेकिन किसान का लड़का किसान नहीं बनना चाहता है। पिछले 105 दिनों से किसान दिल्ली के चारों तरफ धरने पर बैठे हुए हैं। अगर कोई भी सुबह अपने घर से निकले तो शाम को वह हर हालत में अपने घर पर पहुंचना चाहेगा लेकिन किसान पिछले 105 दिनों से सड़क के ऊपर बैठा है। पूरी सर्दी के मौसम के दौरान वह अपने घर से दूर धरने पर बैठा है। यहां पर कुछ भाई कह रहे थे कि इन तीनों कृषि कानूनों से किसानों का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। सभापति महोदया, मैं इस मंच के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इन तीनों कृषि कानूनों से किसानों की एक पैसे की भी भलाई नहीं होने वाली है। मैं इस पर खुली बहस करने के लिए तैयार हूं। इन तीनों कृषि कानूनों से किसानों का सिर्फ और सिर्फ नुक्सान ही होने वाला है। मेरा यह मानना है कि इससे किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जायेगा। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश में कांट्रैक्ट फार्मिंग का कंसैप्ट आज से कई साल पहले लागू हो चुका है। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर जो भाई कांट्रैक्ट फार्मिंग के तहत सेब की खेती करते हैं उनके 200 करोड़ रूपये बिचौलिये लेकर फरार हो गये। सेब उत्पादकों के भरसक प्रयास करने के बावजूद भी अभी तक इन 200 करोड़ रूपयों में से केवल 56 करोड़ रूपये ही वापिस मिल पाये हैं और 144 करोड़ रूपए मिलना अभी भी पैंडिंग है। इस समय यह केस कोर्ट में चल रहा है। **(इस समय महिला सभापतियों की सूची में से एक सदस्या श्रीमती गीता भुक्कल पदासीन हुई।)** सभापति महोदया, इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर जो किसान गन्ने की खेती करते हैं उनका गन्ना चीनी का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाली कम्पनीज़ खरीदती हैं। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों की 6 से 7 साल तक की पेमैंट बकाया है। (शोर एवं व्यवधान)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : सभापति महोदया, माननीय सदस्य को किसानों को ऐसी बात कह कर डराना नहीं चाहिए क्योंकि अभी तो ये कानून लागू ही नहीं हुए हैं। (शोर एवं व्यवधान) इन कानूनों का असर तो अभी प्रकट ही नहीं हुआ है।

परिवहन मंत्री (श्री मूल चंद शर्मा) : सभापति महोदया, अभी तो ये कृषि कानून लागू ही नहीं हुए हैं तो किसान बर्बाद किस तरह से हो गये? माननीय सदस्य श्री सांगवान इस बात को भी स्पष्ट करने का कष्ट करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सोमवीर सांगवान : सभापति महोदया, मेरा बार–बार यही कहना है कि इन तीनों कृषि कानूनों से किसान का कोई भला होने वाला नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : सभापति महोदया जी, अभी माननीय सदस्य श्री सांगवान जी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादक किसानों का एक ठेकेदार 200 करोड़ रूपये लेकर भाग गया। मेरा इनसे यही निवेदन है कि सबसे पहले तो इनको इसका हिसाब लगाना चाहिए कि 200 करोड़ रूपये के कितने सेब होंगे? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैं एक बार एक किसान की बात सुन रहा था। उसने यह कहा कि मध्य प्रदेश में एक व्यापारी 200 करोड़ रूपये का अनाज खरीदकर भाग गया। आप यह अनुमान लगायें कि अगर गेहूं के किसी सीजन में 60 दिन मण्डी चले उसमें अगर 20 हजार क्विंटल अनाज प्रतिदिन तुले उसी स्थिति में वह 200 करोड़ रूपये का बैठेगा। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री सोमवीर सांगवान जी को यही कहना चाहता हूं कि इनको पहले 200 करोड़ रूपये का सही–सही हिसाब तो लगाना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सोमवीर सांगवान : सभापति महोदया, मैंने तो यह कहा था कि पूरे हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों का बिचौलिये 200 करोड़ रूपये लेकर भाग गए। शायद मंत्री जी मेरी पूरी बात नहीं सुनी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश दलाल : सभापति महोदया, माननीय सदस्य सदन को गुमराह कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) यहां पर किसी को भी गलत ब्यानबाजी करके सदन का समय खराब नहीं करना चाहिए और न ही सदन में गुमराह करने वाली कोई स्टेट मैंट ही देनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

सभापति महोदया : मंत्री जी, अभी आप कृपया करके बैठ जायें और माननीय सदस्य को अपनी बात कहने दें। जब आपको रिप्लाई देने का मौका मिलेगा तो उस समय आप स्थिति को स्पष्ट कर दें। (शोर एवं व्यवधान) अभी आप कृपा करके बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान) सांगवान जी, आप प्लीज कंटीन्यू करें।

श्री सोमबीर सांगवानः सभापति महोदया, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जय प्रकाश दलालः सभापति महोदया, माननीय सदस्य गलत बात कह रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

सभापति महोदया : मंत्री जी, आप प्लीज बैठ जाएं। आप चेयर को ऐड्रैस करें आप माननीय सदस्य को धमकाओ मत। आप बैठ जाइये। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सदन की गरिमा को बनाए रखें। जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं उनको सुन लें उसके बाद जो भी सरकार की ओर से जवाब बनता होगा वह दे दिया जायेगा। सभी सदस्यों को अपने–अपने समय पर बोलने दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सोमबीर सांगवानः सभापति महोदया, इस आंदोलन के दौरान 250 किसान अपना शरीर छोड़ कर चले गये हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जयप्रकाश दलालः सभापति महोदया, सांगवान साहब ठीक बात नहीं कह रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

सभापति महोदया : मंत्री जी, आपसे मेरी रिक्वैस्ट है आप जिस विभाग के मंत्री हैं जब उसका जवाब देने का समय आये तब आप जवाब दे देना। किसान भोला–भाला नहीं है अब वह बोलना सीख गया है। मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि जब माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो उनकी बात उनको कहने दें उसके बाद आप अपना जवाब दे दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सोमबीर सांगवानः सभापति महोदया, पिछले 105 दिनों में किसान आंदोलन में 250 किसान अपना शरीर छोड़ चुके हैं, वे भगवान को प्यारे हो गये हैं। वे राजी–खुशी नहीं गये। अगर उनको कोई तकलीफ ही नहीं थी, अगर उनको नुकसान नहीं था तो वे रोड पर किसलिए बैठे हुए थे। (शोर एवं व्यवधान)

सभापति महोदया : मंत्री जी, मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि आप सदन की कार्यवाही में बाधा न पहुंचाएं। आपको जो अपनी बात सही लगती है मेरी आपसे रिक्वैस्ट है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जब जवाब दिया जायेगा और सदन के नेता बोलेंगे तब आप बोल दीजिए। अभी मेरी रिक्वैस्ट है कि जो हमारे सम्मानित सदस्य चाहे जिस भी दल से हों, आप उनको बोलने दें।

श्री सोमबीर सांगवानः सभापति महोदया, मैं इससे ज्यादा क्या कह सकता हूं कि मैं पिछले 105 दिनों से लगातार किसानों के बीच में रहा हूं। मैंने भी उनकी तकलीफ को देखा है । बहुत से किसान आंदोलन में अपना शरीर छोड़ कर चले गये। ये

तीनों काले कानून सरकार को वापिस लेने में क्या नुकसान है? जब किसान कह रहा है कि हमें ये कानून नहीं चाहिएं। जो एम.एस.पी. की गारंटी माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि एम.एस.पी. है, पहले भी रही है और आगे भी रहेगी तो इसको कानून का रूप देने में क्या दिक्कत है? किसान चाहते हैं कि एम. एस.पी. को कानूनी रूप दिया जाये। यह 100 प्रतिशत घाटे का सौदा है। अगर ये तीनों काले कानून लागू हो गये तो किसान बर्बाद हो जायेगा। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये जो नॉर्थ इंडिया का कुछ हिस्सा है इसी में एम.एस.पी. मिलती है। इसी का कारण है कि आज किसान 105 दिनों से रोड पर बैठा हुआ है। अगर आप पूर्वी भारत में देखेंगे तो दो वर्ग हैं एक तो निम्न वर्ग है और एक अमीर वर्ग है। अमीर और गरीब की बहुत बड़ी खाई है। नॉर्थ इंडिया में तीनों कैटेगरीज हैं। गरीब भी है, मध्यम वर्ग भी है और हाई कैटेगरी भी है। यह जो आंदोलन चल रहा है यह मध्यम वर्ग जो मजबूत है उसकी बदौलत ही 105 दिनों से शांतिपूर्वक चल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन मध्यम वर्ग की ताकत की बदौलत ही शांतिपूर्वक चल रहा है।

सभापति महोदया : सांगवान जी, आप अपनी बात को दो मिनट में वाइंड अप करें। अगर आपके हल्के की कुछ डिमांड हों तो आप उनको भी रख सकते हैं।

श्री सोमबीर सांगवानः सभापति महोदया, मेरे लिए मेरे हल्के से भी ज्यादा बड़ी समस्या मेरे किसान भाइयों की है जिनके साथ मैं पिछले 105 दिनों से लगातार बना हुआ हूं। ये तीनों काले कानून लागू होने के बाद नॉर्थ इंडिया का जो मध्यम वर्ग है वह भी समाप्त हो जायेगा। बिहार का किसान रेल का भाड़ा लगा कर दिल्ली में प्रदर्शन नहीं कर सकता है। यह हमारी मध्यम वर्ग की ताकत का नतीजा है जो 105 दिनों से किसान भाई बैठे हुए हैं। एक बात मैं मेरे हल्के के बारे में बताना चाहता हूं कि सरकार ने निर्णय किया हुआ है कि हर जिले में एक मैडिकल कॉलेज बनेगा। दादरी को वर्ष 2016 में जिला बना दिया गया था लेकिन वहां 100–100 किलोमीटर तक रोहतक को छोड़कर कोई मैडिकल कॉलेज की सुविधा नहीं है जबकि सरकार द्वारा हर 20 किलोमीटर पर एक मैडिकल कॉलेज बनाने की बात की गई थी। दादरी को जिला बना दिया गया लेकिन दादरी पहला ऐसा जिला है जिसमें सरकारी कॉलेज नहीं है। मेरी दूसरी बात सीवरेज व पानी की व्यवस्था को लेकर है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे वहां सीवरेज व पानी की व्यवस्था न होने से चारों तरफ बुरा हाल है। इस संबंध में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना

चाहता हूं कि आपने दादरी को नया जिला बनाया है उसको प्राथमिकता देते हुए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज महिला दिवस के अवसर पर बहनों को दादरी में एक महिला कॉलेज जरूर दें क्योंकि दादरी जिला में आज तक कोई कॉलेज नहीं है। सभापति महोदया, इसके साथ ही मेरे हल्के की कुछ डिमांड्स हैं जोकि बाईपास व और भी बहुत सारी समस्याओं को लेकर हैं, जिनके बारे में मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं। समापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार को किसानों की भलाई में व किसान को बचाने में अपनी तरफ से प्रस्ताव पास करके हरियाणा प्रदेश की तरफ से इन तीनों कानूनों के खिलाफ अपना विरोध जरूर दर्ज करवाना चाहिए था। धन्यवाद।

श्री लीला राम (कैथल) : सभापति महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर अपने विचार रखने के लिए समय दिया। सर्वप्रथम मैं आज के इस पावन पवित्र अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर समस्त विश्व की बहन–बेटियों को बधाई देना चाहता हूं और यह कामना करता हूं कि वे दिन दुगुनी, रात चौगुनी तरक्की करें। इसमें कोई अतिश्योक्ति भी नहीं है कि आज महिलाएं पुरूषों से कहीं आगे निकल चुकी हैं। उसका उदाहरण कि अभी पिछले दिनों जब अमेरिका जैसे सम्पन्न राष्ट्र में चुनाव हुआ उसमें हमारे भारत मूल की बहन–बेटी कमला हैरिस जी ने वहां पर उप राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करके हिन्दुस्तान का नाम पूरे विश्व में चमकाने का काम किया है। मैं सदन के माध्यम से हरियाणा सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने नगर निगम व पंचायती राज चुनावों में आने वाले समय में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का काम किया है। उसके लिए हरियाणा सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। मेरे से पहले कांग्रेस पार्टी के साथियों ने भी अपने विचार रखे और उसमें वे अपनी सरकार के समय का बड़ा गुणगान कर रहे थे लेकिन इस हरियाणा प्रदेश की सरकार ने हरियाणा प्रदेश को हर क्षेत्र में लीक से हटकर एक नई दिशा देने का काम किया है। मैं सदन के माध्यम से शिक्षा मंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि सरकार ने फैसला लिया है कि हरियाणा प्रदेश के हर 25 किलोमीटर पर सरकार एक गवर्नमैंट कॉलेज की स्थापना करने जा रही है। हमारी बेटियों को स्कूल व कॉलेज से उनके घर तक पहुंचाने के लिए लगभग 500 बसों का प्रावधान

किया गया है उसके लिए भी हरियाणा सरकार बधाई की पात्र है। सभापति महोदया, आपने देखा है कि पूरा विश्व कोविड जैसी महामारी की चपेट में आया है परंतु आप यह भी महसूस करती होंगी कि पूरे विश्व के अन्दर घनत्व के तौर पर हिन्दुस्तान सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है परंतु यह हिन्दुस्तान की सरकार कहिए या हरियाणा प्रदेश की आदरणीय श्री मनोहर लाल जी की सरकार कहिए जिसके कारण पूरे विश्व में हिन्दुस्तान के हरियाणा प्रदेश में सबसे कम कैजुअल्टीज हुई है जो आपके सामने है। चाहे इजराईल है, चाहे इंग्लैंड है, चाहे जर्मनी है, चाहे फ्रांस है, चाहे रशिया है, उन सभी देशों का कोरोना के कारण क्या हाल हुआ है वह आप सभी ने देखा है। इसके लिए भी जिस प्रकार का प्रबन्ध हरियाणा सरकार की तरफ से किया गया तथा आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने जिस प्रकार से एक मिशन के रूप में काम करते हुए भारत वर्ष की 130 करोड़ जनता को इस महामारी से बचाने का काम किया, उसके लिए न केवल भारत सरकार बल्कि हरियाणा सरकार भी बधाई की पात्र है। जहां तक सड़कों की बात है, के संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि कैथल से चंडीगढ़ आने में चार घंटे का समय लगा करता था लेकिन आज यह सफर मात्र डेढ घंटे का रह गया है। आज सड़कों के विषय पर जब मैं मेरे साथी विनोद भ्याना जी से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि वह तीन घंटे में हांसी से चंडीगढ़ आ जाते हैं। आज न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के साथ हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का भी धन्यवाद करता हूँ। इनकी मेहनत का ही यह परिणाम है कि आज कैथल जैसे पिछड़े इलाके से छह लेन के विभिन्न हाइवेज निकलकर नारनौल, हिसार, दिल्ली, भटिंडा, लुधियाना तथा चंडीगढ़ तक जा रहे हैं। इन हाइवेज का ही नतीजा है कि अब लोग माता वैष्णों देवी के दर्शन के लिए बहुत कम समय में जा सकेंगे। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि सड़कों के मामले में इस सरकार ने नए आयाम स्थापित करने का काम किया है। अभी हमारे वरिष्ठ साथी श्री जगबीर सिंह मलिक किसानों के विषय पर बड़ी चिंता जाहिर कर रहे थे, उनकी चिंता के मद्देनज़र मैं उनको वह दौर याद दिलाना चाहूंगा कि इनकी सरकार के समय में जहां प्रति एकड़ में 100 मन गेहूं तथा 150 मन जीरी पैदा होती थी, वहां पर प्रति एकड़ 6 लाख रूपये मुआवजा देने का काम किया गया था और जहां पर 2 मन बाजरा भी नहीं होता था वहां पर 28 से 30 लाख रूपये

प्रति एकड़ मुआवजा देने का काम किया गया था। इस तरह का भेदभाव कांग्रेस पार्टी के समय में किया जाता था। आज किसान की जमीन जबरदस्ती एक्वॉयर नहीं की जाती है बल्कि एक्वॉयर करने से पहले किसान की सहमति ली जाती है। कांग्रेस पार्टी के समय में अगर किन्हीं दो भाइयों की जमीन एक्वॉयर होती थी तो बड़ा भाई छोटे को धमकाकर कह दिया करता था कि भाई तेरी जमीन एक्वॉयर हो रही है तू ही मुआवजा ले ले। इसका कारण यह था कि सबको पता होता था कि 2–4 लाख रूपये प्रति एकड़ ही मुआवजा मिलना है अतः छोटे भाई का नुकसान होता है तो हो जाने दो कम से कम बड़ा भाई तो बचा रहेगा। (शोर एवं व्यवधान)

सभापति महोदयाः लीला राम जी, आप केवल तथ्य आधारित ही बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको विपक्ष के भी तथ्यों पर बात करनी है और सत्ता पक्ष के भी तथ्यों पर बात करनी है। विपक्ष के तथ्यों पर भी विचार होगा और सत्ता पक्ष के तथ्यों पर भी बात होगी। (विघ्न)

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): सभापति महोदया, आप इस तरह माननीय सदस्य को बोलने से बाधित न करें। आप जिस प्रकार बात कर रही है उससे ऐसा दिखा रही है कि कांग्रेस पार्टी के तथ्य, तथ्य हैं और माननीय सदस्य के तथ्य, तथ्य नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए?

सभापति महोदयाः देखिए, मैं अब किसी पार्टी की सदस्य के रूप में काम नहीं कर रही हूँ बल्कि विधान सभा अध्यक्ष के रूप में काम कर रही हूँ और ऐसी अवस्था में मेरे लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष में कोई फर्क नहीं है? (विघ्न)

श्री दुष्यंत चौटलाः सभापति महोदया, मैं फोर द चेयर एक प्वॉयंट ऑफ आर्डर लाना चाहूंगा कि आप सभापति हैं, अध्यक्ष नहीं हैं इसलिए आप अपने आपको रेक्टिफाई जरूर कर लें?

सभापति महोदयाः ठीक है, मैं रैक्टिफाई करती हूँ कि मैं सभापति हूँ।

श्री लीला रामः सभापति महोदया, मैं तथ्य आधारित ही बात कह रहा हूँ। यह दो और दो चार की बात है और रिकॉर्ड की बात है। सभापति महोदया, कांग्रेस पार्टी के शासन काल के समय आप पावरफुल स्वास्थ्य मंत्री की भूमिका में हुआ करती थी और आपने कैथल का मैडिकल कॉलेज झज्जर में ले जाने का काम किया था और आपने इसी सदन में इस बात को माना भी था लेकिन मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री

जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने दोबारा से कैथल में मैडिकल कालेज मंजूर करने का काम किया है। आज अगर किसी भाई की जमीन एक्वॉयर होती है और दो भाइयों मे ंजमीन को लेकर अगर कोई झगड़ा हो जाता है तो एक भाई कहने लग जाता है कि आधी जमीन उसकी है क्योंकि उसको पता है अगर जमीन एक्वॉयर होगी तो 40–45 लाख रूपये प्रति एकड़ जमीन का मुआवजा मिलेगा जबकि पहले ऐसा करने से लोग कतराते थे क्योंकि उस समय मुआवजा नाममात्र का दिया जाता था। सभापति महोदया, यह सरकार–सरकार का फर्क होता है। सभापति महोदया, मैंने छात्र जीवन से ही राजनीति करनी शुरू कर दी थी, इसलिए मुझे हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों की जानकारी है। पहले जब किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते थे तो उनको गोलियों से भूना जाता था। हम सभी को पता है कि कांग्रेस राज में गांव सतनाली, इगरा, लोहारू तथा कैथल व निसिंग के किसानों को किस तरह से गोलियों से भूना गया था। सभापति महोदया, 26 जनवरी, 2021 की घटना का भी सभी को पता है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने हिन्दुस्तान को नीचा दिखाने का काम किया था। (शोर एवं व्यवधान)

18:00 बजे

सभापति महोदयाः लीला राम जी, आपके बोलने का समय समाप्त हो गया है, इसलिए प्लीज आप बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री लीला रामः सभापति महोदया, मेरे कैथल हल्के की बहुत सारी मांगें बाकी हैं, इसलिए आप मुझे कुछ समय और बोलने का मौका दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

सभापति महोदयाः लीला राम जी, आप अपनी बाकी रिटन स्पीच सदन के पटल पर रख दीजिए, उसे प्रोसीडिंग का पार्ट बना लिया जायेगा।

***श्री लीला रामः** ठीक है जी। सभापति महोदया, कैथल में मैडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू किया जाये। कैथल हल्के में एक महिला कॉलेज का निर्माण करवाया जाये। कैथल में मंजूर बैंक सिटी स्क्वेयर व पार्किंग का निर्माण कार्य पूरा करवाया जाये। खनौरी रोड से कोयल ड्रेन की पटरी पर सड़क का निर्माण करवाया जाये। लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग की गांव मानस से गांव अटैला तक की सड़क जिसकी दूरी लगभग 5 किलोमीटर पड़ती है, को बनवाया जाये। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की गांव कुलतारण से गांव उझाना तक

***चेयर के आदेशानुसार लिखित स्पीच को प्रोसीडिंग्ज का पार्ट बनाया गया।**

की सड़क जिसकी दूरी 2 किलोमीटर है तथा गांव फर्श माजरा से गांव मानस तक की रोड को बनवाया जाये। गांव क्योड़क में बस स्टैण्ड और सब तहसील बनवाई जाये और गांव मुंदरी में महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य शुरू किया जाये। धन्यवाद।

श्री कुलदीप वत्स (बादली): सभापति महोदया, मैं सबसे पहले तो 'अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस' के अवसर पर आप सभी को बहुत–बहुत बधाई देता हूँ। सभापति महोदया, आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए भी मैं आपका आभारी हूँ। सभापति महोदया, माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में शहरी स्थानीय निकाय का जिक्र किया है, लेकिन मैं एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के लगभग 6 वर्षों से शहरी स्थानीय निकाय में दो–चार ठेकेदार हैं और उन्हीं को ही सारे कामों का ठेका मिल रहा है। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से अनुरोध करूँगा कि इस विषय को गम्भीरतापूर्वक लेते हुए इसकी जांच करवाई जानी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत बड़ा घोटाला नजर आता है। शहरी स्थानीय निकाय में एक–एक करोड़ रुपये की सफाई की मशीन खरीदी गई है और जिसका भुगतान लगभग 6 लाख रुपये प्रति महीना के हिसाब से किया जा रहा है। इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला नजर आता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वयं कहती रहती है कि बड़ी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। अपने मुनाफे के लिये 2–3 कंपनीज को ही हर काम के टैंडर्ज अलॉट किये जा रहे हैं। सभापति महोदया, आज हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है। वर्ष 2019 के बाद माननीय गृह मंत्री श्री अनिल विज जी ने पुलिस महकमे में काफी सुधार किया है इसके लिए मैं उनकी बड़ी सराहना करता हूं । हमारे गांव में एक कहानी बड़ी प्रचलित थी कि एक बार गांव के खेतों में एक गधा आने लग गया । वह सारी फसल को खा जाता था । फिर राजा ने सोचा कि इस गधे का तो कुछ–न–कुछ इलाज करना पड़ेगा । ऐसा सोचकर राजा ने उस गधे को शेर की खाल पहनवा दी । जब वह बेचारा किसान खेत में जाता तो देखता कि शेर उसकी फसल को नष्ट कर रहा है । कई दिन तक वह किसान डरकर शेर से दूर भागता रहा । फिर एक दिन किसान ने सोचा कि इस तरह से तो मेरी सारी फसल तबाह हो जाएगी और ऐसा सोचकर किसान ने शेर से दो–दो हाथ करने की ठान ली ।

जब किसान उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह तो शेर की खाल ओढ़े हुए गधा था । किसान उससे डरकर यूं ही अपनी फसल बर्बाद होते हुए देखता रहा । सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आज शेर की खाल ओढ़कर कुछ लोग प्रदेश को 100–100 हाथों से लूट रहे हैं । माननीय मंत्री महोदय कानून–व्यवस्था की बड़ी बातें करते हैं । मैं इनको बताना चाहता हूं कि वर्ष 2019 में रेप, मर्डर आदि के 67,972 मामले दर्ज हुए जोकि वर्ष 2020 में बढ़कर 70 हजार हो गये । मेरा कहना है कि माननीय मंत्री जी का भाई शराब पीकर किसी अधिकारी को धमका भी सकता है और उसके साथ कुछ भी कर सकता है । (विघ्न)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : सभापति महोदया, अगर कोई माननीय सदस्य किसी माननीय मंत्री जी पर इस प्रकार का आरोप लगाता है तो वह शिकायत तथ्य के साथ देता है और उसकी इंक्वायरी करवाने का काम सरकार का होता है । मेरा कहना है कि सदन में खड़े होकर किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार या अन्य तरह के आरोप लगाना सही नहीं है । यह संसदीय प्रणाली की मर्यादा के खिलाफ है । माननीय सदस्य इस बात का अवश्य ध्यान रखें । माननीय सदस्य कह सकते हैं कि मेरे पास माननीय मंत्री के खिलाफ एक शिकायत है और मुख्यमंत्री उसकी इंक्वायरी करवायें । अगर माननीय सदस्य के पास कोई शिकायत है तो वे हमें लिखित में प्रमाण सहित शिकायत दे दें क्योंकि अगर माननीय सदस्य बगैर किसी प्रमाण के शिकायत देंगे तो अल्टीमेटली यह उनके खिलाफ भी जा सकती है । वे इस बात का अवश्य ध्यान रखें ।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य श्री कुलदीप वत्स के कहने का मतलब यह है कि एक आदमी मंत्रिमण्डल में बैठा है । अगर उन्होंने अपने महकमे की कोई बात माननीय मुख्य मंत्री महोदय के साथ करनी है तो वे वह बात सीधे माननीय मुख्य मंत्री महोदय से कर लें । अगर माननीय मुख्य मंत्री महोदय माननीय मंत्री जी की बात को मानते हैं तो ठीक है अदरवाइज माननीय मंत्री जी को या तो मंत्रिमण्डल छोड़ देना चाहिए या फिर महकमा छोड़ देना चाहिए । इस तरह से तो माननीय मंत्री जी ने अपनी भी फजीहत करवा ली और सरकार की भी फजीहत करवा दी । (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : सभापति महोदया, सरकार का कोई माननीय मंत्री हमारे साथ कैसा व्यवहार करता है और कैसा नहीं करता है इसमें किसी को दखल देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह हमारा इंटरनल मैटर है । इस सारे विषय को हम इंटरनली देखेंगे । (विघ्न) माननीय सदस्य सदन में खड़े होकर हमें गाइड न करें कि हमको मंत्रिमण्डल कैसे चलाना है और कैसे नहीं चलाना है । मैं पुनः कह रहा हूं कि यह हमारा इंटरनल मैटर है और इस सारे विषय को हम स्वयं इंटरनली देखेंगे । अगर इसका कोई असर होगा तो वह हम पर होगा माननीय सदस्य पर इसका कोई असर नहीं होगा । (विघ्न)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : सभापति महोदया, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय की इस बात से सहमत हूं लेकिन Supreme power lies with the Hon'ble Chief Minister इस बात का माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने फैसला करना है । मैं बता रहा हूं कि सरकार की सारे प्रदेश और पूरे पुलिस डिपार्टमैंट में थू–थू हो रही है ।

श्री कुलदीप वत्स : सभापति महोदया, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को प्रूफ के साथ ही शिकायत दूंगा । दूसरी बात माननीय मुख्य मंत्री महोदय के नॉलेज में भी है । क्या एक डी.आई.जी. रैंक के ऑफिसर को सस्पैंड नहीं किया गया ? अगर यह झूठ है तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय बता दें । मैं पूछना चाहता हूं जिस तरह से डी.आई.जी. रैंक के ऑफिसर पर माननीय मंत्री जी ने कार्रवाई की, क्या वे उसी तरह किसी इंस्पैक्टर लैवल के ऑफिसर द्वारा आम आदमी के साथ गलत हरकत करने पर भी कार्रवाई करेंगे ? अब मैं अपने हल्के से संबंधित बात करता हूं । मैंने माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय से अपने हल्के में मिनी सैक्रेटेरियट की रिकवैस्ट की थी । मेरी बात पर इसी सदन में मुझसे कहा गया था कि आपके विधान सभा क्षेत्र बादली में मिनी सैक्रेटेरियट के काम को शुरू करवा दिया जाएगा जोकि अभी तक शुरू नहीं हुआ है। सभापति महोदया, हमारे माननीय मंत्री श्री मूल चन्द शर्मा जी बैठे हुए हैं, मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहूंगा कि मेरे बादली हल्के का बस स्टैंड बनवाया जाए।

सभापति महोदयाः कुलदीप जी, आपके पास अपनी बात रखने के लिए केवल 2 मिनट का ही समय बचा है, इसलिए आप 2 मिनट में ही अपनी बात समाप्त करें।

श्री कुलदीप वत्सः सभापति महोदया, मैंने इस बारे में माननीय मंत्री जी से पहले भी रिक्वैस्ट कर ली है और मेरी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी रिक्वैस्ट है कि इस बस स्टैंड को बनवाया जाए। दूसरी बात यह है कि हमारे हल्के

की पी.एच.सी. जर्जर हालत में है, उसको भी बनवाया जाए। मैंने पहले भी डिप्टी सी.एम. साहब से भी रिक्वैस्ट की थी कि कुलाना का अंडर पास और सुबाना का बाईपास बनवाया जाए क्योंकि वहां पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस कारण लोगों को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। वहां पर या तो अंडर पास बनवाया जाए या फ्लाईओवर बनवाया जाए। मेरी रिक्वैस्ट है कि इन कार्यों को जल्दी करवाया जाए। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वैस्ट करूंगा कि अभी पिछले दिनों पाटौदा में मॉडल संस्कृति स्कूल की नींव रखी गई थी और उसके लिए पैसे भी स्वीकार किये जा चुके हैं, परन्तु आज तक उसका कार्य शुरू नहीं किया गया है। मेरा बोलने का समय पूरा हो गया है, इसलिए मैं बाकी बातें कल रख लूंगा।

श्री धर्मपाल गौंदर (नीलोखेड़ी) (एस.सी.): सभापति महोदया, मैं सबसे पहले अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए पूरे सदन की तरफ से और मेरे हल्के की तरफ से पूरे विश्व की माता, बहनों और बेटियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मेरा आप सभी को धन्यवाद है और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 5 महिला विधायकों को सभापति बनाकर मान–सम्मान दिया है।

श्री मनोहर लाल: सभापति महोदया, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि इन 5 माननीय महिला विधायकों को स्पीकर साहब ने सभापति नामांकित किया था।

श्री धर्मपाल गौंदर: सभापति महोदया, यह जो महिलाओं का मान–सम्मान किया गया है उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। मैं सभी माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के विकास में कोई कमी नहीं है। मैं यह बिल्कुल अन्दर की बात कह रहा हूं। मैं डिप्टी सी.एम. साहब का भी धन्यवाद करता हूं कि नीलोखेड़ी में 12 सड़कें जो कोई भी सरकार नहीं बना सकी, उनको इन्होंने बनवाया है। इनमें से एक सड़क 17 किलोमीटर की है जिससे 40 गांवों को फायदा होगा और यह 14 करोड़ रुपये की लागत से बनेगी। इसके लिए मैं माननीय उप–मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इसके अतिरिक्त मैं माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि 44 साल पहले एक बी.डी.पी.ओ. ऑफिस निसिंग में बनाया जाना था परन्तु वह किसी दबंग नेता ने दूसरी जगह चिड़ावा गांव में स्थापित करवा लिया। मेरा डिप्टी सी.एम. साहब से निवेदन है कि बी.डी.पी.ओ. ऑफिस निसिंग में ही बनवाया जाए।

सभापति महोदयाः मेरी माननीय डिप्टी सी.एम. साहब से रिक्वैस्ट है कि माननीय सदस्य गोंदर जी उनको ही सम्बोधित कर रहे हैं, इसलिए आप काईन्डली उनकी बात सुन लें।

श्री धर्मपाल गौंदरः सभापति महोदया, मेरा आपके माध्यम से डिप्टी सी.एम. साहब से निवेदन है कि 44 साल पहले एक ब्लॉक खंड निसिंग में बनाने के लिए मंजूर हुआ था और वह किसी दबंग नेता ने चिड़ावा गांव में स्थापित करवा दिया। वहां पर अपने कार्य करवाने के लिए जनता को 61 किलोमीटर दूर से आना पड़ता है क्योंकि हमारे हल्के का लास्ट गांव 61 किलोमीटर दूरी पर है, इसलिए मेरा निवेदन है कि बी.डी.पी.ओ. ऑफिस निसिंग में स्थापित करवाया जाए। इसके लिए मैंने विभाग को लैटर भी लिखा था और उसकी फिजिब्लिटी भी चैक होकर डायरैक्टर पंचायत के पास आ चुकी हे। मेरा निवेदन है कि मेरी इस मांग को पूरा किया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हरियाणा प्रदेश के 75 प्रतिशत युवाओं को प्राईवेट सैक्टर में रोजगार देने का काम किया है। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से निवेदन है कि हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट सैक्टर में जो रोजगार देने का काम किया जा रहा है उसमें एस.सी. और बी.सी. कैटेगरी के व्यक्तियों के लिए भी कोटा निर्धारित किया जाये। यही मेरी मांग है। करनाल जिले में निग्धू गांव है जो करनाल से 64 किलोमीटर दूर स्थित है। वह बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे हल्के के इस गांव निग्धू में संस्कृत मॉडल स्कूल बनाने का काम करवाया है। मेरी एक और मांग है कि गांव निग्धू में कॉलेज नहीं है जिसके कारण लड़कियों को पढ़ने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गांव निग्धू में एक लड़कियों के लिए कॉलेज बनाया जाये क्योंकि वहां की बेटियां 28 किलोमीटर दूर पढ़ने जाती हैं। यह मेरी और जनता की मांग है। सभापति महोदया, हरियाणा प्रदेश का करनाल जिला एक बड़ा शहर है, जिसके कारण एस.डी.एम. ऑफिस में वहां की जनता को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और समय पर काम भी पूरा नहीं हो पाता है इसलिए मेरी मांग है कि नीलोखेड़ी में भी एक एस. डी.एम. ऑफिस बनाया जाये ताकि जनता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाया है ऐसे ही मैं चाहूंगा कि जो आजाद विधायक चुनकर आये हैं उनको भी भतेरी के

बेटेऊ की तरह भतेरी समझकर उनका मान सम्मान बढ़ाया जाये। (हंसी) सभापति महोदय, मैं इस महान सदन में एक बात बताना चाहता हूं। एक जोड़ा जंगल में जा रहा था तो वहां डाकुओं की टोली बैठी हुई थी और डाकुओं की टोली का जो हैड था उसने कहा कि इनको पकड़कर लाओ। उनको डाकु पकड़ ले आये। उसके बाद उनके हैड ने उस लड़की से कहा कि अपने जेवर उतार दो तो उस लड़की ने अपने सारे जेवर उतार दिये। डाकुओं के हैड ने उस लड़की से पूछा कि तेरा नाम क्या है तो उस लड़की ने बताया कि मेरा नाम भतेरी है तो यह बात सुनते ही डाकुओं का हैड रोने लग गया। हैड की जो टोली थी उन्होंने उससे पूछा कि क्या बात हो गई है आप क्यों रो रहे हो तो डाकुओं के हैड ने रोते हुए बताया कि मेरी बहन का नाम भी भतेरी था और वह 12 साल की आयु में मर गई थी। उसके बाद डाकुओं के हैड ने अपने डाकुओं को कहा कि इस लड़की के जेवर वापस दे दो। उसके बाद डाकुओं के हैड ने कहा कि इसके आदमी को पकड़कर मेरे पास ले आओ तो वे उस लड़की के पति को पकड़ ले आये और डाकुओं के हैड ने कहा कि इसको दो–चार डंडे मारो और जेवर निकाल लो। उस आदमी ने रोते हुए कहा कि मुझे छोड़ दो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? डाकुओं के हैड ने उस आदमी को अपना नाम बताने के लिए कहा तो उसने कहा कि मेरा नाम मोलड़ है लेकिन मुझे भतेरी समझकर छोड़ दो। (हंसी) सभापति महोदय, मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जैसे आज इस महान सदन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है उसी तरह से आजाद विधायकों का भी मान सम्मान बढ़ाकर उनको मौका देकर कृतार्थ करने का काम किया जाये। (हंसी)

श्री नीरज शर्मा : सभापति महोदया, हमारे शास्त्रों में लिखा है किः–

''यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमन्ते तत्र देवता''।

जहां मातृ शक्ति की पूजा होती है, वहां देवता निवास करते हैं। हमारे सामने सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं। सभापति महोदया, मेरी इस बात की वैल्यू आज के दिन ही है क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और मेरी इस बात की वैल्यू कल की होने वाली सदन की बैठक में नहीं होगी क्योंकि मैं इस सदन में एक महिला की बात करना चाहता हूं। मेरे इलाके की बेटी निकिता तोमर का दिनदिहाड़े कत्ल कर दिया गया। इस सदन में होम मिनिस्टर जी के कहने पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हरियाणा सरकार निकिता तोमर के पीड़ित परिवार की मदद करेगी और

परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी देगी। मैं इस सदन में बताना चाहूंगा कि उसका केस माननीय हाई कोर्ट में चल रहा है। अगर सरकार आज उस बच्ची के पीड़ित परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दे देती तो आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष में निकिता तोमर को सच्ची श्रद्धांजलि होती इसलिए मेरा सरकार से विनती है कि अगर हम कुछ सकारात्मक काम करेंगे तो वह ज्यादा अच्छा होगा। धन्यवाद।

सभापति महोदया : माननीय सदस्यगण, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा अब समाप्त होती है। कल पुनः यह चर्चा शुरू होगी।

सरकारी संकल्प

(i) कारखाना (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2016 को वापिस लेने से सम्बंधित प्रस्ताव

सभापति महोदया : माननीय सदस्यगण, अब उप–मुख्यमंत्री जी सरकारी संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala) : Madam Chairperson, I beg to move-

> "That whereas, the Factories (Haryana Amendment) Bill, 2016 was introduced to make special provisions to achieve objective of Ease of doing Business & facilitate the MSMEs, to encourage the growth in industrial sector, for encouraging entrepreneurs to invest in the State of Haryana and for matters connected therewith. Thus, the Factories (Haryana Amendment) Bill, 2016 was made by the State Government and was passed by Haryana Vidhan Sabha on the 30th March, 2016.
>
> And whereas, the said bill was presented to the Governor of Haryana in compliance of the provisions contained in Article 200 of the Constitution of India for giving his assent thereto;
>
> And whereas, the Governor reserved the said Bill for the consideration of the President of India under Article 201 of the Constitution of India.
>
> And whereas, the Factories (Haryana Amendment) Bill, 2016 was sent to the Ministry of Home Affairs, Government of India for assent of the President of India. On seeking comments of Ministry of Labour & Employment, Government of India by Ministry of Home Affairs, it was observed that the provision pertaining to increase in number

of overtime hours and compounding of offences are not aligned with the Factories (Amendment) Bill, 2014 which was then introduced in the Lok-Sabha. The State Government had given its comments to the Ministry from time to time but these are not supported by the Ministry of Labour & Employment. Thereafter, on advice of the Government of India it was decided to re-visit the bill. Accordingly, the State Government requested the Ministry of Home Affairs, Government of India to return the Factories (Haryana Amendment) Bill, 2016 as the State Government was intends to introduce new bill in view of the observations made by the Ministry of Labour & Employment.

And whereas, a fresh bill i.e. Factories (Haryana Amendment) Bill, 2018 in consonance with the suggestions of the Ministry of Labour & Employment, Government of India was passed by the State Legislature on 11th September, 2018 and the same has been notified as an act of Haryana Legislature on 20th July, 2020 vides notification no. Leg.17/2020 dated 20.07.2020 after the obtaining assent of President of India for its applications to the State of Haryana as Factories (Haryana Amendment) Act, 2018 (Haryana Act No. 16 of 2020).

And whereas, in view of the above the aforesaid circumstances proposal to withdraw the Factories (Haryana Amendment) Bill, 2016 was put up before CMM.

And whereas, the Council of Ministry in its meeting held on 10.02.2021 has authorized the Chief Minister to approve the presentation of any Legislative Business before the Haryana Vidhan Sabha during its Session commencing from 05.03.2021 and the Chief Minister has approved the proposal to withdraw the Factories (Haryana Amendment) Bill, 2016 on behalf of the CMM in terms of Serial Number 09 of the Schedule Appended to the Rules of Business of the Government of Haryana, 1977.

Now, therefore, in pursuance of the provisions contained in Articles 200 and 201 of the Constitution of India, the Legislative Assembly of the State of Haryana hereby resolves to withdraw the Factories (Haryana Amendment) Bill, 2016."

सभापति महोदया : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

"कि कारखाना (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2016, व्यापार करने को आसान बनाने के लिए विशेष प्रावधान करना व एम.एस.एम.ई. को सुविधा प्रदान करना, औद्योगिक क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहित करना, उद्यमियों को हरियाणा राज्य में निवेश के लिए प्रोत्साहित

करने हेतू प्रस्तुत किया गया था इसलिए कारखाना (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2016 राज्य सरकार द्वारा बनाया गया था और हरियाणा विधानसभा द्वारा 30 मार्च, 2016 को पारित किया गया था।

और जबकि उक्त विधेयक हरियाणा के राज्यपाल को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 में दिये गये उपबन्धों की अनुपालना में उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया था।

और जबकि राज्यपाल ने, भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत, उक्त विधेयक को, भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख लिया था।

और जबकि कारखाना (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2016, भारत के राष्ट्रपति की सहमति के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया था। जब गृह मंत्रालय द्वारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की टिप्पणी मांगी गई तो यह पाया गया कि ओवर टाईम घंटो की संख्या में अपराधों का प्रषमन से सम्बन्धित प्रावधान कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2014 के प्रावधानों के अनुरुप नहीं है जोकि उस समय लोक सभा में पेश किया गया था। राज्य सरकार ने समय–समय पर मंत्रालय को अपनी टिप्पणी दी थी परन्तु यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा मंजूर नहीं की गई। तत्पश्चात भारत सरकार की सलाह पर यह विधेयक को पुनः जाँचने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार को कारखाना (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2016 वापिस लौटाने के लिए अनुरोध किया था। क्योंकि राज्य सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की टिप्पणियों के मद्देनजर नया विधेयक प्रस्तुत करना चाहती थी।

और जबकि श्रम एवं रोजगार मंत्रालयों के सुझावों के अनुसार एक नया विधेयक कारखाना (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2018 राज्य विधानसभा द्वारा 11.09.2018 को पास किया गया तथा इसको भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी के उपरांत अधिसूचना संख्या एलईजी.17/2020 दिनांक 20.07.2020 द्वारा हरियाणा राज्य में लागू करने हेतू कारखाना (हरियाणा संषोधन) अधिनियम, 2018 **(2020 का अधिनियम संख्या 16)** के रुप में दिनांक 20.07.2020 को अधिसूचित किया गया है और जबकि ऊपर वर्णित परिस्थितियों के मध्यनजर, कारखाना (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2016 को वापिस लेने का प्रस्ताव सी.एम.एम. के समक्ष अनुमोदन हेतू प्रस्तुत किया गया।

और जबकि दिनांक 10.02.2021 को मंत्री परिषद् की बैठक में मुख्यमंत्री को 05.03.2021 से शुरु होने वाले सत्र के दौरान विधानसभा में रखे जाने वाले विधायी कार्य को मंजूरी देने के लिए अधिकृत किया है और मुख्यमंत्री ने हरियाणा सरकार कार्य संचालन नियम, 1977 की अनुसूची की क्रम संख्या 09 के संदर्भ में मंत्री परिषद् की और से कारखाना (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2016 को वापिस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

इसलिए अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 में दिये गये उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा राज्य विधान सभा, इसके द्वारा, कारखाना (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2016 को वापिस लेने का प्रस्ताव पारित करती है।''

सभापति महोदया : प्रश्न है –

''यह कि कारखाना (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2016, व्यापार करने को आसान बनाने के लिए विशेष प्रावधान करना व एम.एस.एम.ई. को सुविधा प्रदान करना, औद्योगिक क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहित करना, उद्यमियों को हरियाणा राज्य में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने हेतू प्रस्तुत किया गया था इसलिए कारखाना (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2016 राज्य सरकार द्वारा बनाया गया था और हरियाणा विधानसभा द्वारा 30 मार्च, 2016 को पारित किया गया था।

और जबकि उक्त विधेयक हरियाणा के राज्यपाल को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 में दिये गये उपबन्धों की अनुपालना में उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया था।

और जबकि राज्यपाल ने, भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत, उक्त विधेयक को, भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रख लिया था।

और जबकि कारखाना (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2016, भारत के राष्ट्रपति की सहमति के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया था। जब गृह मंत्रालय द्वारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की टिप्पणी मांगी गई तो यह पाया गया कि ओवर टाईम घंटो की संख्या में अपराधों का प्रषमन से सम्बन्धित प्रावधान कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2014 के प्रावधानों के अनुरुप नहीं है जोकि उस समय लोक सभा में पेश किया गया था। राज्य सरकार ने समय–समय पर मंत्रालय को अपनी टिप्पणी दी थी परन्तु यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा मंजूर नहीं की गई। तत्पश्चात भारत सरकार की सलाह पर यह विधेयक को पुनः जाँचने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार को कारखाना (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2016 वापिस लौटाने के लिए अनुरोध किया था। क्योंकि राज्य सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की टिप्पणियों के मद्देनजर नया विधेयक प्रस्तुत करना चाहती थी।

और जबकि श्रम एवं रोजगार मंत्रालयों के सुझावों के अनुसार एक नया विधेयक कारखाना (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2018 राज्य विधानसभा द्वारा 11.09.2018 को पास किया गया तथा इसको भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी के उपरांत अधिसूचना संख्या एलईजी.17/2020 दिनांक 20.07.2020 द्वारा हरियाणा राज्य में लागू करने हेतू कारखाना (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2018 **(2020 का अधिनियम संख्या 16)** के रुप में दिनांक 20.07.2020 को अधिसूचित किया गया है और जबकि ऊपर वर्णित

परिस्थितियों के मध्यनजर, कारखाना (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2016 को वापिस लेने का प्रस्ताव सी.एम.एम. के समक्ष अनुमोदन हेतू प्रस्तुत किया गया।

और जबकि दिनांक 10.02.2021 को मंत्री परिषद् की बैठक में मुख्यमंत्री को 05.03.2021 से शुरु होने वाले सत्र के दौरान विधानसभा में रखे जाने वाले विधायी कार्य को मंजूरी देने के लिए अधिकृत किया है और मुख्यमंत्री ने हरियाणा सरकार कार्य संचालन नियम, 1977 की अनुसूची की क्रम संख्या 09 के संदर्भ में मंत्री परिषद् की और से कारखाना (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2016 को वापिस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

इसलिए अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 में दिये गये उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा राज्य विधान सभा, इसके द्वारा, कारखाना (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2016 को वापिस लेने का प्रस्ताव पारित करती है।''

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

(ii) हरियाणा लोक प्रतियोगिताओं में परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2018 को वापिस लेने से सम्बन्धित प्रस्ताव

सभापति महोदया : माननीय सदस्यगण, अब उप–मुख्यमंत्री सरकारी संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

Deputy Chief Minister(Shri Dushyant Chautala): Madam Chairperson, I beg to move-

"That the Haryana Prohibition of Change of Public Utilities Bill, 2018 was passed by the State Legislature vide Bill No. 37-HLA of 2018 to prohibit disturbing or changing of public utility and claiming such land to the exclusion of public rights and use in the State of Haryana and form matter connected therewith or incidental thereto;

And whereas, the said bill was presented to the Governor of Haryana in compliance of the provisions contained in article 200 of the Constitution of India for giving his assent thereto;

And whereas, the Governor reserved the said Bill for the consideration of the President of India under article 201 of the Constitution of India;

And whereas, in clause 8 of the Haryana Prohibition of Change of Public Utilities Bill, 2018, it has been proposed as under:-

"8 (1) if any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient, for removing the difficulty.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislature";

And whereas, the Government of India, Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs has made observation on clause 8 of the said Bill as Under:-

"Provided that no such order shall be made after the expiry of two years from the appointed day.";

And whereas, the State Government requested the Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi to return the Haryana Prohibition of Change of Public Utilities Bill, 2018. The Ministry of Home Affairs, Government of India intimated vide letter No. 17/55/2018-Judl. & PP, dated the 3rd November, 2020, to the State Government that Government of India has no objection to the withdrawal of the Haryana Prohibition of Change of Public Utilities Bill, 2018. Further, the Secretary to Governor, Haryana vide letter No. HRB-MA (UA)-4(55)-2018/6750, dated the 24th November, 2020 has intimated that the case was placed before the Hon'ble Governor, who has accorded his approval to withdraw the Haryana Prohibition of Change of Public Utilities Bill, 2018 which has been reserved by the President of India for his assent;

And whereas, the Legal Remembrancer, Haryana has conveyed its advice vide U.O. No. 10276-Leg.III (420)A/2020/13, dated 07.01.2021 that –

"The A.D. is advised to get the Memorandum regarding withdrawal of the Haryana Prohibition of Change of Public Utilities Bill, 2018, approved by the Council of Ministers. Thereafter, a resolution has to be passed by the Haryana State Legislature Assembly for withdrawal of the Haryana Prohibition of Change of Public Utilities Bill, 2018;

Further, the object in the matter may be achieved by passing a Bill after incorporating all the observations made by the Government of India, Ministry of Law and Justice, Department of Legal Affairs, in the Haryana Legislative Assembly."

And whereas, the Council of Ministers, Haryana in its meeting held on 10th February, 2021 has decided to withdraw the Haryana Prohibition of Change of Public Utilities Bill, 2018.

Now, therefore, in pursuance of the provisions contained in article 200 and 201 of the Constitution of India, the Legislative Assembly of the State of Haryana hereby resolves to withdraw the Haryana Prohibition of Change of Public Utilities Bill, 2018."

सभापति महोदया : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

"यह कि हरियाणा लोकोपयोगिताओं में परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2018, लोकोपयोगिताओं में विघ्न डालने या परिवर्तन करने तथा लोकाधिकार तथा उपयोग के अपर्वजन हेतु ऐसी भूमि तथा उससे सम्बंधित और आनुषंगिक मामले के लिए दावे का प्रतिषेध करने हेतु राज्य विधानमण्डल द्वारा 2018 का विधेयक संख्या 37–एच.एल.ए पारित किया गया था।

और, चूंकि उक्त विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 में दिए गए उपबंधों की अनुपालना में हरियाणा के राज्यपाल के पास उस पर उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया था;

और चूंकि, राज्यपाल ने उक्त विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन भारत के राष्ट्रपति के विचारण के लिए आरक्षित किया था;

और, चूंकि, हरियाणा लोकोपयोगिताओं में परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2018 के खण्ड 8 में निम्न प्रस्तावित किया गया हैः–

''8 (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अन्‌असंगत ऐसे उपबंध कर सकती है, जो इसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के यथाशीघ्र बाद, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।'';

और चूंकि, भारत सरकार, विधि तथा न्याय मंत्रालय, विधिक मामले विभाग द्वारा उक्त विधेयक के खण्ड 8 पर निम्नलिखित टिप्पणी की गई हैः–

''परन्तु नियत दिन से दो वर्ष की समाप्ति के बाद ऐसा कोई भी आदेश नहीं किया जाएगा।'';

और चूंकि, राज्य सरकार ने भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली से हरियाणा लोकोपयोगिताओं में परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2018 वापस करने का अनुरोध किया। भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने पत्र संख्या 17/55/2018–Judl.&PP, दिनांक 3 नवम्बर, 2020 द्वारा राज्य सरकार को सूचित किया कि भारत सरकार को हरियाणा लोकोपयोगिताओं में परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2018 को वापस लेने पर कोई आक्षेप नहीं है। आगे, सचिव, राज्यपाल, हरियाणा ने पत्र संख्या एच.आर.बी–एम.ए. (यू.ए)–4 (55)–2018/6750, दिनांक 24 नवम्बर, 2020, द्वारा सूचित किया कि माननीय राज्यपाल के सम्मुख मामले को रखा गया था, जिन्होंने हरियाणा लोकोपयोगिताओं में परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2018, जो भारत के राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित किया गया है, को वापस लेने के लिए अपना अनुमोदन दे दिया है;

और चूंकि, विधि परामर्शी हरियाणा ने अशा. क्रमांक 10276–लैज–III (420) ए/2020/13, दिनांक 07.01.2021 द्वारा अपनी मंत्रणा व्यक्त कर दी है कि–

''प्रशासकीय विभाग को मंत्री परिषद् द्वारा अनुमोदित हरियाणा लोकोपयोगिताओं में परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2018 को वापस लेने के सम्बंध में ज्ञापन उपलब्ध करवाने की मंत्रणा दी जाती है। इसके बाद, हरियाणा लोकोपयोगिताओं में परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2018 को वापस लेने

के लिए हरियाणा राज्य विधानमण्डल सभा द्वारा संकल्प पारित किया जाना है;

आगे, भारत सरकार, विधि तथा न्याय मंत्रालय, विधिक मामले विभाग द्वारा की गई सभी टिप्पणियों को शामिल करने के बाद विधेयक को हरियाणा विधान सभा में पारित करवाते हुए मामले में उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है।''

और चूंकि, मंत्री परिषद् हरियाणा ने 10 फरवरी, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में हरियाणा लोकोपयोगिताओं में परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2018 को वापस लेने का निर्णय लिया है;

इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 तथा 201 में दिए गए उपबंधों के अनुसरण में, हरियाणा राज्य विधान सभा, इसके द्वारा, हरियाणा लोकोपयोगिताओं में परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2018 को वापस लेने का संकल्प पारित करती है।''

सभापति महोदया : प्रश्न है –

''यह कि हरियाणा लोकोपयोगिताओं में परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2018, लोकोपयोगिताओं में विघ्न डालने या परिवर्तन करने तथा लोकाधिकार तथा उपयोग के अपर्वजन हेतु ऐसी भूमि तथा उससे सम्बंधित और आनुषंगिक मामले के लिए दावे का प्रतिषेध करने हेतु राज्य विधानमण्डल द्वारा 2018 का विधेयक संख्या 37–एच.एल.ए पारित किया गया था।

और, चूंकि उक्त विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 में दिए गए उपबंधों की अनुपालना में हरियाणा के राज्यपाल के पास उस पर उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया था;

और चूंकि, राज्यपाल ने उक्त विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन भारत के राष्ट्रपति के विचारण के लिए आरक्षित किया था;

और, चूंकि, हरियाणा लोकोपयोगिताओं में परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2018 के खण्ड 8 में निम्न प्रस्तावित किया गया हैः–

''8 (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अन्असंगत ऐसे उपबंध कर सकती है, जो इसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के यथाशीघ्र बाद, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।'';

और चूंकि, भारत सरकार, विधि तथा न्याय मंत्रालय, विधिक मामले विभाग द्वारा उक्त विधेयक के खण्ड 8 पर निम्नलिखित टिप्पणी की गई हैः–

''परन्तु नियत दिन से दो वर्ष की समाप्ति के बाद ऐसा कोई भी आदेश नहीं किया जाएगा।'';

और चूंकि, राज्य सरकार ने भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली से हरियाणा लोकोपयोगिताओं में परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2018 वापस करने का अनुरोध किया। भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने पत्र संख्या 17/55/2018–Judl.&PP, दिनांक 3 नवम्बर, 2020 द्वारा राज्य सरकार को सूचित किया कि भारत सरकार को हरियाणा लोकोपयोगिताओं में परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2018 को वापस लेने पर कोई आक्षेप नहीं है। आगे, सचिव, राज्यपाल, हरियाणा ने पत्र संख्या एच.आर.बी–एम.ए. (यू.ए)–4 (55)–2018/6750, दिनांक 24 नवम्बर, 2020, द्वारा सूचित किया कि माननीय राज्यपाल के सम्मुख मामले को रखा गया था, जिन्होंने हरियाणा लोकोपयोगिताओं में परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2018, जो भारत के राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित किया गया है, को वापस लेने के लिए अपना अनुमोदन दे दिया है;

और चूंकि, विधि परामर्शी हरियाणा ने अशा. क्रमांक 10276–लैज–III (420) ए/2020/13, दिनांक 07.01.2021 द्वारा अपनी मंत्रणा व्यक्त कर दी है कि–

''प्रशासकीय विभाग को मंत्री परिषद् द्वारा अनुमोदित हरियाणा लोकोपयोगिताओं में परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2018 को वापस लेने के सम्बंध में ज्ञापन उपलब्ध करवाने की मंत्रणा दी जाती है। इसके बाद, हरियाणा लोकोपयोगिताओं में परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2018 को वापस लेने के लिए हरियाणा राज्य विधानमण्डल सभा द्वारा संकल्प पारित किया जाना है;

आगे, भारत सरकार, विधि तथा न्याय मंत्रालय, विधिक मामले विभाग द्वारा की गई सभी टिप्पणियों को शामिल करने के बाद विधेयक को हरियाणा विधान सभा में पारित करवाते हुए मामले में उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है।''

और चूंकि, मंत्री परिषद् हरियाणा ने 10 फरवरी, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में हरियाणा लोकोपयोगिताओं में परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2018 को वापस लेने का निर्णय लिया है;

इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 तथा 201 में दिए गए उपबंधों के अनुसरण में, हरियाणा राज्य विधान सभा, इसके द्वारा, हरियाणा लोकोपयोगिताओं में परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2018 को वापस लेने का संकल्प पारित करती है।''

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

.....

बैठक का समय बढ़ाना

सभापति महोदया : माननीय सदस्यगण, अगर सदन की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 10 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाए ?

आवाजें : ठीक है, जी ।

सभापति महोदया : ठीक है, सदन की बैठक का समय 10 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है ।

.....

सरकारी संकल्प (पुनरारम्भ)

(iii) हरियाणा खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2019, को वापिस लेने संबंधित प्रस्ताव

सभापति महोदया : माननीय सदस्यगण, अब खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री सरकारी संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री (सरदार संदीप सिंह) : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं–

> ''यह कि हरियाणा खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2019, सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय पद्धतियों को अपनाते हुए श्रेष्ठ खेलकूद शिक्षण के लिए, प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में कार्य करने के अतिरिक्त खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रौद्योगिकी, खेलकूद प्रबन्धन और खेलकूद प्रशिक्षण के क्षेत्रों में खेलकूद विद्या को प्रोन्नत करने के लिए हरियाणा राज्य में विशिष्ट विश्वविद्यालय के रूप में खेलकूद विश्वविद्यालय स्थापित करने और निगमित करने के लिए तथा उनसे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए हरियाणा

खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 राज्य विधानमण्डल द्वारा 2019 का विधेयक संख्या 23-एच.एल.ए. पारित किया गया था ;

और चूंकि, उक्त विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 में दिए गए उपबन्धों की अनुपालना में, हरियाणा के राज्यपाल के पास, उस पर उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया था ;

और चूंकि, राज्यपाल द्वारा उक्त विधेयक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन भारत के राष्ट्रपति के विचारण हेतु आरक्षित किया गया था ;

और चूंकि मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार के क्रमांक संख्या F.No.6-3/2019-U.II दिनांक 11 दिसम्बर, 2019 के कार्यालय ज्ञापन के सन्दर्भ में, भारत सरकार, गृह मन्त्रालय से क्रमांक संख्या एफ. संख्या 17/45/2019-Judl. & PP, दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें यह उपबन्धित है कि "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2018 के खण्ड 7.3 (II) के अनुसार, "अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (U.G.C.), राज्य के निजी तथा डीम्ड विश्वविद्यालयों के उपकुलपति के चयन के लिए चयन समिति का सदस्य मनोनति करेगा। चूंकि, अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अन्वेषण-एवं-चयन समिति के लिए कोई सदस्य मनोनीत नहीं किया गया है, इसलिए उपकुलपति की नियुक्ति के लिए इस मानदण्ड पर पुर्नअवलोकन करने की आवश्यकता है।

इसलिए, भारत सरकार की मन्त्रणा पर, विधेयक पर पुनर्विचार करने बारे निर्णय लिया गया था। तदनुसार, राज्य सरकार द्वारा हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्या 23-एच.एल.ए.) को वापस लेने का निर्णय लिया गया है।

और चूंकि, मंत्री परिषद् ने 10 फरवरी, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में, 5 मार्च, 2021 से प्रारम्भ होने वाले हरियाणा विधान सभा सत्र के समक्ष विधायी कार्यों के प्रस्तुतीकरण के अनुमोदन हेतु मुख्यमंत्री को प्राधिकृत किया है और मुख्यमंत्री द्वारा मन्त्री परिषद् के निमित्त हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 को वापस लेने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है।

इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 तथा 201 में दिए गए उपबन्धों के अनुसरण में, हरियाणा राज्य विधान सभा, इसके द्वारा, हरियाणा खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 को वापस लेने का प्रस्ताव पारित करती है।"

सभापति महोदयाः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

" यह कि हरियाणा खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2019, सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय पद्धतियों को अपनाते हुए श्रेष्ठ खेलकूद शिक्षण के लिए, प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में कार्य करने के अतिरिक्त खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रौद्योगिकी, खेलकूद प्रबन्धन और खेलकूद प्रशिक्षण के क्षेत्रों में खेलकूद विद्या को प्रोन्नत करने के लिए हरियाणा राज्य में विशिष्ट विश्वविद्यालय के रूप में खेलकूद विश्वविद्यालय स्थापित करने और निगमित करने के लिए तथा उनसे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए हरियाणा खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 राज्य विधानमण्डल द्वारा 2019 का विधेयक संख्या 23-एच.एल.ए. पारित किया गया था ;

और चूंकि, उक्त विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 में दिए गए उपबन्धों की अनुपालना में, हरियाणा के राज्यपाल के पास, उस पर उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया था ;

और चूंकि, राज्यपाल द्वारा उक्त विधेयक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन भारत के राष्ट्रपति के विचारण हेतु आरक्षित किया गया था ;

और चूंकि मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार के क्रमांक संख्या F.No.6-3/2019-U.II दिनांक 11 दिसम्बर, 2019 के कार्यालय ज्ञापन के सन्दर्भ में, भारत सरकार, गृह मन्त्रालय से क्रमांक संख्या एफ. संख्या 17/45/2019-Judl. & PP, दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें यह उपबन्धित है कि "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2018 के खण्ड 7.3 (II) के अनुसार, "अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (U.G.C.), राज्य के निजी तथा डीम्ड विश्वविद्यालयों के उपकुलपति के चयन के लिए चयन समिति का सदस्य मनोनति करेगा। चूंकि, अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अन्वेषण-एवं-चयन समिति के लिए कोई सदस्य मनोनीत नहीं किया गया है, इसलिए उपकुलपति की नियुक्ति के लिए इस मानदण्ड पर पुर्नअवलोकन करने की आवश्यकता है।

इसलिए, भारत सरकार की मन्त्रणा पर, विधेयक पर पुनर्विचार करने बारे निर्णय लिया गया था। तदनुसार, राज्य सरकार द्वारा हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्या 23-एच.एल.ए.) को वापस लेने का निर्णय लिया गया है।

और चूंकि, मंत्री परिषद् ने 10 फरवरी, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में, 5 मार्च, 2021 से प्रारम्भ होने वाले हरियाणा विधान सभा सत्र के समक्ष विधायी कार्यों के प्रस्तुतीकरण के अनुमोदन हेतु मुख्यमंत्री को प्राधिकृत किया है और मुख्यमंत्री द्वारा मन्त्री परिषद् के निमित्त हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 को वापस लेने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है।

इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 तथा 201 में दिए गए उपबन्धों के अनुसरण में, हरियाणा राज्य विधान सभा, इसके द्वारा, हरियाणा खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 को वापस लेने का प्रस्ताव पारित करती है।

श्री भारत भूषण बतरा (रोहतक): सभापति महोदया, वर्ष 2019 में द स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा बिल आया था। मैं पूछना चाहता हूँ कि इसके तहत राई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में कौन–कौन सी अप्वॉयंटमैंट्स की गई थी? क्या किसी को वाइस–चांसलर अप्वॉयंट किया गया था ? अगर किया गया था तो उसका नाम क्या है। यह ठीक बात है कि Government is competent to withdraw any Act लेकिन अगर ऐसा होता है तो संभव सी बात है कि प्रश्न उठेगा कि राई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का जो अन्य स्टॉफ होगा, उसकी लीगल पोजीशन क्या होगी? Today you have withdrawn it. Today there is no Sports University Act. ऐसी अवस्था में क्या सरकार स्टॉफ के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कोई नया बिल या प्रावधान लाने का काम करेगी। सभापति महोदया, मैं फिर से जानना चाहूंगा कि क्या राई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मे चांसलर, वाइस–चांसलर या स्टाफ की कोई अप्वॉयंटमैंट की गई है और अगर नहीं की गई है तो क्यों नहीं की गई तथा यू.जी. सी.के मैम्बर को रखने के प्रावधान के बारे में पहले क्यों नहीं सोचा गया ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): सभापति महोदया, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि राई स्पोर्ट्स स्कूल को अपग्रेड करके स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था और यहां पर चांसलर के तौर पर श्री कपिल देव की नियुक्ति की गई थी। जहां तक माननीय सदस्य ने

पूछा है कि क्या कोई अन्य स्टॉफ की भी नियुक्ति की गई थी या नहीं, के संदर्भ में मैं उनको बताना चाहूंगा कि यहां पर चांसलर के अतिरिक्त अन्य कोई भी नियुक्ति नहीं की गई थी और चांसलर की नियुक्ति कोई इस प्रकार की नियुक्ति नहीं थी कि इसको किसी प्रावधान के अंतर्गत भरा गया हो या इसके लिए कोई चयन समिति बनाई गई हो। वास्तव में इस नियुक्ति को गवर्नमैंट ने सीधे तौर पर किया था और जैसे ही यह स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट निरस्त हो जायेगा यह नियुक्ति भी समाप्त हो जायेगी। इसके अतिरिक्त कोई अन्य स्टॉफ नहीं रखा गया था। जहां तक यू.जी.सी.के मैम्बर को नहीं रखने की बात है, के संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि हमने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट को एल.आर. के माध्यम से पारित करवाने का काम किया था और जब उन्होंने इसके लिए कोई आब्जैक्शन नहीं किया तो हम इस दिशा में आगे बढ़े। जैसाकि सब जानते हैं जैसे स्टेट में कोई बिल पास होता है तो उसके बाद वह भारत सरकार के लैवल पर सहमति के लिए जाता है और वहां से सहमति मिलने के पश्चात ही एक्ट बनता है, के परिपेक्ष्य में मैं बताना चाहूंगा कि जब भारत सरकार के लैवल पर, किसी प्रावधान के तहत इस एक्ट पर आपत्ति जताई गई तो उस आपत्ति के बाद इस एक्ट को वापिस लेकर इसमें जितनी भी कमी रह गई हैं, उन कमियों को ठीक करके पारित करते हुए भारत सरकार के पास पुनः भेजा जायेगा।

श्री भारत भूषण बतराः सभापति महोदया, यह जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट को विद्ड्रा किया गया है it was not only regarding appointment of the Chancellor and Vice Chancellor. It is a Sports University for which you have made a constitution also. मेरे कहने का मतलब यह है कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट में चांसलर या वाइस–चांसलर के अतिरिक्त अन्य दूसरे प्रावधान भी तो होंगे और अब जबकि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट को रद्द करने का काम किया जा रहा है तो ऐसी अवस्था में उन अन्य प्रावधानों का स्टेटस क्या होगा, यह भी तो बताया जाये?

श्री मनोहर लालः सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य श्री भारत भूषण बतरा जी को कहना चाहता हूँ कि हमने इसलिए ही तो एक्ट वापिस लिया है।

सभापति महोदया : प्रश्न है–

"यह कि हरियाणा खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2019, सर्वोत्तम अन्तर्राष्ट्रीय पद्धतियों को अपनाते हुए श्रेष्ठ खेलकूद शिक्षण के लिए, प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में कार्य करने के अतिरिक्त खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रौद्योगिकी, खेलकूद प्रबन्धन और खेलकूद प्रशिक्षण के क्षेत्रों में खेलकूद विद्या को प्रोन्नत करने के लिए हरियाणा राज्य में विशिष्ट विश्वविद्यालय के रूप में खेलकूद विश्वविद्यालय स्थापित करने और निगमित करने के लिए तथा उनसे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए हरियाणा खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 राज्य विधानमण्डल द्वारा 2019 का विधेयक संख्या 23-एच.एल.ए. पारित किया गया था ;

और चूंकि, उक्त विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 में दिए गए उपबन्धों की अनुपालना में, हरियाणा के राज्यपाल के पास, उस पर उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया था ;

और चूंकि, राज्यपाल द्वारा उक्त विधेयक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन भारत के राष्ट्रपति के विचारण हेतु आरक्षित किया गया था ;

और चूंकि मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार के क्रमांक संख्या F.No.6-3/2019-U.II दिनांक 11 दिसम्बर, 2019 के कार्यालय ज्ञापन के सन्दर्भ में, भारत सरकार, गृह मन्त्रालय से क्रमांक संख्या एफ. संख्या 17/45/2019-Judl. & PP, दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें यह उपबन्धित है कि "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2018 के खण्ड 7.3 (II) के अनुसार, "अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (U.G.C.), राज्य के निजी तथा डीम्ड विश्वविद्यालयों के उपकुलपति के चयन के लिए चयन समिति का सदस्य मनोनति करेगा। चूंकि, अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अन्वेषण-एवं-चयन समिति के लिए कोई सदस्य मनोनीत नहीं किया गया है, इसलिए उपकुलपति की नियुक्ति के लिए इस मानदण्ड पर पुर्नअवलोकन करने की आवश्यकता है। इसलिए, भारत सरकार की मन्त्रणा पर, विधेयक पर पुनर्विचार करने बारे निर्णय लिया गया था। तदनुसार, राज्य सरकार द्वारा हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्या 23-एच.एल.ए.) को वापस लेने का निर्णय लिया गया है।

और चूंकि, मंत्री परिषद् ने 10 फरवरी, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में, 5 मार्च, 2021 से प्रारम्भ होने वाले हरियाणा विधान सभा सत्र के समक्ष विधायी कार्यों के प्रस्तुतीकरण के अनुमोदन हेतु मुख्यमंत्री को प्राधिकृत किया है और मुख्यमंत्री द्वारा मन्त्री परिषद् के

निमित्त हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 को वापस लेने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है।

इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 तथा 201 में दिए गए उपबन्धों के अनुसरण में, हरियाणा राज्य विधान सभा, इसके द्वारा, हरियाणा खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 को वापस लेने का प्रस्ताव पारित करती है।"

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

.....

बैठक का समय बढ़ाना

सभापति महोदयाः माननीय सदस्यगण, यदि सदन की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 5 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाए।

आवाजें: ठीक है, जी।

सभापति महोदयाः ठीक है, सदन की बैठक का समय 5 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है।

.....

विधायी कार्य

पुरःस्थापित किए जाने वाले विधेयक

1. दि हरियाणा रूरल डिवैल्पमैंट (अमैंडमैंट) बिल, 2021

सभापति महोदयाः माननीय सदस्यगण, अब माननीय उप–मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ–

कि मुझे हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदयाः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदयाः प्रश्न है–

कि हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(अनुमति प्रदान की गई।)

सभापति महोदयाः अब माननीय उप–मुख्यमंत्री हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करेंगे।

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): सभापति महोदया, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करता हूँ।

सभापति महोदयाः हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) विधेयक, 2021 पुरःस्थापित हुआ।

———————————————

2. दि हरियाणा गुड्स एण्ड सर्विसिज टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 2021

सभापति महोदयाः माननीय सदस्यगण, अब माननीय उप–मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ–

> कि हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदयाः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

> कि हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदयाः प्रश्न है–

> कि हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(अनुमति प्रदान की गई।)

सभापति महोदयाः अब माननीय उप–मुख्यमंत्री हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करेंगे।

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): सभापति महोदया, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करता हूँ।

सभापति महोदयाः हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 पुरःस्थापित हुआ।

बैठक का समय बढ़ाना

सभापति महोदया : यदि सदन की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 5 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाए ?

आवाजें : ठीक है जी ।

सभापति महोदया : ठीक है, सदन की बैठक का समय 5 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है ।

.....

विधायी कार्य (पुनरारम्भ)

3. दि हरियाणा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन (अमैंडमैंट) बिल, 2021

सभापति महोदया : माननीय सदस्यगण, अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं–

> कि हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदया : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

> कि हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदया : प्रश्न है –

> कि हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(अनुमति प्रदान की गई।)

सभापति महोदया : अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करेंगे ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : सभापति महोदया, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करता हूँ ।

सभापति महोदया : हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2021 पुरःस्थापित हुआ।

———————————————

4. दि हरियाणा डिवैल्पमैंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज (अमैंडमैंट) बिल, 2021

सभापति महोदया : माननीय सदस्यगण, अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदया : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदया : प्रश्न है–

कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(अनुमति प्रदान की गई।)

सभापति महोदया : अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : सभापति महोदया, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करता हूँ ।

सभापति महोदया : हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2021 पुरःस्थापित हुआ ।

———————————

सभापति महोदया : माननीय सदस्यगण, अब सदन मंगलवार, दिनांक 9 मार्च, 2021 प्रातः 10:00 बजे (प्रथम बैठक) तक के लिए स्थगित किया जाता है ।

(तत्पश्चात् सभा मंगलवार, दिनांक 9 मार्च, 2021 प्रातः 10:00 बजे (प्रथम बैठक) तक के लिए *स्थगित हुई ।)

***18:47 बजे**